

सिंधुदुर्ग जिला, महाराष्ट्र, भारत में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन के  
विकास के लिए

दिनांक 25 सितंबर, 2009 को

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी)  
"उद्योग सारथी", महाकाली केक्स रोड,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093

और

आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (आईएसएपीएल)  
आईआरबी कॉम्प्लेक्स, चांदिवली फार्म, चांदिवली गाँव,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 072

के बीच निष्पादित

परियोजना विकास समझौता

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी)

और

आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड  
(आईएसएपीएल)

के बीच

सिंधुदुर्ग जिला, महाराष्ट्र, भारत में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन के  
विकास

के लिए

परियोजना विकास समझौता

विषय-सूची

1. परिभाषाएं और व्याख्या
  - 1.1 परिभाषाएं
  - 1.2 व्याख्या
2. परियोजना का दायरा
  - 2.1 परियोजना का दायरा
3. पक्षकारों के अधिकार

- 3.1 अधिकारों की मान्यता
- 3.2 भूमि-पट्टे का प्रावधान
- 4. पूर्ववर्ती शर्तें
  - 4.1 पूरी की जाने वाली पूर्ववर्ती शर्तें
  - 4.2 पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने संबंधी दायित्व
  - 4.3 पूर्ववर्ती शर्तों की अपूर्ति
  - 4.4 प्रभावी तिथि
  - 4.5 पूर्ववर्ती शर्तों की अपूर्ति पर भुगतान
- 5. आईएसएपीएल के दायित्व
  - 5.1 आईएसएपीएल के दायित्व
  - 5.2 परियोजना समझौतों से संबंधित दायित्व
  - 5.3 कार्यभार ग्रहण
  - 5.4 भारतीय सामग्री का नियोजन
  - 5.5 प्रशिक्षित कार्मिकों का नियोजन
  - 5.6 सुरक्षा स्वीकृति
  - 5.7 दिव्यांग और वृद्ध व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ
  - 5.8 स्थानीय संस्कृति का निरूपण
  - 5.9 पोस्टर लगाना
- 6. एमआईडीसी के दायित्व
  - 6.1 एमआईडीसी के दायित्व
  - 6.2 सहायता
  - 6.3 पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करना
- 7. आईएसएपीएल के अभ्यावेदन और वारंटियाँ
  - 7.1 अभ्यावेदन और वारंटियाँ
  - 7.2 पुष्टिकरण
  - 7.3 अस्वीकरण
- 8. एमआईडीसी के अभ्यावेदन और वारंटियाँ
  - 8.1 अभ्यावेदन और वारंटियाँ
- 9. निष्पादन प्रतिभूति
  - 9.1 निष्पादन प्रतिभूति
  - 9.2 निष्पादन प्रतिभूति का विनियोजन
  - 9.3 निष्पादन प्रतिभूति का निर्मोचन
- 10. विमानपत्तन का निर्माण
  - 10.1 मास्टर प्लान
  - 10.2 निर्माण और विस्तार
  - 10.3 स्वतंत्र इंजीनियर
  - 10.4 स्थल और सामग्री
  - 10.5 विमानपत्तन संबंधी शुल्क
  - 10.6 भूमि पट्टा
  - 10.7 भूमि का गैर-विमानन उपयोग

- 11. परिचालन और रखरखाव
  - 11.1 विमानपत्तन का परिचालन और रखरखाव
  - 11.2 संयुक्त समन्वय समिति
  - 11.3 आरक्षित गतिविधियाँ
  - 11.4 सुरक्षा
  - 11.5 मौसम-विज्ञान सेवाएँ
  - 11.6 वीआईपी लाउंज
  - 11.7 मानक
  - 11.8 विमानपत्तन व्यवसाय का प्रबंधन
  - 11.9 सामान्य दायित्व
  - 11.10 सुविधा
  - 11.11 गैर-भेदभाव
  - 11.12 प्रचालन में बाधा
  - 11.13 निर्माण या प्रचालन में बाधा
  - 11.14 आँकड़े और विमानपत्तन प्रचालन
  - 11.15 अन्य व्यक्तियों को पहुँच
- 12. प्रचालन और रखरखाव की निगरानी
  - 12.1 निष्पादन मानक
  - 12.2 अभिलेख
- 13. सुरक्षा अपेक्षाएँ
  - 13.1 सुरक्षा अपेक्षाएँ
  - 13.2 स्वतंत्र लेखापरीक्षा
  - 13.3 आकस्मिकता योजना
- 14. प्रभार लगाने का अधिकार
  - 14.1 प्रभार लगाने का अधिकार
  - 14.2 करें का भुगतान
- 15. बीमा का रखरखाव
  - 15.1 पट्टा अवधि के दौरान बीमा
  - 15.2 बीमा संरक्षण
  - 15.3 पॉलिसियाँ
  - 15.4 बीमा कराने में विफलता पर उपाय
  - 15.5 प्रतिस्थापन-अधिकार का अधित्याग
  - 15.6 आईएसएपीएल की देयता
  - 15.7 बीमा-प्राप्त राशि का विनियोजन
- 16. लेखे और लेखापरीक्षा
- 17. फोर्स मेज्यूर और निलंबन
  - 17.1 फोर्स मेज्यूर
  - 17.2 फोर्स मेज्यूर के परिणाम
  - 17.3 डीफाल्ट
  - 17.4 डीफाल्ट के परिणाम

- 17.5 विमानपत्तन का अंतरण
- 17.6 निलंबन-पूर्व दायित्व
- 17.7 शर्त
- 17.8 अन्य अधिकार और निलंबन
- 17.9 प्रभावी रहना
- 17.10 निलंबन
- 18. समनुदेशन और प्रतिभूति
- 18.1 समनुदेशन और प्रतिभूति
- 19. देयता और क्षतिपूर्ति
- 19.1 आईएसएपीएल द्वारा क्षतिपूर्ति
- 19.2 कानूनी कार्यवाही से संबंधित सूचना का आदान-प्रदान
- 19.3 सूचना
- 19.4 देयता
- 19.5 अल्पीकरण
- 20. विवाद समाधान
- 20.1 बातचीत और सुलह
- 20.2 मध्यस्थता को निर्देश
- 20.3 विविध
- 20.4 निर्णय/पंचाट
- 21. लोक शिकायतों का निवारण
- 21.1 शिकायत रजिस्टर
- 21.2 शिकायत का निवारण
- 21.3 आरक्षित गतिविधियाँ
- 22. विविध
- 22.1 उपचार, अधित्याग, अनुमोदन और सहमतियाँ
- 22.2 संशोधन, अधित्याग और सहमतियाँ
- 22.3 संपूर्ण समझौता
- 22.4 अतिरिक्त आश्वासन
- 22.5 आंशिक अमान्यता
- 22.6 साझेदारी का अभाव
- 22.7 समय का महत्व
- 22.8 समय की गणना
- 22.9 सूचनाएँ
- 22.10 दस्तावेजों की सुपुर्दगी
- 22.11 शासकीय भाषा
- 22.12 शासी विधि
- 22.13 क्षेत्राधिकार में परिवर्तन का अधित्याग
- 22.14 दंडात्मक ब्याज

- अनुसूची 1: भारत सरकार द्वारा परियोजना की स्वीकृतियाँ
- अनुसूची 2: परियोजना के प्रारंभिक चरण का विवरण और विनिर्देश
- अनुसूची 3, भाग 1: विमानपत्तन गतिविधियाँ
- अनुसूची 3, भाग 2: गैर-विमानपत्तन गतिविधियाँ
- अनुसूची 4: अप्रत्याशित घटना की परिभाषा
- अनुसूची 5: निष्पादन प्रतिभूति
- अनुसूची 8: मानक
- अनुसूची 10: पूर्णता प्रमाणपत्र
- अनुसूची 11: बीमा
- अनुसूची 12: परियोजना पूर्णता कार्यक्रम
- संलग्नक 1: मास्टर प्लान
- संलग्नक 2: पट्टा समझौते का प्रारूप

## प्रस्तावना

यह समझौता 25 सितंबर 2009 को मुंबई में निम्न पक्षकारों के बीच किया गया है:

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय, जिसका प्रधान कार्यालय "उद्योग सारथी", महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093 में है (आगे "एमआईडीसी" कहा गया है; जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अभिव्यक्ति में इसके प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती सम्मिलित होंगे), प्रथम पक्ष;

## और

आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन सीमित दायित्व सहित निगमित कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय आईआरबी कॉम्प्लेक्स, चांदिवली फार्म, चांदिवली गाँव, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 072, महाराष्ट्र में है (आगे "आईएसएपीएल" कहा गया है; इस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती सम्मिलित होंगे), द्वितीय पक्ष।

जबकि:

क. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एमआईडीसी), महाराष्ट्र राज्य में प्रमुख औद्योगिक विकास निकाय के रूप में, राज्य भर में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर चुका है। एमआईडीसी स्थल का विशेष नियोजन प्राधिकरण भी है। इस हैसियत से एमआईडीसी ने सिंधुदुर्ग जिले में अभिकल्पना, निर्माण, वित्तपोषण और परिचालन के आधार पर ग्रीनफील्ड विमानपत्तन विकसित करने का निर्णय लिया ("परियोजना")। इस प्रयोजन के लिए एमआईडीसी ने जिला मुख्यालय कुडाल से लगभग 23 किमी दूर चिपी-वाडी और परुले गाँवों के बीच लगभग 260 हेक्टेयर (लगभग 642 एकड़) भूमि चिह्नित की है।

ख. परियोजना की अभिकल्पना, इंजीनियरिंग, वित्तपोषण, प्रापण, निर्माण, परिचालन और रखरखाव के लिए बोलीदाताओं की पूर्व-अर्हता और संक्षिप्त सूची तैयार करने हेतु एमआईडीसी ने अर्हता-अनुरोध (आरएफक्यू) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए और सफल बोलीदाता सहित कुछ बोलीदाताओं को संक्षिप्त सूची में रखा।

ग. एमआईडीसी ने वाणिज्यिक निबंधन और शर्तें निर्धारित कीं तथा आरएफक्यू के अनुसार संक्षिप्त सूची में रखे गए बोलीदाताओं से परियोजना हेतु प्रस्ताव-अनुरोध (आरएफपी) के माध्यम से बोलियाँ आमंत्रित कीं।

घ. प्राप्त बोलियों के मूल्यांकन के बाद एमआईडीसी ने सफल बोलीदाता की बोली स्वीकार की और उसे दिनांक 03.08.2009 का अधिनिर्णय पत्र संख्या एमआईडीसी/संयुक्त सीईओ (आईटी)/सिंधुदुर्ग हवाईअड्डा/401/09 जारी किया। सफल बोलीदाता ने दिनांक 6 अगस्त 2009 के पत्र द्वारा इसकी विधिवत् अभिस्वीकृति दी।

ङ. आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (आईएसएपीएल) की स्थापना आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड की भागीदारी से की गई है। इस कंपनी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन की अभिकल्पना, इंजीनियरिंग, वित्तपोषण, प्रापण, निर्माण, परिचालन और रखरखाव के लिए आईएसएपीएल में शेयरधारक के रूप में भाग लेने पर सहमति दी है।

च. परियोजना के कार्यान्वयन हेतु लागू निबंधन और शर्तों को अभिलिखित करना आवश्यक है। इसलिए पक्षकार उन निबंधन और शर्तों को व्यक्त करने के लिए इस परियोजना विकास समझौते में प्रवेश कर रहे हैं।

छ. एमआईडीसी स्वीकार करता है कि आईएसएपीएल ने कुल भूमि प्रीमियम के 50 प्रतिशत के रूप में केनरा बैंक पर आहरित दिनांक 27.08.2009 के पे-ऑर्डर संख्या 408646 द्वारा एमआईडीसी को ₹10,35,05,200.50 का भुगतान किया है।

ज. इस समझौते के निष्पादन के साथ, सफल बोलीदाता ने आरएफपी में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करते हुए परियोजना विकास व्यय के रूप में ₹3,22,78,192 की अप्रतिदेय राशि का भुगतान किया है। इसमें 10 प्रतिशत सेवा-कर, सेवा-कर का 2 प्रतिशत शिक्षा उपकर और सेवा-

कर का 1 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा उपकर सम्मिलित है। इस राशि में से ₹47,03,192 एमआईडीसी को और ₹2,75,75,000 इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव को दिए गए हैं।

झ. सफल बोलीदाता ने आरएफपी दस्तावेज में निर्धारित शर्तों के अनुपालन में तकनीकी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

ञ. पक्षकार स्वीकार और अभिस्वीकार करते हैं कि विमानपत्तन अवसंरचना तथा नागरिक विमानन से संबंधित मामलों में भारत सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका और जिम्मेदारी है तथा वह विमानन क्षेत्र का ढाँचा निर्धारित करती है।

अतः अब निम्नानुसार सहमति की जाती है:

भाग I:  
परिभाषाएँ और व्याख्या

## 1. परिभाषाएँ और व्याख्या

### 1.1 परिभाषाएँ

इस समझौते में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

“**एएआई**” का अर्थ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है।

“**एएआई अधिनियम**” का अर्थ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 है।

“**विमानपत्तन गतिविधियाँ**” का अर्थ विमानपत्तन के संबंध में अनुसूची 3 के भाग 1 में वर्णित गतिविधियों का प्रावधान है, जिसे समय-समय पर आईसीएओ दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। वहाँ परिकल्पित गतिविधियों से सारतः भिन्न किसी गतिविधि के लिए पक्षकारों की पारस्परिक सहमति आवश्यक होगी।

“**प्रभावित पक्षकार**” का अर्थ अनुच्छेद 17 में दिया गया अर्थ है।

“**समझौता**”, “परियोजना विकास समझौता” अथवा “पीडीए” का अर्थ प्रस्तावना, अनुसूचियों और संलग्नकों सहित यह समझौता तथा इसके प्रावधानों के अनुसार किए गए संशोधन हैं।

“**विमानपत्तन**” का अर्थ महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले में आईएसएपीएल द्वारा निर्मित और परिचालित किया जाने वाला ग्रीनफील्ड विमानपत्तन है, जिसमें प्रारंभिक चरण, सभी भवन, उपकरण, सुविधाएँ और प्रणालियाँ तथा संदर्भानुसार मास्टर प्लान के अनुसार कोई विस्तार सम्मिलित है।

“**लागू अनुज्ञाएँ**” का अर्थ परियोजना के विकास, परिचालन और रखरखाव के संबंध में इस समझौते की अवधि में लागू विधियों के अधीन प्राप्त अथवा बनाए रखी जाने वाली सभी स्वीकृतियाँ, अनुज्ञप्तियाँ, परमिट, अनुमतियाँ, अनापत्ति प्रमाणपत्र, सहमतियाँ, अनुमोदन और छूट हैं।

“**विमानपत्तन पूर्णता तिथि**” वह तिथि है जिस दिन एमआईडीसी पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करता है।

“**विमानपत्तन पूर्णता लक्ष्य तिथि**” प्रभावी तिथि से अठारह (18) माह की तिथि है।

“**लागू विधियाँ**” का अर्थ भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा एमआईडीसी द्वारा प्रवर्तित और प्रभावी सभी विधियाँ, नियम, विनियम, अधिसूचनाएँ तथा अभिलेख न्यायालयों के निर्णय, डिक्रियाँ, व्यादेश, रिट और आदेश हैं, जो इस समझौते और पक्षकारों के अधिकारों तथा दायित्वों के प्रयोग, पालन और निर्वहन पर इसकी अवधि के दौरान लागू हों।

“**मध्यस्थता अधिनियम**” का अर्थ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 तथा उसके समय-समय पर लागू संशोधन या पुनः अधिनियमन हैं।

“**सहबद्ध**” अथवा “**सम्बद्ध इकाई**” का अर्थ किसी पक्षकार के संबंध में ऐसा व्यक्ति है जो उस पक्षकार को नियंत्रित करता हो, उसके द्वारा नियंत्रित हो अथवा उसके साथ समान नियंत्रण में हो। इस परिभाषा में “नियंत्रण” का अर्थ कंपनी या निगम के लिए मतदान-अंशों के 50 प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व और अन्य व्यक्ति के लिए विधि, संविदा अथवा अन्यथा उसके प्रबंधन और नीतियों को निर्देशित करने की शक्ति है।

“**अनुमोदन**” का अर्थ लागू विधि के अधीन किसी प्राधिकारी से इस समझौते के संबंध में, किसी पक्षकार के दायित्व के पालन या अधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक सभी प्राधिकरण, सहमतियाँ, अनुमोदन, अधिसूचनाएँ, अनुमतियाँ, अनुज्ञप्तियाँ, परमिट, छूट और अन्य प्राधिकार हैं; इसमें स्वीकृति शामिल नहीं है।

“**बीसीएस**” का अर्थ नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो है।

“**बोली**” का अर्थ आरएफक्यू और आरएफपी के उत्तर में उनके प्रावधानों के अनुसार सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली में निहित दस्तावेज हैं।

“**बोली प्रतिभूति**” का अर्थ ₹25 लाख की वह प्रतिभूति है जो सफल बोलीदाता ने आरएफपी के अनुसार अपनी बोली के साथ एमआईडीसी को दी थी और जो निष्पादन प्रतिभूति द्वारा प्रतिस्थापित होने तक प्रभावी रहती है।

“**पुस्तकीय मूल्य**” का अर्थ आईएसएपीएल के लेखों के अनुसार परियोजना पर उपगत पूँजीगत व्यय है, जिसमें सीधी-रेखा पद्धति से गणित और परिचालन अवधि में समान रूप से परिशोधित मूल्यहास घटाया गया हो तथा जिसे भारत के इंजीनियर संस्थान के सदस्य स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर ने सत्यापित और प्रमाणित किया हो।

“**शिकागो अभिसमय**” का अर्थ 1944 का शिकागो अभिसमय है, जैसा समय-समय पर संशोधित या अनुपूरित हो। उसके किसी “अनुलग्नक” का उल्लेख भी ऐसे संशोधनों या अनुपूरकों सहित होगा।

“**स्वीकृति**” का अर्थ परियोजना के संबंध में भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार अथवा एमआईडीसी से समय-समय पर प्राप्त किया जाने वाला लिखित सहमति-पत्र, अनुज्ञप्ति, अनुमोदन, परमिट, छूट, अनापत्ति प्रमाणपत्र या कोई अन्य प्राधिकार अथवा अनुमति है; इसमें संलग्न अनुसूची 1 में दी गई स्वीकृतियाँ शामिल हैं।

“**सीएनएस/एटीएम समझौता**” का अर्थ संचार, नौवहन, निगरानी और वायु यातायात प्रबंधन सेवाओं के प्रावधान के संबंध में आईएसएपीएल और एएआई के बीच किया गया या किया जाने वाला समझौता है।

“**पूर्णता प्रमाणपत्र**” का अर्थ आईएसएपीएल के अनुरोध पर एमआईडीसी द्वारा जारी वह प्रमाणपत्र है जो अनुसूची 2 और एमआईडीसी के विकास नियंत्रण नियमों के अनुरूप प्रारंभिक चरण के निर्माण के अनुपालन को सत्यापित करता है।

“**दोष-निवारण अवधि**” का अर्थ इस समझौते में निर्धारित वह अवधि है जिसके भीतर उल्लंघन या चूक के लिए उत्तरदायी पक्षकार उसे दूर करेगा।

दोष-निवारण अवधि:

(क) दूसरे पक्षकार द्वारा उल्लंघन या चूक निर्दिष्ट करने और उसे दूर करने का अनुरोध करने वाली सूचना की तामील की तिथि से आरंभ होगी;

(ख) किसी पक्षकार को इस समझौते के अधीन क्षति अथवा प्रतिकर देने की देयता से मुक्त नहीं करेगी; और

(ग) इस समझौते के अधीन निलंबन की अवधि के कारण किसी प्रकार नहीं बढ़ेगी।  
परंतु यदि आईएसएपीएल द्वारा उल्लंघन का निवारण करने के लिए ऐसे उचित कार्य आवश्यक हों जिनके लिए संबंधित प्राधिकारी का अनुमोदन चाहिए, तो उस अनुमोदन का समय उपबंधानुसार विचार में लिया जाएगा।

**“ऋण”** का अर्थ निम्न का योग है:

(क) परियोजना के वित्तपोषण के लिए वित्तपोषण समझौतों के अधीन ऋणदाताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण की मूल राशि;

(ख) उपखंड (क) में वर्णित ऋण पर वित्तपोषण समझौतों के अधीन देय अर्जित ब्याज, वित्तपोषण शुल्क और प्रभार; तथा

(ग) परियोजना के वित्तपोषण के लिए अन्य पक्षकारों द्वारा संवितरित अधीनस्थ ऋण।  
यदि ऋण का कोई भाग ऋणदाताओं के विकल्प पर आईएसएपीएल की इक्विटी में परिवर्तित होता है, तो इस समझौते के प्रयोजन के लिए वह भाग रूपांतरण के बाद भी ऋण माना जाएगा और उसकी मूल राशि से ऐसे निपटा जाएगा मानो रूपांतरण नहीं हुआ हो।

**“डीजीसीए”** का अर्थ भारत सरकार का नागर विमानन महानिदेशालय है।

**“विवाद समाधान प्रक्रिया”** का अर्थ अनुच्छेद 20 में निर्धारित प्रक्रिया है।

**“घरेलू विमानपत्तन”** का अर्थ ऐसा विमानपत्तन है जो भारत में एक स्थान से भारत के दूसरे स्थान तक वाणिज्यिक रूप से परिचालित विमान सेवा देता हो।

**“प्रभार”** का अर्थ परियोजना से संबंधित बंधक, भार, गिरवी, धारणाधिकार, दृष्टिबंधक, प्रतिभूति-हित, समनुदेशन, विशेषाधिकार या अग्रता सहित किसी भी प्रकार का ऐसा हित है जिसका प्रभाव प्रतिभूति या अन्य बाध्यता उत्पन्न करना हो। इसमें किसी परियोजना-संबद्ध बीमा पॉलिसी के अंतर्गत हानि-प्राप्तकर्ता या लाभार्थी का नामांकन अथवा समान व्यवस्था भी शामिल है।

**“इक्विटी”** का अर्थ परियोजना लागत के इक्विटी अंश की पूर्ति के लिए आईएसएपीएल की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी है। इस समझौते के प्रयोजन के लिए इसमें अनिवार्यतः इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तनीय निवेश लिखत अथवा समान पूँजी-रूप और इस इक्विटी अंश की पूर्ति हेतु आईएसएपीएल के किसी शेयरधारक द्वारा अग्रिम दी गई ब्याज-मुक्त राशि शामिल है।

**“विस्तार”** का अर्थ संलग्नक 1 के रूप में जोड़े जाने वाले मास्टर प्लान के अनुसार समय-समय पर विमानपत्तन की सुविधाओं का विस्तार है।

**“वित्तपोषण समझौता”** का अर्थ परियोजना लागत के वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण के लिए वरिष्ठ ऋणदाताओं से ऋण, गारंटी, अपरिवर्तनीय डिबेंचर की सदस्यता अथवा अन्य ऋण लिखतों के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु आईएसएपीएल द्वारा निष्पादित समझौते, प्रतिभूति समझौते और अन्य संबद्ध दस्तावेज हैं; इसमें अनुच्छेद 18.2.2 के अनुसार उनके संशोधन भी शामिल हैं।

**“अप्रत्याशित घटना”** (फोर्स मेज्यूर) का अर्थ अनुसूची 4 में दिया गया अर्थ है।

“**भारत सरकार**” में भारत सरकार तथा नागर विमानन मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण या निर्देशाधीन उसके विधिवत् प्राधिकृत अभिकरण, प्राधिकारी, विभाग, निरीक्षणालय, मंत्री, मंत्रालय या व्यक्ति शामिल हैं।

“**महाराष्ट्र सरकार**” में महाराष्ट्र राज्य सरकार तथा उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण या निर्देशाधीन विधिवत् प्राधिकृत अभिकरण, प्राधिकारी, विभाग, निरीक्षणालय, मंत्री, मंत्रालय या व्यक्ति शामिल हैं।

“**उत्तम उद्योग पद्धति**” का अर्थ उस कौशल, तत्परता और सावधानी का प्रयोग है जिसकी समान प्रकार के उपक्रम में लगे कुशल और अनुभवी परिचालक से उचित एवं सामान्य रूप से अपेक्षा की जाती है। आईएसएपीएल के संबंध में इसमें विमानपत्तन निर्माण हेतु विमानपत्तन परिचालकों द्वारा सामान्यतः अपनाए जाने वाले मानक तथा परिचालन और रखरखाव हेतु प्रचलित पद्धतियाँ शामिल हैं; तथापि परिचालन कार्मिकों की नियोजन-शर्तें, लागू विधि से असंगत पद्धतियाँ और सीएनएस/एटीएम समझौते के अधीन एएआई द्वारा परिचालित एवं अनुरक्षित प्रणालियाँ या उपकरण इससे अपवर्जित हैं।

“**सरकारी निकाय**” का अर्थ सरकार का कोई विभाग, प्रभाग या उपप्रभाग है; इसमें आयोग, बोर्ड, प्राधिकारी, अभिकरण, नगरपालिका, अन्य स्थानीय प्राधिकारी अथवा पंचायत सहित सांविधिक निकाय शामिल है, जो यथास्थिति भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार के नियंत्रण में हो और परियोजना अथवा इस समझौते के अधीन आईएसएपीएल की किसी सेवा या दायित्व पर अधिकारिता रखता हो।

“**आईसीएओ**” का अर्थ शिकागो अभिसमय द्वारा गठित अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अथवा उसका उत्तराधिकारी है।

“**स्वतंत्र इंजीनियर**” का अर्थ वित्तपोषण समझौतों के अनुसार ऋणदाताओं द्वारा नियुक्त स्वतंत्र इंजीनियर है।

“**स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण**” अथवा “**आईआरए**” का अर्थ विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण या विमानपत्तन गतिविधियों के किसी पहलू का विनियमन करने हेतु स्थापित अन्य विनियामक प्राधिकरण है, बशर्ते वह या तो कार्यपालिका आदेश से स्थापित हो और उसका कार्यकरण एमआईडीसी के नियंत्रण में न हो, अथवा संसद के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए अध्यादेश या नियम से स्थापित हो।

“**प्रारंभिक चरण**” का अर्थ अनुसूची 2 में वर्णित सुविधाओं की अभिकल्पना, वित्तपोषण, निर्माण, पूर्णता और चालू करना है।

“**अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन**” का अर्थ ऐसा विमानपत्तन है जो भारत स्थित संबंधित विमानपत्तन से भारत के बाहर उद्गम या गंतव्य वाले किसी स्थान तक वाणिज्यिक रूप से परिचालित विमान सेवा प्रदान करता हो।

“**भूमि प्रीमियम**” का अर्थ स्थल के लिए सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित और एमआईडीसी द्वारा स्वीकार की गई प्रति हेक्टेयर ₹7,96,163.86 की राशि है।

“**भूमि पट्टा विलेख**” का अर्थ वह दस्तावेज या लिखत है जिसके अनुसार एमआईडीसी स्थल में अपना पट्टाधिकार और हित आईएसएपीएल को प्रदान करेगा; उसका प्रारूप संलग्नक 2 में है।

“**ऋणदाता**” का अर्थ वे बैंक, वित्तीय संस्थाएँ, बहुपक्षीय ऋण एजेंसियाँ, न्यास, निधियाँ तथा डिबेंचर या नोट धारकों के एजेंट या न्यासी, उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी हैं, जिन्होंने परियोजना लागत के पूरे या किसी भाग के लिए वित्तपोषण समझौते के अधीन आईएसएपीएल को वित्त उपलब्ध कराने अथवा उसकी गारंटी देने पर सहमति दी है और आईएसएपीएल की परिसंपत्तियों, अधिकारों, स्वत्व तथा हितों पर समान-क्रम का प्रभार रखते हैं।

“**मास्टर प्लान**” का अर्थ आईएसएपीएल द्वारा तैयार और संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विमानपत्तन का मास्टर प्लान है।

“**महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव**” का अर्थ ऐसे कार्य या घटना का प्रभाव है जो किसी पक्षकार की इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार अपने दायित्व निभाने की क्षमता पर सारवान प्रतिकूल असर डाले तथा किसी पक्षकार पर महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ या हानि उत्पन्न करे।

“**एमआईडीसी**” का अर्थ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1961 के अधीन गठित निगम है।

“**आईएसएपीएल की चूक की घटना**” का अर्थ खंड 17.3.1 में दिया गया अर्थ है।

“**गैर-विमानपत्तन गतिविधियाँ**” का अर्थ विमानपत्तन पर या उसके संबंध में अनुसूची 3 के भाग 2 में निर्दिष्ट सेवाओं का प्रावधान है।

“**पक्षकार**” का अर्थ संदर्भानुसार एमआईडीसी अथवा आईएसएपीएल और इस समझौते के अनुसार उसके उत्तराधिकारी तथा अनुमत समनुदेशिनी हैं; “**पक्षकारों**” का अर्थ उसी अनुसार लगाया जाएगा।

“**निष्पादन प्रतिभूति**” का अर्थ खंड 9.1 में दिया गया अर्थ है।

“**व्यक्ति**” में, संदर्भानुसार, कोई प्राकृतिक अथवा विधिक व्यक्ति, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार या एमआईडीसी शामिल है।

“**निजी प्रवर्तक**” का अर्थ आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड और शेयरधारक समझौते के अनुसार समय-समय पर सहमत अन्य पक्षकार हैं।

“**परियोजना**” अथवा “**विमानपत्तन परियोजना**” का अर्थ विमानपत्तन की अभिकल्पना, वित्तपोषण, निर्माण, पूर्णता, चालू करना, रखरखाव, परिचालन, प्रबंधन और विकास है।

“**परियोजना समझौते**” का सामूहिक अर्थ यह समझौता, इंजीनियरिंग, प्रापण, निर्माण, परिचालन एवं रखरखाव की संविदाएँ और परियोजना से संबंधित अन्य समझौते या संविदाएँ हैं जिन्हें आईएसएपीएल ने किया है या करेगा; वित्तपोषण समझौते इससे अपवर्जित हैं।

“**परियोजना परिसंपत्तियाँ**” का अर्थ स्थल से संबंधित और उसका भाग बनने वाली सभी भौतिक तथा अन्य परिसंपत्तियाँ हैं, जिनमें अगले पृष्ठ पर सूचीबद्ध मदें सम्मिलित हैं।

“**परियोजना परिसंपत्तियाँ**” – जारी:

(क) स्थल में, उस पर, उसके ऊपर और नीचे के सभी अधिकार, मार्गाधिकार और हित;

(ख) सभी मूर्त परिसंपत्तियाँ, जैसे सिविल कार्य और उपकरण, जिनमें नींव, तटबंध, पक्की सतह, इंटरचेंज, पुल, जल-निकासी, विद्युत प्रणालियाँ, संचार प्रणालियाँ, शुल्क-संग्रह प्रणालियाँ, विश्राम क्षेत्र, राहत केंद्र, रखरखाव डिपो और प्रशासनिक कार्यालय शामिल हैं;

(ग) स्थल पर स्थित परियोजना परिसंपत्तियाँ;

(घ) गैर-विमानपत्तन गतिविधियों का भाग बनने वाली स्थावर एवं जंगम सुविधाएँ अथवा संरचनाएँ;

(ङ) परियोजना समझौतों के अधीन आईएसएपीएल के अधिकार;

(च) प्राप्य राशियाँ, प्रतिभूति जमा जैसी वित्तीय परिसंपत्तियाँ;

(छ) बीमा-प्राप्त राशियाँ; और

(ज) परियोजना से संबंधित लागू अनुज्ञाएँ और प्राधिकार।

**“परियोजना पूर्णता कार्यक्रम”** का अर्थ अनुसूची 12 में निर्धारित चरणबद्ध परियोजना पड़ाव हैं, जिनके अनुसार विमानपत्तन को लक्ष्य पूर्णता तिथि तक या उससे पहले पूरा किया जाएगा।

**“परियोजना पड़ाव”** का अर्थ अनुसूची 12 में निर्धारित पड़ाव हैं।

**“प्रस्ताव देय तिथि”** का अर्थ 30 जून 2008 को दोपहर 1:00 बजे है।

**“संबंधित प्राधिकारी”** में भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, एमआईडीसी, एएआई, डीजीसीए, बीसीएस, गृह मंत्रालय का आप्रवासन विभाग, वित्त मंत्रालय का सीमा-शुल्क विभाग और लागू विधियों द्वारा सशक्त उनके किसी उपविभाग या सरकारी निकाय अथवा अन्य प्राधिकारी शामिल हैं।

**“आरक्षित गतिविधियाँ”** का अर्थ वे कार्य और गतिविधियाँ हैं जिन्हें अनुच्छेद 11.3 और 11.6 सहित इस समझौते के अनुसार संबंधित प्राधिकारी विमानपत्तन पर करेगा।

**“सुरक्षा अपेक्षाएँ”** का अर्थ अनुच्छेद 13 में दिया गया अर्थ है।

**“प्रतिभूति”** में कोई बंधक, गिरवी, धारणाधिकार, प्रतिभूति हित, अन्य प्रभार या बाध्यता और लगभग समान आर्थिक प्रभाव वाली कोई अन्य सहमति अथवा व्यवस्था शामिल है।

**“सेवा प्रदाता अधिकार”** का अर्थ अनुच्छेद 3.1 के अनुसार आईएसएपीएल अथवा सेवा प्रदाता अधिकार धारक द्वारा दिया गया कोई विशेषाधिकार, अधिकार, फ्रेंचाइज़, पट्टा, अन्य अधिकार अथवा उप-अधिकार है।

**“सेवा प्रदाता अधिकार धारक”** का अर्थ समय-समय पर कोई सेवा प्रदाता अधिकार रखने वाला व्यक्ति है।

**“स्थल”** का अर्थ वह भूमि है जिसमें भूमि पट्टा विलेख के अनुसार आईएसएपीएल का पट्टाधिकार है या होगा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 260 हेक्टेयर (642 एकड़) है और जिसके भीतर, नीचे तथा ऊपर विमानपत्तन का निर्माण किया जाना है।

**“एसपीवी”** का अर्थ आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है।

**“एसपीए”** अथवा “विशेष नियोजन प्राधिकरण” का अर्थ स्थल के लिए एमआईडीसी है।

“विनिर्देश” का अर्थ अनुसूची 2 में निर्धारित विमानपत्तन निर्माण के विनिर्देश हैं।

“मानक” का अर्थ अनुसूची 8 में निर्धारित विमानपत्तन के परिचालन और रखरखाव के निष्पादन मानक हैं।

“सफल बोलीदाता” का अर्थ आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड है।

“कर” अथवा “करों” में सभी कर, लेवी, उपकर, शुल्क, प्रभार, कटौतियाँ और स्रोत पर रोक शामिल हैं जो अधिरोपित, उद्गृहीत, एकत्रित, रोकी अथवा निर्धारित की गई हों या की जानी हों; साथ में उनसे उत्पन्न ब्याज, दंड, प्रभार या अन्य देयताएँ भी शामिल हैं।

“निलंबन” का अर्थ इस समझौते के पर्यवसान की कार्रवाई है।

“कुल भूमि प्रीमियम” का अर्थ इस समझौते की शर्तों के अनुसार आईएसएपीएल द्वारा एमआईडीसी को देय ₹20,70,10,401 की राशि है, जिसकी गणना भूमि प्रीमियम और स्थल के हेक्टेयर क्षेत्रफल के गुणनफल के रूप में की गई है।

“अंतरण तिथि” वह तिथि है जिस दिन अनुच्छेद 17.8 के अनुसार आईएसएपीएल विमानपत्तन का विधिक और लाभकारी स्वामित्व एमआईडीसी अथवा उसके नामिती को अंतरित करके उसका कब्जा सौंपता है।

“कार्य” का अर्थ प्रारंभिक चरण और/या किसी विस्तार की अभिकल्पना, निर्माण, पूर्णता, चालू करने अथवा विकास के संबंध में किए जाने वाले कार्य हैं।

## 1.2 व्याख्या

इस समझौते में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

1.2.1 संसद के किसी अधिनियम, उसकी धारा, अनुसूची अथवा अन्य उपबंध का उल्लेख उसके समय-समय पर प्रभावी संशोधन, विस्तार या पुनः अधिनियमन तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, आदेशों और विनियमों का उल्लेख भी है।

1.2.2 “निर्णय” में किसी न्यायालय, अधिकरण या न्यायाधिकरण का आदेश, व्यादेश, निर्धारण, डिक्री अथवा अन्य अंतिम और बाध्यकारी निर्णय शामिल है।

1.2.3 “विधि” में भारत का संविधान तथा कोई डिक्री, निर्णय, विधान, निर्देश, आदेश, अध्यादेश, विनियम, उपविधि, राज्य अधिनियम, अधिसूचना, परिपत्र, मार्गदर्शिका, नियम, सांविधिक लिखत या ऐसा अन्य विधायी उपाय शामिल है जिसका आईएसएपीएल को विधि के अनुसार पालन करना आवश्यक हो; “विधिसम्मत” और “विधिविरुद्ध” का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

1.2.4 एकवचन में बहुवचन और बहुवचन में एकवचन सम्मिलित हैं।

1.2.5 किसी दिन का अर्थ कैलेंडर दिवस है।

1.2.6 किसी तिथि, अवधि या परियोजना पड़ाव का उल्लेख इस समझौते के अनुसार बढ़ाई गई तिथि, अवधि या पड़ाव को भी शामिल करता है।

1.2.7 किसी अनुच्छेद, पैरा, उपपैरा, अनुसूची या संलग्नक का उल्लेख, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस समझौते के उसी अनुच्छेद, पैरा, उपपैरा, अनुसूची या संलग्नक का उल्लेख है।

1.2.8 शीर्षक केवल सुविधा के लिए दिए गए हैं और इस समझौते के निर्वचन में उनकी उपेक्षा की जाएगी।

1.2.9 अनुसूचियों में परिभाषित शब्दों का इस समझौते में अन्यत्र उपयोग होने पर वही अर्थ होगा।

1.2.10 अनुसूचियाँ इस समझौते का भाग हैं और उसी प्रकार प्रभावी हैं मानो उनके उपबंध समझौते के मुख्य पाठ में स्पष्ट रूप से लिखे गए हों।

1.2.11 किसी समझौते, विलेख, लिखत, अनुज्ञप्ति, संहिता या अन्य दस्तावेज का उल्लेख, संबंधित समय पर उसमें किए गए संशोधन, परिवर्तन, अनुपूरण, निलंबन या नवीयन सहित होगा।

1.2.12 “लिखित” और “लिखित रूप में” में प्रतिलिपि की पुष्टि सहित फैक्स संप्रेषण तथा शब्दों को स्पष्ट और स्थायी दृश्य रूप में पुनरुत्पादित करने का कोई अन्य साधन सम्मिलित है।

1.2.13 “सम्मिलित” और “सम्मिलित करते हुए” को सीमा-रहित अर्थ में पढ़ा जाएगा और उनके बाद “बिना किसी सीमा के” शब्द माने जाएँगे, चाहे वे लिखे हों या नहीं।

1.2.14 “निर्माण” में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, जाँच, अभिकल्पना, विकास, इंजीनियरिंग, प्रापण, सुपुर्दगी, परिवहन, संस्थापन, प्रसंस्करण, निर्माण-संयोजन, परीक्षण, चालू करना और निर्माण से संबद्ध अन्य गतिविधियाँ सम्मिलित हैं; “निर्माण करना” का अर्थ तदनुसार होगा।

1.2.15 “विकास” में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निर्माण, नवीकरण, पुनर्संरचना, संवर्धन, उन्नयन और उनसे संबद्ध अन्य गतिविधियाँ सम्मिलित हैं; “विकसित करना” का अर्थ तदनुसार होगा।

1.2.16 अनुच्छेदों और अनुसूचियों में अस्पष्टता या असंगति होने पर अनुच्छेद प्रभावी होंगे।

भाग II  
अधिकारों की मान्यता

## अनुच्छेद 2

### 2 परियोजना का दायरा

#### 2.1 परियोजना के दायरे में निम्न शामिल होंगे:

- (क) इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार स्थल पर विमानपत्तन का विकास और निर्माण;
- (ख) इस समझौते के अनुसार विमानपत्तन का परिचालन और रखरखाव तथा विमानपत्तन और गैर-विमानपत्तन गतिविधियों का निष्पादन; और
- (ग) इस समझौते के अनुसार आईएसएपीएल के सभी दायित्वों का पालन और निर्वहन तथा उनसे आनुषंगिक या उनके पालन के लिए आवश्यक अन्य कार्य।

## अनुच्छेद 3

### 3 पक्षकारों के अधिकार

#### 3.1 अधिकारों की मान्यता

लागू विधियों के अधीन और इस समझौते के अनुसार एमआईडीसी मान्यता देता है कि आईएसएपीएल निम्न कार्य कर सकता है:

- (क) विमानपत्तन के विकास, निर्माण, रखरखाव और परिचालन से संबंधित या आनुषंगिक कोई गतिविधि या कारोबार जिसे आईएसएपीएल उपयुक्त समझे; इसमें उन गतिविधियों के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक अवसंरचना सेवाएँ शामिल हैं;
- (ख) विमानपत्तन पर विमानों, यात्रियों, सामान, कार्गो अथवा डाक के आगमन, प्रस्थान और/या प्रबंधन से संबंधित कोई गतिविधि या कारोबार; और
- (ग) स्थल के विकास या विमानपत्तन के परिचालन से संबंधित तथा राजस्व उत्पन्न करने वाली कोई गतिविधि या कारोबार। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, सम्मेलन स्थल, बैठक सुविधाएँ, व्यापार केंद्र, व्यापार मेले, अचल संपत्ति, थीम पार्क, मनोरंजन आर्केड, गोल्फ कोर्स, अन्य अवकाश और मनोरंजन सुविधाएँ, बैंक, मुद्रा विनिमय तथा शॉपिंग मॉल जैसे वाणिज्यिक उपक्रमों का विकास शामिल है।

इस अनुच्छेद के अधीन अधिकारों के प्रयोग हेतु आईएसएपीएल इस समझौते के निबंधनों के अनुसार किसी व्यक्ति को समय-समय पर सेवा प्रदाता अधिकार, जिनमें आगे उप-अधिकार देने का अधिकार भी हो सकता है, युक्तियुक्त रूप से उपयुक्त शर्तों पर प्रदान कर सकता है। यह व्यवस्था इस समझौते के ढाँचे के भीतर और इसकी शर्तों के अनुरूप होगी। जहाँ लागू विधि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सुरक्षा स्वीकृति अपेक्षित करती है, वहाँ सेवा प्रदाता अधिकार धारक आवश्यक और उचित सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त करेगा।

आईएसएपीएल द्वारा सेवा प्रदाता अधिकार प्रदान करने से वह इस समझौते के अधीन अपनी किसी जिम्मेदारी, कर्तव्य अथवा दायित्व से मुक्त नहीं होगा।

#### 3.2 भूमि प्रीमियम का भुगतान

पक्षकार सहमत हैं कि अनुच्छेद 3.1 में अधिकारों की मान्यता के प्रतिफल में आईएसएपीएल ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करते समय कुल भूमि प्रीमियम का 50 प्रतिशत एमआईडीसी को दिया है। शेष ₹10,35,05,200.50, जो कुल भूमि प्रीमियम का 50 प्रतिशत है, एमआईडीसी द्वारा अनुच्छेद 6.1 (क) के अनुसार स्थल का कब्जा आईएसएपीएल को सौंपे जाने पर देय होगा।

स्थल सौंपे जाने से पहले यदि आईएसएपीएल को स्थल के क्षेत्रफल और समझौते में उल्लिखित क्षेत्रफल में अंतर दिखे, तो देय शेष कुल भूमि प्रीमियम स्थल के वास्तविक क्षेत्रफल के अनुपात में समायोजित होगा।

परंतु ऐसा अंतर आरएफपी दस्तावेज में दर्शाए गए क्षेत्रफल को 2 प्रतिशत से अधिक कम नहीं करेगा और 11 हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त क्षेत्रफल, यदि हो, तो उसे पृथक रूप से गणना में लिया जाएगा।

## अनुच्छेद 4

### 4 पूर्ववर्ती शर्तें

#### 4.1 परियोजना की पूर्ववर्ती शर्तें

इस समझौते के अनुच्छेद 1, 6, 18, 20 और 22, जो समझौते की तिथि से पक्षकारों पर बाध्यकारी हैं, को छोड़कर अन्य उपबंध उस तिथि से प्रभावी और बाध्यकारी होंगे जिस दिन इस अनुच्छेद की पूर्ववर्ती शर्तें संबंधित पक्षकार पूरे करेंगे।

(क) एमआईडीसी द्वारा पूरी की जाने वाली पूर्ववर्ती शर्तें तब पूरी मानी जाएंगी जब वह, अनुच्छेद 4.2.2 के अधीन, समझौते की तिथि से अठारह (18) माह के भीतर स्थल से बिजली की लाइनें, पानी के पाइप और टेलीफोन केबल हटाकर तथा स्थल के भीतर से गुजरने वाले नाले को उपयुक्त स्थान या संरक्षण पर मोड़कर, स्थल को सभी प्रभारों से मुक्त रूप में आईएसएपीएल को सौंप देगा।

(ख) आईएसएपीएल द्वारा पूरी की जाने वाली पूर्ववर्ती शर्तें तब पूरी मानी जाएंगी जब वह, अनुच्छेद 4.3.2 के अधीन, समझौते की तिथि से अठारह (18) माह के भीतर:

(i) परियोजना के लिए एमओसीए/डीजीसीए/एएआई से आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त करेगा;

(ii) पर्यावरण और वन मंत्रालय से आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त करेगा;

(iii) मास्टर प्लान तैयार करेगा और संबंधित प्राधिकारी से उसका अनुमोदन प्राप्त करेगा; तथा

(iv) एमआईडीसी को निष्पादन प्रतिभूति देगा।

(v) सफल बोलीदाता से अनुच्छेद 7 में निर्दिष्ट अभ्यावेदनों और वारंटियों की शुद्धता की पुष्टि करने वाला प्रमाणपत्र एमआईडीसी को देगा;

(vi) इस समझौते में प्रवेश करने के आईएसएपीएल के अधिकार और उसके प्रावधानों की प्रवर्तनीयता के संबंध में आईएसएपीएल के विधिक सलाहकार की विधिक राय एमआईडीसी को देगा; और

(vii) संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान तथा निर्माण कार्यक्रम, मध्यवर्ती निर्माण पड़ावों और स्थल पर की जाने वाली विमानपत्तन तथा गैर-विमानपत्तन गतिविधियों का विस्तृत विकास प्लान एमआईडीसी को देगा। विकास प्लान अनुसूची 12 के परियोजना पूर्णता कार्यक्रम के अनुरूप होगा।

## 4.2 पूर्ववर्ती शर्तें पूरी करने के दायित्व

4.2.1 आईएसएपीएल अनुच्छेद 4.1(ख) की सभी पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने के लिए सभी युक्तियुक्त प्रयास करेगा।

4.2.2 एमआईडीसी अनुच्छेद 4.1(क) की पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने के लिए सभी युक्तियुक्त प्रयास करेगा।

## 4.3 पूर्ववर्ती शर्तों की अपूर्ति

4.3.1 अपूर्ति पर समाप्ति: यदि अनुच्छेद 4.1 की पूर्ववर्ती शर्तें इस समझौते की तिथि से अठारह (18) माह के भीतर पूरी या अधित्यक्त नहीं की गई हों, तो आईएसएपीएल अथवा एमआईडीसी, अनुच्छेद 4.3.2 के अधीन, चूक करने वाले पक्षकार को इक्कीस (21) दिन की लिखित सूचना देकर यह समझौता समाप्त कर सकता है। सूचना अवधि समाप्त होने पर समझौता समाप्त माना जाएगा।

4.3.2 पूर्ति की समय-सीमा का विस्तार: अनुच्छेद 4.3.1 की तिथि से पहले पक्षकार लिखित पारस्परिक सहमति से पूर्ववर्ती शर्तों की पूर्ति या उनके अधित्याग की समय-सीमा सहमत अवधि तक बढ़ा सकते हैं।

## 4.4 प्रभावी तिथि

यह समझौता उस तिथि से प्रभावी होगा जिस दिन पक्षकार पूर्ववर्ती शर्तें पूरी करें अथवा उनका अधित्याग करें।

## 4.5 पूर्ववर्ती शर्तों की अपूर्ति पर भुगतान

यदि आईएसएपीएल द्वारा पूर्ववर्ती शर्तें पूरी न करने के कारण यह समझौता समाप्त होता है, तो एमआईडीसी को ₹2,50,00,000, जो निष्पादन प्रतिभूति के बराबर है, अपने पास रखने का अधिकार होगा। एमआईडीसी यह राशि यथास्थिति बोली प्रतिभूति या निष्पादन प्रतिभूति को जब्त करके विनियोजित करेगा और शेष राशि, यदि हो, आईएसएपीएल से प्राप्त कुल भूमि प्रीमियम से विनियोजित करेगा।

परंतु यदि उपर्युक्त तरीके से एमआईडीसी को पूरा भुगतान नहीं होता, तो शेष राशि आईएसएपीएल द्वारा देय होगी।

यदि एमआईडीसी द्वारा पूर्ववर्ती शर्तें पूरी न करने के कारण समझौता समाप्त होता है, तो एमआईडीसी बोली प्रतिभूति अथवा निष्पादन प्रतिभूति, जैसी स्थिति हो, और कुल भूमि प्रीमियम के रूप में प्राप्त राशि आईएसएपीएल को बिना ब्याज लौटाएगा। इसके अतिरिक्त एमआईडीसी आईएसएपीएल को वह राशि भी देगा जो सफल बोलीदाता ने परियोजना विकास व्यय के रूप में एमआईडीसी और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव को दी थी।

## अनुच्छेद 5

### 5 आईएसएपीएल के दायित्व

#### 5.1 आईएसएपीएल के दायित्व

5.1.1 इस समझौते के निबंधनों और शर्तों के अधीन आईएसएपीएल अपने खर्च पर परियोजना हेतु वित्त की व्यवस्था करेगा, उसकी अभिकल्पना, इंजीनियरिंग, निर्माण, परिचालन और रखरखाव करेगा तथा इस समझौते में निर्धारित या इसके अधीन उत्पन्न सभी दायित्वों का पालन करेगा।

5.1.2 आईएसएपीएल अपने दायित्वों के पालन में सभी लागू विधियों और लागू अनुज्ञाओं का, आवश्यक नवीनीकरण सहित, अनुपालन करेगा। परियोजना के संबंध में एमआईडीसी को पहले से जारी अनुज्ञाओं को आवश्यकतानुसार अपने नाम नवीनीकृत और अंतरित कराना भी आईएसएपीएल का दायित्व होगा।

5.1.3 खंड 5.1.1 और 6.1.2 के अधीन आईएसएपीएल उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार तथा युक्तियुक्त और सावधान व्यक्ति की तरह अपने दायित्व निभाएगा।

5.1.4 इस समझौते के अन्य दायित्वों के अतिरिक्त, आईएसएपीएल अपने खर्च पर:

(क) लागू अनुज्ञाएँ प्राप्त करने के लिए संबंधित सरकारी निकायों को अपेक्षित रूप और विवरण में आवेदन करेगा या करवाएगा, और लागू विधियों के अनुसार उन्हें प्रभावी रखने का प्रयास करेगा;

(ख) संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत दस्तावेजों, आवेदनों और मास्टर प्लान सहित योजनाओं की प्रतियाँ प्रस्तुत किए जाने के 15 दिनों के भीतर एमआईडीसी को देगा;

(ग) स्थल पर भवनों और संरचनाओं के निर्माण के लिए एमआईडीसी से आवश्यक विनियामक अनुमोदन और अनुमतियाँ प्राप्त करेगा; और

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल के सभी भवन और संरचनाएँ हर समय एमआईडीसी के विकास नियंत्रण नियमों के अनुरूप हों और उनका तल-क्षेत्र सूचकांक (एफएसआई) निर्धारित सीमा के भीतर रहे।

(ङ) हवाईअड्डा परियोजना में प्रयुक्त या समाहित सामग्रियों, विधियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के लिए आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्वामित्व अधिकार, लाइसेंस, समझौते और अनुमतियाँ प्राप्त करेगा।

(च) परियोजना के लिए अपेक्षित वित्त की व्यवस्था करेगा;

(छ) वित्तपोषण समझौतों के अधीन अपने सभी दायित्वों का पालन करेगा;

(ज) इस समझौते के दायित्वों के पालन में स्वयं या संविदाकारों द्वारा नियोजित कार्मिकों के बीच सौहार्द और अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने के युक्तियुक्त प्रयास करेगा;

(झ) सुनिश्चित करेगा कि उसके संविदाकार आईएसएपीएल के दायित्व निभाते समय सभी लागू अनुज्ञाओं और विधियों का अनुपालन करें;

(ञ) ऐसा कोई कार्य न करेगा और न होने देगा जो इस समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन हो;

(ट) इस समझौते के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन और परिचालन में एमआईडीसी को सहयोग और सहायता देगा; तथा

(ठ) समझौते की समाप्ति पर उसके प्रावधानों के अनुसार परियोजना एमआईडीसी को अंतरित करेगा।

5.1.5 आईएसएपीएल अनुसूची 12 के परियोजना पूर्णता कार्यक्रम के अनुसार विमानपत्तन का निर्माण करेगा। यदि वह किसी परियोजना पड़ाव को निर्धारित तिथि से नब्बे (90) दिनों के भीतर पूरा नहीं करता, तो-विमानपत्तन पूर्णता तिथि के पड़ाव को छोड़कर, जिस पर खंड 10.5 लागू होगा-अप्रत्याशित घटना या पूर्णतः एमआईडीसी के कारण हुई देरी के अलावा, वह पड़ाव पूरा होने तक प्रत्येक दिन के लिए निष्पादन प्रतिभूति के 0.1 प्रतिशत की दर से एमआईडीसी को क्षतिपूर्ति देगा। यदि इस समझौते के अनुसार अन्य परियोजना पड़ाव या विमानपत्तन पूर्णता तिथि बढ़ाई जाए, तो अनुसूची 12 की तिथियाँ उसी अनुसार संशोधित मानी जाएँगी। परंतु विमानपत्तन पूर्णता लक्ष्य तिथि तक विमानपत्तन पूर्णता तिथि प्राप्त होने पर एमआईडीसी इस खंड के अधीन प्राप्त क्षतिपूर्ति बिना ब्याज लौटाएगा। ऐसी वसूली एमआईडीसी के समाप्ति सहित अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

5.1.6 आईएसएपीएल विमानपत्तन को एयरलाइन कंपनियों के समक्ष प्रोत्साहित और विपणित करने के सर्वोत्तम प्रयास करेगा तथा विमानपत्तन पूर्णता तिथि के बाद यथाशीघ्र वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने का प्रयास करेगा।

## 5.2 परियोजना समझौतों से संबंधित दायित्व

परियोजना समझौतों अथवा किसी अन्य समझौते के किसी प्रावधान के बावजूद इस समझौते के सभी दायित्वों के लिए आईएसएपीएल हर समय उत्तरदायी और देय रहेगा। किसी परियोजना समझौते या अन्य समझौते में चूक उसे यहाँ के किसी दायित्व या देयता से मुक्त नहीं करेगी।

## 5.3 स्वामित्व में परिवर्तन

5.3.1 आईएसएपीएल इस समझौते और लागू विधि में अनुमत स्थिति के सिवा स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और न होने देगा।

5.3.2 इस समझौते में विपरीत किसी बात के बावजूद आईएसएपीएल स्वीकार करता है कि:

(क) किसी अधिग्रहणकर्ता द्वारा स्वयं या समान उद्देश्य से कार्यरत व्यक्तियों के साथ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इकिटी के विधिक या लाभकारी स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अंतरण सहित, आईएसएपीएल की कुल इकिटी के कम से कम 15 प्रतिशत का अधिग्रहण; और

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं या समान उद्देश्य से कार्यरत अन्य व्यक्तियों के साथ आईएसएपीएल के निदेशक मंडल पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण प्राप्त करना, राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकहित के दृष्टिकोण से एमआईडीसी की पूर्व स्वीकृति के अधीन होगा। इस विषय में एमआईडीसी का निर्णय अंतिम, निर्णायक और आईएसएपीएल पर बाध्यकारी होगा। आईएसएपीएल उस पूर्व स्वीकृति के बिना इकिटी या मंडल नियंत्रण का ऐसा अधिग्रहण प्रभावी नहीं होने देगा। एमआईडीसी शीघ्र निर्णय देने का प्रयास करेगा। स्वीकृति देने या न देने के कारण एमआईडीसी पर कोई देयता नहीं आएगी और इससे आईएसएपीएल के इस समझौते के दायित्व कम नहीं होंगे।

खंड 5.3.2 के प्रयोजनों के लिए:

- (क) इस खंड के लिए “अधिग्रहणकर्ता”, “नियंत्रण” और “समान उद्देश्य से कार्यरत व्यक्ति” के अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम, 1997 अथवा उस समय लागू पुनः अधिनियमन के अनुसार होंगे।
- (ख) इक्विटी के विधिक या लाभकारी स्वामित्व का अप्रत्यक्ष अंतरण भारत या विदेश में स्थित किसी कंपनी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभकारी स्वामित्व या नियंत्रण श्रृंखला के उस अंतरण को भी शामिल करता है जिसके परिणामस्वरूप आईएसएपीएल के शेयरों या मतदान अधिकारों पर नियंत्रण प्राप्त हो।
- (ग) आईएसएपीएल की कम से कम 15 प्रतिशत इक्विटी पर अंततः नियंत्रण रखने वाली कंपनी के निदेशक मंडल के कम से कम आधे निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भी आईएसएपीएल के निदेशक मंडल पर नियंत्रण का अधिग्रहण मानी जाएगी।

#### 5.4 विदेशी कार्मिकों का नियोजन

आईएसएपीएल, उसके संविदाकारों और उप-संविदाकारों द्वारा विदेशी कार्मिकों का नियोजन सभी अपेक्षित विनियामक अनुमतियों और स्वीकृतियों, रोजगार/निवास वीज़ा और कार्य परमिट के अधीन होगा। उनके लिए आवेदन करना और उन्हें प्राप्त करना सदैव आईएसएपीएल का दायित्व रहेगा। ऐसी अनुमति या स्वीकृति न मिलना अप्रत्याशित घटना नहीं होगी और आईएसएपीएल को इस समझौते के दायित्वों या देयताओं से मुक्त नहीं करेगा।

#### 5.5 प्रशिक्षित कार्मिकों का नियोजन

आईएसएपीएल सुनिश्चित करेगा कि समझौते के दायित्वों के पालन में उसके लगाए गए कार्मिक अपने संबंधित कार्यों के लिए हर समय उचित रूप से प्रशिक्षित हों।

#### 5.6 सुरक्षा स्वीकृति

आईएसएपीएल तथा उसके संविदाकारों और उप-संविदाकारों के कर्मचारी और कार्मिक लागू विधि के अधीन अपेक्षित सुरक्षा स्वीकृति के अधीन रहेंगे। केवल ऐसी स्वीकृति प्राप्त कार्मिकों को स्थल में प्रवेश दिया जाएगा। अनुमति या स्वीकृति न मिलना अप्रत्याशित घटना नहीं होगी और आईएसएपीएल के दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा। यह प्रावधान गैर-विमानपत्तन गतिविधियों का भाग बनने वाले स्थल पर लागू नहीं होगा।

#### 5.7 दिव्यांग और वृद्ध व्यक्तियों के लिए सुविधाएँ

आईएसएपीएल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों या उनके प्रतिस्थापन के अनुसार विमानपत्तन का उपयोग करने वाले दिव्यांग और वृद्ध व्यक्तियों के लिए बाधा-मुक्त वातावरण उपलब्ध कराएगा।

#### 5.8 स्थानीय संस्कृति का निरूपण

आईएसएपीएल परियोजना के कार्यान्वयन और विशेष रूप से टर्मिनल भवन की अभिकल्पना में यथासंभव क्षेत्र की स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करेगा।

## 5.9 परियोजना की ब्रांडिंग

परियोजना या उसका कोई भाग ऐसी ब्रांडिंग नहीं करेगा जिससे आईएसएपीएल या उसके शेयरधारकों का नाम प्रतिकूल रूप से परिलक्षित हो, सिवाय सामान्य कारोबार में आवश्यक उपयोग के। आईएसएपीएल सार्वजनिक सूचनाओं के लिए निर्धारित स्थान पर अपना नाम दिखा सकता है। विमानपत्तन का नाम, प्रचार, प्रदर्शन और विज्ञापन “सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट” के नाम से होगा।

## अनुच्छेद 6

### 6 एमआईडीसी के दायित्व

#### 6.1 एमआईडीसी के दायित्व

6.1.1 एमआईडीसी अपने खर्च पर इस समझौते के सभी दायित्वों का पालन करेगा। वह अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण और निर्देशाधीन किसी सांविधिक निकाय को ऐसा कार्य करने का निर्देश नहीं देगा जो, यदि एमआईडीसी स्वयं करे, तो इस समझौते का उल्लंघन हो।

6.1.2 आईएसएपीएल, उसके शेयरधारक या उनके संविदाकार, सेवक या एजेंट द्वारा आवेदन तथा लागू विधि के अनुपालन के अधीन, एमआईडीसी अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने वाली और परियोजना के लिए अपेक्षित स्वीकृतियाँ यथाशीघ्र दिलाने का प्रयास करेगा। संबद्ध आवेदन पूर्ण रूप में प्रस्तुत होने के पैंतालीस (45) दिनों अथवा लागू विधि की अवधि में जो पहले हो, उसका प्रयास होगा। एमआईडीसी भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार से अपेक्षित परियोजना स्वीकृतियाँ लेने में आईएसएपीएल की सहायता भी करेगा।

6.1.3 एमआईडीसी अपने खर्च पर प्रभावी तिथि से छह (6) माह के भीतर स्थल की सीमा तक प्रतिदिन 10,000 (दस हजार) लीटर पानी आपूर्ति करने की क्षमता वाला जल-संपर्क उपलब्ध कराएगा और एमआईडीसी की दरों पर आईएसएपीएल को पानी देगा। विमानपत्तन पूर्णता तिथि से पाँच वर्ष बाद आईएसएपीएल अधिक क्षमता का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध पर एमआईडीसी आईएसएपीएल से परामर्श करके विवरण अंतिम करेगा और 24 माह के भीतर अपने खर्च पर बढ़ी हुई जल-आपूर्ति की व्यवस्था करेगा।

6.1.4 एमआईडीसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक लागू अनुज्ञाएँ प्राप्त करने में आईएसएपीएल की सहायता करेगा।

#### 6.2 सहायता

6.2.1 एमआईडीसी परियोजना के कार्यान्वयन को स्वीकार और समर्थन देता है।

6.2.2 एमआईडीसी निजी प्रवर्तकों को आईएसएपीएल में प्रवर्तक-साझेदार नियुक्त करने और उन्हें परियोजना प्रदान करने का निर्णय, या यह समझौता, इस समझौते या लागू विधि में अनुमत स्थिति के अतिरिक्त, वापस नहीं लेगा।

6.2.3 आईएसएपीएल के शेयरधारकों और ऋणदाताओं के निवेश को देखते हुए, और उनके लागू विधि के अनुपालन के अधीन, एमआईडीसी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जो इस समझौते के विपरीत हो और जिससे वे परियोजना में अपने निवेश या आर्थिक हित से पूर्णतः या सारवान रूप से वंचित हों, सिवाय लागू विधि के अनुसार।

### 6.3 पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करना

6.3.1 आईएसएपीएल का अनुरोध प्राप्त होने पर एमआईडीसी 30 दिनों के भीतर निरीक्षण करेगा और अनुसूची 2 तथा एमआईडीसी के विकास नियंत्रण नियमों के अनुसार प्रारंभिक चरण के निर्माण का अनुपालन सत्यापित करेगा। आवश्यकताओं से संतुष्ट होने पर वह निरीक्षण पूर्ण होने के 15 दिनों के भीतर अनुसूची 10 के अनुरूप पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करेगा। यदि कोई कार्य शेष हो, तो वह निरीक्षण के 15 दिनों के भीतर उसका विवरण देते हुए सूचना देगा।

आईएसएपीएल द्वारा कार्य संतोषजनक रूप से पूरा करने पर प्रमाणपत्र जारी होगा। शेष कार्य पूरा करने से विमानपत्तन पूर्णता लक्ष्य तिथि किसी कारण से नहीं बढ़ेगी।

## अनुच्छेद 7

### 7 आईएसएपीएल के अभ्यावेदन और वारंटियाँ

#### 7.1 आईएसएपीएल एमआईडीसी को अभ्यावेदन और वारंटी देता है कि:

(क) वह भारत की विधियों के अधीन विधिवत् संगठित और वैध रूप से विद्यमान है तथा इस समझौते का निष्पादन, इसके दायित्वों का पालन और इसमें परिकल्पित लेनदेन करने की पूर्ण शक्ति और प्राधिकार रखता है;

(ख) उसने लागू विधियों के अधीन इस समझौते के निष्पादन और सुपुर्दगी तथा दायित्वों के पालन को प्राधिकृत करने के लिए सभी आवश्यक निगमीय और अन्य कार्यवाहियाँ पूरी की हैं;

(ग) उसके पास इस समझौते के अनुसार परियोजना करने की वित्तीय स्थिति और क्षमता है;

(घ) यह समझौता उसका विधिसम्मत, वैध और बाध्यकारी दायित्व है, जो इसकी शर्तों के अनुसार उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय है;

(ङ) वह भारत की विधियों के अधीन है और इस समझौते से संबंधित किसी अधिकारिता में किसी प्रतिरक्षा का स्पष्ट और अपरिवर्तनीय रूप से अधित्याग करता है;

(च) बोली में दी गई तथा इस समझौते की तिथि तक अद्यतन सूचना इस तिथि को सभी पहलुओं में सही और सटीक है; और

(छ) इस समझौते का निष्पादन, सुपुर्दगी और पालन उसके ज्ञापन या संस्था के अंतर्नियमों का उल्लंघन, किसी समझौते के अधीन चूक अथवा पालन-समय की शीघ्रता उत्पन्न नहीं करेगा।

(ज) उसके विरुद्ध किसी न्यायालय, अधिकरण, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही, वाद, मुकदमा या जाँच लंबित नहीं है अथवा उसकी जानकारी के अनुसार संभावित

नहीं है जिसका परिणाम इस समझौते का उल्लंघन या इसके दायित्वों के पालन की क्षमता में सारवान बाधा हो;

(झ) उसे किसी न्यायालय के आदेश, रिट, व्यादेश या डिक्री अथवा सरकारी निकाय के विधिक रूप से बाध्यकारी आदेश के उल्लंघन या चूक की जानकारी नहीं है जिससे दायित्वों के पालन की उसकी क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़े; और उसे ऐसी कार्यवाही को जन्म देने वाली किसी परिस्थिति की भी जानकारी नहीं है;

(ञ) उसने सभी सारवान पहलुओं में लागू विधियों का पालन किया है और वह ऐसे जुर्माने, दंड, निषेधाज्ञा या अन्य दीवानी अथवा आपराधिक देयता के अधीन नहीं रहा है जिसका सम्मिलित रूप से उसके दायित्वों के पालन पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव हो या हो सकता हो;

(ट) सफल बोलीदाता और उसकी सम्बद्ध इकाइयों के पास इस समझौते के अनुसार परियोजना और उसमें निवेश करने के लिए आवश्यक वित्तीय स्थिति, संसाधन और पूँजी है तथा ऋण जुटाने की क्षमता है;

(ठ) वह खंड 5.3 के अनुसार ही स्वामित्व में परिवर्तन करेगा या होने देगा;

(ड) सफल बोलीदाता परियोजना विकास समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि से पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि के एक (1) वर्ष बाद तक आईएसएपीएल की चुकता पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत रखेगा, और पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से पाँच (5) वर्ष पूरा होने तक कम से कम 26 प्रतिशत रखेगा; सफल बोलीदाता ने एमआईडीसी को इस आशय का वचन दिया है;

(ढ) सफल बोलीदाता अपने निगमन की अधिकारिता की विधियों के अधीन विधिवत् निगमित और वैध रूप से विद्यमान है, उसने अधिनिर्णय पत्र के अनुसार एमआईडीसी से आईएसएपीएल के साथ यह समझौता करने का अनुरोध किया है तथा इस समझौते की शर्तों को बिना शर्त स्वीकार किया है;

(ण) अंतरण तिथि पर परियोजना में आईएसएपीएल के अधिकार और हित, बिना किसी धारणाधिकार, दावे या प्रभार के, स्वतः एमआईडीसी में निहित हो जाएँगे और इसके लिए किसी अतिरिक्त विलेख या कार्य की आवश्यकता नहीं होगी; इस समझौते में स्पष्ट रूप से अनुमत स्थिति के सिवा आईएसएपीएल किसी परियोजना परिसंपत्ति को ऐसे समझौते के अधीन नहीं खरीदेगा जिसके द्वारा कोई अन्य व्यक्ति उस पर प्रतिभूति हित, धारणाधिकार या प्रभार बनाए रखे;

(त) आईएसएपीएल द्वारा एमआईडीसी या सरकारी निकाय को दी गई किसी अभ्यावेदन, वारंटी या दस्तावेज में कोई असत्य अथवा भ्रामक सारवान तथ्य नहीं है और न ऐसा सारवान तथ्य छोड़ा गया है जिसके बिना वह अभ्यावेदन या वारंटी भ्रामक हो; तथा

(थ) इस समझौते के अधीन अधिकार सुरक्षित करने या एमआईडीसी के अधिकारी या कर्मचारी को प्रभावित करने के लिए आईएसएपीएल द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति को शुल्क, कमीशन या अन्य रूप में नकद या वस्तु के रूप में कोई राशि नहीं दी गई है और न दी जाएगी।

7.1.2 आईएसएपीएल आगे अभ्यावेदन और वारंटी देता है कि इस समझौते की तिथि को:

(क) वह भारतीय विधियों के अधीन शेयरों द्वारा सीमित निजी कंपनी है जो अपने निगमन से विधिवत् गठित और निरंतर विद्यमान है; और

(ख) वह विमानपत्तन के परिचालन, प्रबंधन और उनसे आनुषंगिक गतिविधियों के अतिरिक्त किसी अन्य कारोबार में संलग्न नहीं है।

## 7.2 अनुमोदन

आईएसएपीएल परियोजना के निष्पादन हेतु लागू विधि के अधीन अपेक्षित सभी स्वीकृतियाँ और अनुमोदन, जिनमें पंजीकरण, अनुज्ञप्तियाँ और परमिट तथा आप्रवासन, अस्थायी निवास, रोजगार और कार्य संबंधी परमिट शामिल हैं, हर समय प्राप्त और प्रभावी रखेगा।

## 7.3 अस्वीकरण

7.3.1 आईएसएपीएल स्वीकार करता है कि इस समझौते के निष्पादन से पहले उसने सावधानीपूर्वक जाँच के बाद परियोजना के दायरे का स्वतंत्र मूल्यांकन किया, स्थल का भौतिक और तकनीकी आकलन किया और इस समझौते के दायित्व निभाते समय संभावित कठिनाइयों, जोखिमों और खतरों की प्रकृति और सीमा निर्धारित की।

7.3.2 आईएसएपीएल परियोजना के दायरे से संबंधित ऐसी कठिनाइयाँ, जोखिम और खतरे, जिनमें खंड 7.3.1 के विषयों में कोई अपर्याप्तता, गलती या त्रुटि शामिल हो, स्वीकार करता है। इनके लिए एमआईडीसी आईएसएपीएल के प्रति किसी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा। परंतु इस अनुच्छेद के अधीन आईएसएपीएल द्वारा स्वीकार जोखिमों में वे दायित्व शामिल नहीं हैं जो इस समझौते की शर्तों के अनुसार एमआईडीसी के हैं।

## अनुच्छेद 8

### 8 एमआईडीसी के अभ्यावेदन और वारंटियाँ

#### 8.1 एमआईडीसी आईएसएपीएल को अभ्यावेदन और वारंटी देता है कि:

(क) उसे इस समझौते का निष्पादन और सुपुर्दगी, इसके दायित्वों का पालन तथा इसमें परिकल्पित लेनदेन करने की पूर्ण शक्ति और प्राधिकार है, और उसने आवश्यक सभी कार्यवाहियाँ पूरी की हैं;

(ख) उसने लागू विधियों के अधीन इस समझौते के निष्पादन, सुपुर्दगी और पालन को प्राधिकृत करने के लिए आवश्यक सभी कार्यवाहियाँ पूरी की हैं; और

(ग) यह समझौता उसकी विधिसम्मत, वैध और बाध्यकारी देयता है जो इसके निबंधनों के अनुसार प्रवर्तनीय है।

(घ) उसके विरुद्ध किसी न्यायालय, अधिकरण, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही या मुकदमा लंबित अथवा उसकी जानकारी में संभावित नहीं है जिसके परिणामस्वरूप इस समझौते का उल्लंघन या इसके दायित्व निभाने की क्षमता में सारवान बाधा हो;

(ङ) उसे ऐसे न्यायालयी आदेश, रिट, व्यादेश, डिक्री या सरकारी निकाय के विधिक रूप से बाध्यकारी आदेश के किसी उल्लंघन या चूक की जानकारी नहीं है जिससे दायित्वों के पालन की उसकी क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़े;

(च) उसने सभी सारवान पहलुओं में लागू विधियों का पालन किया है; और

(छ) परियोजना के संबंध में उसके द्वारा दी गई सूचना उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सभी सारवान पहलुओं में सत्य और सटीक है।



**भाग III**  
**विकास और प्रचालन**

## अनुच्छेद 9

### 9 निष्पादन प्रतिभूति

#### 9.1 निष्पादन प्रतिभूति

इस समझौते के अधीन अपने दायित्वों के पालन के लिए आईएसएपीएल प्रभावी तिथि के बाद यथाशीघ्र अनुसूची 5 के प्रारूप में ₹2,50,00,000 की बिना शर्त बैंक गारंटी एमआईडीसी को देगा। यह गारंटी किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक द्वारा जारी होगी ("निष्पादन प्रतिभूति")। जब तक आईएसएपीएल निष्पादन प्रतिभूति नहीं देता और वह प्रभावी नहीं हो जाती, बोली प्रतिभूति प्रभावी रहेगी। निष्पादन प्रतिभूति मिलने पर एमआईडीसी बोली प्रतिभूति आईएसएपीएल को छोड़ देगा।

#### 9.2 निष्पादन प्रतिभूति का विनियोजन

आईएसएपीएल की चूक होने पर एमआईडीसी अपने अन्य संविदात्मक या विधिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना चूक की क्षतिपूर्ति हेतु निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित राशि भुना और विनियोजित कर सकेगा। आंशिक विनियोजन के 15 दिनों के भीतर आईएसएपीएल प्रतिभूति को उसके मूल स्तर तक पुनःपूर्ति करेगा; पूर्ण विनियोजन पर नई निष्पादन प्रतिभूति देगा। ऐसा न करने पर एमआईडीसी अनुच्छेद 17.3 के अनुसार समझौता समाप्त कर सकेगा। पुनःपूर्ति या नई प्रतिभूति दिए जाने पर आईएसएपीएल को चूक दूर करने के लिए अतिरिक्त साठ (60) दिनों की दोष-निवारण अवधि मिलेगी। उस अवधि में चूक दूर न होने पर एमआईडीसी प्रतिभूति भुनाकर क्षतिपूर्ति के रूप में विनियोजित कर सकेगा और अनुच्छेद 17.3 के अनुसार समझौता समाप्त कर सकेगा।

#### 9.3 निष्पादन प्रतिभूति का निर्मोचन

पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि के बाद छह (6) माह तक निष्पादन प्रतिभूति प्रभावी रहेगी।

## अनुच्छेद 10

### 10 विमानपत्तन का निर्माण

#### 10.1 मास्टर प्लान

आईएसएपीएल प्रत्येक पाँच (5) वर्ष में मास्टर प्लान की समीक्षा करेगा। यदि समीक्षा में बदली परिस्थितियों को दर्शाने हेतु संशोधन आवश्यक लगे तो वह मास्टर प्लान संशोधित करके उसकी प्रति एमआईडीसी को देगा।

## 10.2 निर्माण और विस्तार

आईएसएपीएल मास्टर प्लान, उत्तम उद्योग पद्धति और लागू विधि के अनुसार प्रारंभिक चरण की अभिकल्पना, प्रापण, निर्माण, पूर्णता, परीक्षण और कमीशनिंग करेगा तथा दोष दूर करेगा। वह सुनिश्चित करेगा कि सभी कार्य विनिर्देशों और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप हों।

आईएसएपीएल बढ़ती माँग, उपलब्ध वित्त, संबंधित समय पर विमानपत्तन के आर्थिक और लाभप्रद परिचालन तथा उपयोगकर्ताओं की युक्तियुक्त अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर विमानपत्तन के विस्तार के विस्तृत प्रस्ताव तैयार और लागू करेगा; इसमें घरेलू विमानपत्तन को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा दिलाना भी सम्मिलित है।

## 10.3 स्वतंत्र इंजीनियर

आईएसएपीएल वित्तपोषण समझौतों के अनुसार स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा तैयार करके ऋणदाताओं को दिए गए सभी प्रतिवेदन और प्रमाणपत्र, तथा भविष्य के वित्तपोषण में नियुक्त किसी स्वतंत्र इंजीनियर के प्रतिवेदन, एमआईडीसी को भी देगा ताकि एमआईडीसी विमानपत्तन के निर्माण और चालू करने की प्रगति देख सके।

## 10.4 स्थल और सामग्री

### 10.4.1 स्थल का संगठन

आईएसएपीएल निर्माण अवधि में सुरक्षा उपाय, अग्नि-संरक्षण, सुरक्षा, परिवहन, माल, सामग्री, संयंत्र और उपकरण की सुपुर्दगी, कार्मिक नियंत्रण, संविदाकारों के कर्मियों और श्रमिकों का रखरखाव, औद्योगिक संबंध तथा सामान्य स्थल सेवाओं को ध्यान में रखकर स्थल का संगठन करेगा। इसमें स्थल तक पहुँच, संविदाकारों और उप-संविदाकारों के कार्यालयों तथा परिसरों का स्थान और स्थल में केवल प्राधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश सुनिश्चित करना शामिल है।

### 10.4.2 सामग्री

आईएसएपीएल सुनिश्चित करेगा कि कार्य में केवल अच्छी और विपणन-योग्य गुणवत्ता की सामग्री और वस्तुएँ हों, जो लागू विधि के अनुसार निर्मित और तैयार हों, तथा सभी कारीगरी निर्माण या स्थापना के समय लागू विधि और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप हों।

10.4.3 निर्माण आरंभ करने से पहले आईएसएपीएल इस समझौते, परियोजना पूर्णता कार्यक्रम, लागू विधियों और अनुज्ञाओं के अनुसार निर्माण प्रारंभ करने हेतु आवश्यक सभी कार्य करेगा।

10.4.4 परियोजना निगरानी समिति: विमानपत्तन निर्माण की प्रगति देखने के लिए आईएसएपीएल और एमआईडीसी दो-दो प्रतिनिधि नामित करेंगे। आईएसएपीएल समझौते के निष्पादन के बाद पहले माह से हर तीन माह में मुंबई में समिति की बैठक आयोजित करेगा। प्रत्येक बैठक के सात (7) दिनों के भीतर आईएसएपीएल एमआईडीसी को प्रगति का त्रैमासिक प्रतिवेदन देगा।

10.4.5 निर्माण में विलंब: यदि आईएसएपीएल परियोजना पूर्णता कार्यक्रम तथा विकास प्लान के निर्माण कार्यक्रम के पड़ाव प्राप्त नहीं करता और एमआईडीसी युक्तियुक्त रूप से निर्धारित करता है

कि प्रगति की दर ऐसी है कि कार्य निर्धारित समय में पूरा होने की संभावना नहीं है, तो वह आईएसएपीएल को सूचित करेगा। आईएसएपीएल सूचना के तीन (3) दिनों के भीतर प्रगति तेज करने के प्रस्तावित उपायों और पूर्णता की अनुमानित अवधि का युक्तियुक्त विवरण एमआईडीसी को देगा।

#### 10.4.6 गैर-विमानपत्तन गतिविधियाँ

गैर-विमानपत्तन गतिविधियाँ अनुसूची 3 में निर्धारित हैं।

##### (क) गैर-विमानपत्तन गतिविधियों का विकास

आईएसएपीएल लागू विधि के अनुसार गैर-विमानपत्तन गतिविधियों का विकास कर सकता है। सड़क, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, सीवरेज और जल-निकासी जैसी आवश्यक अवसंरचना वह इस समझौते, लागू विधि और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार अपने खर्च पर विकसित और बनाए रखेगा या करवाएगा।

##### (ख) कर और राजस्व

- I. गैर-विमानपत्तन गतिविधियों से संबंधित सभी कर, उपकर, शुल्क और प्रभार आईएसएपीएल वहन करेगा।
- II. उन गतिविधियों से अर्जित समस्त राजस्व इस समझौते और लागू विधि के अनुसार आईएसएपीएल को प्राप्त होगा।

##### (ग) लागू विधि का अनुपालन

आईएसएपीएल गैर-विमानपत्तन गतिविधियों के संबंध में भवनों, संरचनाओं, सड़क कार्यों, खुले स्थानों, विद्युत और जल आपूर्ति, सीवरेज तथा अन्य उपयोगों से संबंधित केंद्रीय, राज्य, स्थानीय और नगरपालिका विधियों एवं विनियमों का पालन करेगा।

##### (घ) वाणिज्यिक विज्ञापन या प्रदर्शन

अनुच्छेद 5.10 के अधीन आईएसएपीएल गैर-विमानपत्तन गतिविधियों के रूप में, विमानपत्तन गतिविधियों में बाधा डाले बिना और लागू विधि एवं आवश्यक अनुज्ञाओं का पालन करके, वाणिज्यिक विज्ञापन या प्रदर्शन कर सकता है या करवा सकता है।

#### 10.5 विमानपत्तन की पूर्णता

10.5.1 आईएसएपीएल प्रभावी तिथि से अठारह (18) माह के भीतर विमानपत्तन पूर्णता तिथि प्राप्त करेगा; किंतु निम्न कारणों से हुई देरी के अनुसार यह तिथि समायोजित होगी:

- (क) अप्रत्याशित घटना;
- (ख) इस समझौते के दायित्व निभाने में एमआईडीसी की विफलता या विलंब;
- (ग) अनुच्छेद 11.13 के अनुसार एमआईडीसी का व्यवधान या हस्तक्षेप;
- (घ) पट्टा डीड के अंतर्गत एमआईडीसी द्वारा अपने दायित्वों के निष्पादन में विफलता या विलंब;
- (ङ) सीएनएस/एटीएम समझौते के अधीन दायित्व निभाने में एएआई की विफलता या विलंब; अथवा
- (च) किसी संबंधित प्राधिकारी द्वारा सेवाएँ देने में विफलता या विलंब।

उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से अठारह (18) माह के भीतर विमानपत्तन पूर्णता तिथि प्राप्त न होने पर, आईएसएपीएल प्रभावी तिथि से अठारह माह पूरे होने की तिथि से लेकर विमानपत्तन पूर्णता तिथि अथवा प्रभावी तिथि से छत्तीस (36) माह पूरे होने की तिथि, जो पहले हो, तक के प्रत्येक विलंबित दिन के लिए एमआईडीसी को ₹25,000 की सहमत परिसमापित क्षतिपूर्ति देगा।

## 10.6 अनुज्ञप्ति

### अनुज्ञप्ति प्रदान करना

प्रारंभिक चरण का निर्माण इस समझौते के अनुसार पूरा होने और विमान नियम, 1937 की अनुसूची V के खंड A तथा नियम 86, नियम 133A के अधीन डीजीसीए के विशेष निर्देशों/दिशानिर्देशों और घरेलू विमानपत्तन की अनुज्ञप्ति जारी करने संबंधी अन्य मानकों के अनुपालन पर, आईएसएपीएल अपने नाम से विमानपत्तन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु डीजीसीए के समक्ष आवेदन करेगा ताकि वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो सके।

## 10.7 भूमि का गैर-विमानन उपयोग

पक्षकार स्वीकार करते हैं कि मास्टर प्लान के अनुसार स्थल की कुछ भूमि गैर-विमानपत्तन गतिविधियों के विकास हेतु उपयोगी हो सकती है, पर ये गतिविधियाँ विमानपत्तन विकास के मुकाबले गौण हैं। इसलिए आईएसएपीएल विमानपत्तन पूर्णता तिथि प्राप्त होने से पहले गैर-विमानपत्तन गतिविधियों का परिचालन आरंभ नहीं करेगा।

## अनुच्छेद 11

## 11 प्रचालन और रखरखाव

### 11.1 विमानपत्तन का प्रचालन और रखरखाव

आईएसएपीएल विमानपत्तन, गैर-विमानपत्तन गतिविधियों सहित, के प्रचालन और रखरखाव में सभी लागू विधियों का पालन करेगा। वह उत्तम उद्योग पद्धति और मानकों के अनुसार विमानपत्तन को चालू, अच्छी मरम्मत और स्थिति में रखेगा तथा युक्तियुक्त आवश्यकता के अनुसार नवीनीकरण, प्रतिस्थापन और उन्नयन करेगा। सीएनएस/एटीएम समझौते के अनुसार एएआई द्वारा परिचालित प्रणालियाँ और उपकरण इससे अपवर्जित हैं। रखरखाव, मरम्मत तथा अन्य कार्यों से उपयोगकर्ताओं की असुविधा न्यूनतम रखी जाएगी।

### 11.2 संयुक्त समन्वय समिति

पक्षकार उच्च मानकों पर विमानपत्तन विकसित, अनुरक्षित और परिचालित करना चाहते हैं। आरक्षित गतिविधियाँ भारत सरकार द्वारा या उसके निर्देशन में की जाएँगी। इन उद्देश्यों हेतु आईएसएपीएल, एमआईडीसी और आरक्षित गतिविधियाँ करने वाले संबंधित प्राधिकारियों की संयुक्त समन्वय समिति आवश्यकता होने पर गठित की जा सकती है। समिति समझौते के निष्पादन के अगले पहले माह से मासिक बैठक करेगी। उसके निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं होंगे।

### 11.3 आरक्षित गतिविधियाँ

भारत सरकार इस अनुच्छेद के अनुसार आरक्षित गतिविधियाँ करेगी और यात्रियों, सामान तथा कार्गो की निर्बाध आवाजाही के लिए आवश्यक सेवाओं की निरंतर आपूर्ति हेतु लागू विधि के अधीन उपलब्ध अधिकारों का प्रयोग करेगी।

### 11.4 सुरक्षा

11.4.1 विमानपत्तन पर सभी विमानन सुरक्षा भारत सरकार के निर्देशों और शर्तों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। यदि भारत सरकार द्वारा नामित एजेंसियाँ यह सेवा देने में असमर्थ हों तो सरकार आईएसएपीएल से सुरक्षा कार्मिक तैनात करने का अनुरोध कर सकती है। भारत सरकार और आईएसएपीएल आपसी सहमति से संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए प्रस्थान करने वाले यात्रियों से लिया जाने वाला शुल्क पक्षकार आपस में निर्धारित करेंगे। शुल्क भारत सरकार को प्राप्त होगा और आईएसएपीएल के तैनात सुरक्षा कार्मिकों की लागत को पूरा करेगा।

11.4.2 आईएसएपीएल विमानपत्तन सुरक्षा के लिए बीसीएस द्वारा बनाए नियमों और विनियमों का पालन करेगा, बशर्ते वे समान या पर्याप्त समान वर्ग के विमानपत्तनों पर सामान्यतः और सुसंगत रूप से लागू हों।

11.4.3 आईएसएपीएल बीसीएस या किसी संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध और अनुरक्षित करेगा; इसमें अगले पृष्ठ पर उल्लिखित अपवाद शामिल हैं। डोर-फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी), हाथ से चलने वाले मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी), यात्रियों के कैरी-ऑन सामान की जाँच के एक्स-रे उपकरण तथा वॉकी-टॉकी एएआई द्वारा खरीदे, स्थापित, परिचालित, अनुरक्षित और बदले जाएँगे; इसमें जाँच और तोड़फोड़-रोधी कार्य से संबंधित उपकरण भी शामिल हैं।

11.4.4 विमानपत्तन, यात्रियों, विमानपत्तन पर कार्यरत व्यक्तियों, अन्य आगंतुकों, विमानों, माल और अन्य संपत्ति की सुरक्षा प्रक्रियाएँ बीसीएस निर्धारित करेगा। आईएसएपीएल समय-समय पर जारी सभी ऐसी प्रक्रियाओं और निर्देशों का पालन करेगा।

11.4.5 सुरक्षा कार्य हेतु कार्मिक बीसीएस, भारत सरकार या संबंधित प्राधिकारी द्वारा अभिहित सुरक्षा एजेंसी उपलब्ध कराएगी।

11.4.6 आईएसएपीएल अभिहित सुरक्षा एजेंसी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से हर समय पूर्ण सहयोग करेगा।

11.4.7 आईएसएपीएल अभिहित सुरक्षा एजेंसी को इस समझौते के अधीन उसके कार्य करने के लिए विमानपत्तन तक आवश्यक पहुँच, सुविधाएँ तथा अनुसूची 8 में निर्धारित स्थान देगा।

11.4.8 आईएसएपीएल अभिहित सुरक्षा एजेंसी की सहमति के बिना उसे उपलब्ध स्थान और सुविधाएँ कम नहीं करेगा।

11.4.9 विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के कारण एजेंसी के उपयोग वाले स्थान या सुविधा को स्थानांतरित अथवा पुनर्विन्यस्त करना हो तो आईएसएपीएल उसे सूचना देगा और दोनों पक्ष आवश्यक स्थान संबंधी संशोधनों पर चर्चा करके सहमति करेंगे।

## **11.5 मौसम-विज्ञान सेवाएँ**

11.5.1 विमानपत्तन पर मौसम-विज्ञान सेवाएँ शिकागो अभिसमय के अधीन समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित पद्धति तथा नागर विमानन मंत्रालय, एएआई और डीजीसीए के नियमों और विनियमों के अनुसार होंगी।

11.5.2 आईएसएपीएल संबंधित प्राधिकारी को इन सेवाओं के लिए आवश्यक पहुँच और अनुसूची 8 में निर्धारित स्थान देगा ताकि वह इस समझौते के अधीन अपने कार्य कर सके।

11.5.3 आईएसएपीएल संबंधित प्राधिकारी की सहमति के बिना उसका स्थान या सुविधाएँ कम नहीं करेगा।

11.5.4 विस्तार, आधुनिकीकरण या पुनर्विकास के कारण संबंधित प्राधिकारी के उपयोग वाले स्थान या सुविधा को स्थानांतरित अथवा पुनर्विन्यस्त करना हो तो आईएसएपीएल उसे सूचना देगा और दोनों पक्ष आवश्यक स्थान संबंधी संशोधनों पर चर्चा करके सहमति करेंगे।

## **11.6 वीआईपी लाउंज**

आईएसएपीएल विमानपत्तन पर वीआईपी व्यक्तियों और गणमान्य व्यक्तियों के उपयोग तथा सुविधा के लिए हर समय एक वीआईपी लाउंज उपलब्ध और अनुरक्षित करेगा।

## **11.7 मानक**

अनुच्छेद 11 की किसी बात का यह अर्थ नहीं होगा कि आईएसएपीएल इस परियोजना विकास समझौते के अधीन विमानपत्तन में अपेक्षित स्थान या सुविधाओं के मानक घटा सकता है अथवा घटवा सकता है।

## **11.8 विमानपत्तन व्यवसाय का प्रबंधन**

आईएसएपीएल उत्तम उद्योग पद्धति, लागू विधि और इस समझौते के अनुसार:

(क) विमानपत्तन का सक्षम, कुशल और किफायती वाणिज्यिक उपक्रम के रूप में प्रबंधन और परिचालन करेगा;

(ख) अपने अन्य अधिकारों और दायित्वों पर सीमा लगाए बिना विमानपत्तन पर विमानपत्तन गतिविधियाँ उपलब्ध कराएगा या कराएगा; और

(ग) विमानपत्तन उपयोगकर्ताओं की युक्तियुक्त आवश्यकताओं को समुचित महत्त्व देगा।

### 11.9 सामान्य दायित्व

#### 11.9.1 लागू विधि के अधीन आईएसएपीएल:

(क) विमान के उड़ान भरने और उतरने के लिए विमानपत्तन हर समय खुला रखेगा, जब तक कि कोई संबंधित प्राधिकारी आवश्यक आरक्षित गतिविधि उचित समय पर उपलब्ध न कर पाने के कारण ऐसा करना असंभव न हो;

(ख) विमानपत्तन परिचालन से संबंधित सभी खर्च वहन और शीघ्र भुगतान करेगा, जिनमें कर, बीमा, बिजली, कचरा-संग्रह, सीवरेज, अपशिष्ट जल, जल-निकासी और दूरभाष सेवाएँ शामिल हैं। स्थल की सीमा तक जल-संपर्क उपलब्ध कराना एमआईडीसी का और सीमा के भीतर जल-संपर्क उपलब्ध कराना आईएसएपीएल का दायित्व होगा; और

(ग) पेड़ों की कटाई के लिए अपेक्षित अनुमति लेने में एमआईडीसी की सहायता प्राप्त करेगा, जब ऐसे पेड़ परियोजना के विकास, परिचालन या रखरखाव पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डालते हों। कटाई की लागत आईएसएपीएल वहन करेगा। उसके नियंत्रण से बाहर कारणों से अनुमति मिलने में देरी सीधे किसी दायित्व के पालन को रोके तो उस सीमा तक उसे चूक से छूट होगी। कटे हुए पेड़ एमआईडीसी की संपत्ति माने जाएँगे और एमआईडीसी उन्हें अपने विवेक से निर्धारित तरीके तथा शर्तों पर निपटाएगा।

#### 11.10 सुविधा

आईएसएपीएल को विमानपत्तन पर निर्धारित स्थान स्पष्ट और सुरक्षित ढंग से आबंटित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

#### 11.11 गैर-भेदभाव

एमआईडीसी भारत सरकार के समक्ष आईएसएपीएल का यह पक्ष रखने के लिए अपने सद्प्रयास करेगा कि समय-समय पर लागू विधि और अंतरराष्ट्रीय संधि दायित्वों के अधीन, भारत सरकार विमानपत्तन का उपयोग करने वाले विमानों की श्रेणियों या प्रकारों के प्रति गैर-भेदभाव की नीति अपनाए और युक्तियुक्त विनियमन के अधीन विमानपत्तन की क्षमता के अनुरूप विमान आवागमन पर अनुचित सीमाएँ न लगाए।

#### 11.12 प्रचालन में बाधा

प्रारंभिक चरण का वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के बाद यदि आईएसएपीएल एमआईडीसी की लिखित सहमति या इस समझौते के अनुमत कारण के बिना 48 घंटों से अधिक विमानपत्तन का परिचालन बंद या लगभग बंद कर देता है, तो किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर एमआईडीसी और आईएसएपीएल परिचालन यथाशीघ्र बहाल करने की योजना तथा संयुक्त परिचालन और प्रबंधन समिति की नियुक्ति और उसकी शर्तों पर चर्चा करेंगे। यदि वे उक्त अवधि समाप्त होने के छह (6) घंटों में सहमत न हों, तो आईएसएपीएल के पुनः परिचालन करने में सक्षम होने तक एमआईडीसी विमानपत्तन चला सकेगा।

### 11.13 निर्माण या प्रचालन में बाधा

इस समझौते में अन्यथा उपबंधित स्थिति, वास्तविक आपातस्थिति अथवा समझौते की तिथि को लागू विधि के सिवा एमआईडीसी आईएसएपीएल द्वारा या उसकी ओर से विमानपत्तन की अभिकल्पना, निर्माण, पूर्णता, चालू करना, रखरखाव, वित्तपोषण, परिचालन, प्रबंधन या विकास में हस्तक्षेप अथवा बाधा नहीं करेगा। लोक-सुरक्षा संबंधी आपातस्थिति में एमआईडीसी पक्षकारों द्वारा सहमत अवधि के लिए निर्माण या परिचालन में हस्तक्षेप कर सकेगा।

### 11.14 दिन और रात का परिचालन

समुचित सुविधाओं की उपलब्धता तथा पर्यावरण विधि सहित सभी लागू विधियों और मानकों के अनुपालन के अधीन, और बशर्ते समान श्रेणी के सभी अन्य घरेलू विमानपत्तनों पर सारतः समान प्रतिबंध लगाए जाएँ, आईएसएपीएल को दिन या रात किसी भी समय विमानपत्तन परिचालित करने और विमानों के उड़ान भरने तथा उतरने की अनुमति देने का अधिकार होगा।

### 11.15 अधिकारियों के लिए पहुँच

#### 11.15.1 पहुँच

अनुच्छेद 11.15.2 और बीसीएस दिशानिर्देशों के अधीन आईएसएपीएल अपने द्वारा निर्धारित व्यक्तियों को स्थल और/या विमानपत्तन के सभी भागों में पहुँच देने का अधिकार रखेगा।

#### 11.15.2 न्यूनतम बाधा

भारत सरकार और/या एएआई को दी गई ऐसी पहुँच तथा सुविधाओं का उपयोग संबंधित व्यक्ति इस प्रकार करेंगे कि विमानपत्तन के निर्माण, चालू करने, पूर्णता, विकास, रखरखाव और परिचालन में बाधा न आए।

## अनुच्छेद 12

### 12 प्रचालन और रखरखाव की निगरानी

#### 12.1 निष्पादन मानक

आईएसएपीएल एएआई, डीजीसीए और बीसीएस द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार विमानपत्तन की सेवाओं का स्तर और सुरक्षा मानक बनाए रखेगा। जिस तिथि से स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण को विमानपत्तन के मानक और दंडों की समीक्षा, निगरानी और निर्धारण तथा संबंधित गतिविधियों का विनियमन करने की शक्ति मिलेगी, आईएसएपीएल उसके विनियमों का पालन करेगा।

#### 12.2 अभिलेख

लागू विधियों के अनुपालन के अधीन आईएसएपीएल विमानपत्तन की अभिकल्पना, निर्माण, पूर्णता, चालू करने, रखरखाव, परिचालन, प्रबंधन और विकास के पूर्ण अभिलेख रखेगा; इनमें रखरखाव पुस्तिका और विमानपत्तन के सभी पहलुओं के 'यथा-निर्मित' चित्र सम्मिलित होंगे। एमआईडीसी द्वारा अनुपालन के सत्यापन के लिए वह युक्तियुक्त सूचना पर सामान्य कार्य घंटों में अभिलेख निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराएगा और अनुरोध पर उनकी प्रतियाँ देगा।

## 13 सुरक्षा अपेक्षाएँ

### 13.1 सुरक्षा अपेक्षाएँ

13.1.1 आईएसएपीएल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए इस समझौते, लागू विधि, लागू अनुज्ञाओं और उत्तम उद्योग पद्धति का पालन करेगा। विशेष रूप से वह विमानपत्तन के भीतर और आसपास सुरक्षित वातावरण के लिए निगरानी और सुरक्षा कार्यक्रम विकसित, लागू और प्रशासित करेगा तथा अनुसूची 6 की सुरक्षा अपेक्षाओं का पालन करेगा।

13.1.2 आईएसएपीएल विमानपत्तन की सुरक्षा लेखापरीक्षा करने के लिए अनुभवी और योग्य फर्म या संगठन ("सुरक्षा परामर्शदाता") नियुक्त करेगा और सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के अन्य आवश्यक उपाय करेगा।

13.1.3 सुरक्षा अपेक्षाओं से उत्पन्न सभी लागत और व्यय आईएसएपीएल वहन करेगा।

### 13.2 प्राथमिक चिकित्सा

आपात चिकित्सा सहायता के लिए आईएसएपीएल विमानपत्तन पर प्राथमिक चिकित्सा कक्ष स्थापित और परिचालित करेगा। वह मामूली चोटों और चिकित्सा स्थितियों के उपचार हेतु आवश्यक उपकरणों और औषधियों से सुसज्जित होगा। आईएसएपीएल परियोजना में दुर्घटना पीड़ितों तथा गंभीर चिकित्सा स्थिति वाले उपयोगकर्ताओं के लिए चौबीसों घंटे एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराएगा। वह उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार कक्ष को अनुरक्षित रखेगा।

### 13.3 आकस्मिकता योजनाएँ

आईएसएपीएल दुर्घटना, आग, आतंकवाद या प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न आपातस्थितियों से निपटने की योजनाएँ बनाएगा और उनका समय-समय पर अभ्यास करेगा। इनमें विमानपत्तन से निकासी, पूछताछ काउंटरों का संचालन तथा एमआईडीसी और अन्य एजेंसियों से समन्वय शामिल होगा।

भाग IV  
वित्तीय प्रावधान

## अनुच्छेद 14

### 14 प्रभार

#### 14.1 प्रभार लगाने का अधिकार

आईएसएपीएल अथवा सेवा प्रदाता अधिकार धारक, लागू विधि के अधीन, (क) विमानपत्तन गतिविधियों में शामिल सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान, (ख) विमानपत्तन या स्थल पर यात्रियों या वाहनों की आवाजाही तथा (ग) गैर-विमानपत्तन गतिविधियों के संबंध में प्रभार या शुल्क लगा सकता है।

#### 14.2 करों का भुगतान

लागू विधि के अधीन आईएसएपीएल पर देय सभी कर वह किसी पक्षकार, ऋणदाताओं सहित, को संवितरण करने से पहले भुगतान करेगा।

## अनुच्छेद 15

### 15 बीमा का रखरखाव

#### 15.1 पट्टा अवधि के दौरान बीमा

आईएसएपीएल अपने खर्च पर हर समय अनुसूची 11 में निर्दिष्ट बीमा, वित्तपोषण समझौतों के अधीन अपेक्षित बीमा तथा उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार युक्तियुक्त रूप से आवश्यक या विवेकपूर्ण अतिरिक्त बीमा प्राप्त और प्रभावी रखेगा। जहाँ वह प्रधान बीमाधारक हो वहाँ एमआईडीसी सह-बीमाधारक होगा।

#### 15.2 बीमा संरक्षण

खंड 15.1 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आईएसएपीएल समझौते की अवधि में निम्न के लिए बीमा संरक्षण प्राप्त और बनाए रखेगा:

- (i) एमआईडीसी द्वारा आईएसएपीएल को सौंपी गई परिसंपत्तियों सहित विमानपत्तन की हानि, क्षति या विनाश, प्रतिस्थापन मूल्य पर;
- (ii) एमआईडीसी के कर्मियों या स्थल में प्रवेश करने वाले अन्य व्यक्तियों की चोट या मृत्यु सहित व्यापक तृतीय-पक्ष देयता;
- (iii) पट्टे से उत्पन्न आईएसएपीएल की सामान्य देयता;
- (iv) तृतीय पक्षों या उनकी वस्तुओं/संपत्ति को हानि;
- (v) श्रमिक प्रतिकर; और
- (vi) आईएसएपीएल तथा उसके कर्मचारियों की रक्षा के लिए आवश्यक अन्य बीमा, जिसमें बीमा-योग्य और उपर्युक्त मदों में न समाहित अप्रत्याशित घटनाएँ शामिल हैं।

### 15.3 पॉलिसियाँ

एमआईडीसी के अनुरोध पर आईएसएपीएल अनुच्छेद 15.1 और 15.2 के अधीन अपेक्षित बीमा की पॉलिसी प्रमाणपत्रों और पॉलिसियों की प्रतियाँ तथा प्रीमियम भुगतान का प्रमाण अनुरोध प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर देगा। किसी बीमा को रद्द या संशोधित नहीं किया जाएगा और न उसकी अवधि समाप्त या नवीनीकरण में चूक होगी, जब तक आईएसएपीएल ऐसी रद्दीकरण, संशोधन या अनवीनीकरण की कम से कम पाँच (5) दिन पहले सूचना एमआईडीसी को न दे।

### 15.4 बीमा कराने में विफलता पर उपचार

यदि आईएसएपीएल अपने दायित्व वाला बीमा प्राप्त या प्रभावी नहीं रखता, तो एमआईडीसी स्वयं ऐसा बीमा करा और उसका प्रीमियम भुगतान करके लागत आईएसएपीएल से वसूल कर सकता है।

### 15.5 प्रतिस्थापन-अधिकार का अधित्याग

इस अनुच्छेद के अधीन आईएसएपीएल की सभी बीमा पॉलिसियों में बीमाकर्ता द्वारा एमआईडीसी, उसके समनुदेशितियों, उत्तराधिकारियों, उपक्रमों, सहायक इकाइयों, सहबद्ध इकाइयों, कर्मचारियों, बीमाकर्ताओं और अंडरराइटर्स के विरुद्ध प्रतिस्थापन या वसूली के अधिकार का अधित्याग होगा। इसमें समायोजन, प्रतिदावा या कटौती का अधिकार भी शामिल होगा जहाँ वह पॉलिसी से संरक्षित हानि, देयता या दायित्व से संबंधित हो।

### 15.6 आईएसएपीएल का अधित्याग

आईएसएपीएल तृतीय-पक्ष देयता पॉलिसियों के अतिरिक्त इस समझौते के अधीन बनाए रखे जाने वाले बीमा से संरक्षित किसी हानि, देयता या दायित्व के संबंध में एमआईडीसी और उसके समनुदेशितियों, उपक्रमों, सहायक व सहबद्ध इकाइयों, कर्मचारियों, उत्तराधिकारियों, बीमाकर्ताओं और अंडरराइटर्स के विरुद्ध प्राप्त या भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रतिस्थापन या वसूली के अधिकार छोड़ता और उनका अधित्याग करता है। यह कटौती योग्य राशि या बीमा की अपर्याप्त सीमा से उत्पन्न दावे पर भी लागू है।

### 15.7 बीमा-प्राप्त राशि का विनियोजन

ऋणदाताओं के साथ किसी समझौते के अधीन, आईएसएपीएल को प्राप्त समस्त बीमा-राशि विमानपत्तन के पुनर्निर्माण में लगाई जाएगी, सिवाय उस राशि के जो भौतिक क्षति से संबंधित नहीं है।

## अनुच्छेद 16

### 16 लेखे और लेखापरीक्षा

आईएसएपीएल लागू विधि के अनुसार अपनी आय-व्यय, प्राप्तियों और भुगतानों तथा परिसंपत्तियों और देयताओं के लेखे रखेगा। पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि पूरी होने पर, वह अपने सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखे की दो प्रतियाँ एमआईडीसी को देगा।

भाग v  
अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर) और निलंबन

## 17 अप्रत्याशित घटना और समाप्ति

### 17.1 अप्रत्याशित घटना

इस अनुच्छेद का प्रयोग तब होगा जब अप्रत्याशित घटना के कारण किसी पक्षकार ("प्रभावित पक्षकार") के समझौते के अधीन किसी दायित्व के पालन में पूर्णतः या आंशिक रूप से रोक, बाधा या विलंब हो।

### 17.2 अप्रत्याशित घटना के परिणाम

#### 17.2.1 पालन संबंधी दायित्व

खंड 17.2.2 के अनुपालन के अधीन कोई भी पक्षकार अप्रत्याशित घटना के कारण किसी दायित्व के अनुपालन में विफलता या विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जिस सीमा तक ऐसी घटना पालन रोकती या विलंबित करती है, पक्षकारों को चूककर्ता नहीं माना जाएगा और विमानपत्तन पूर्णता तिथि सहित संबंधित दायित्व की समय-सीमा उसी अनुसार बढ़ेगी।

#### 17.2.2 सूचना

अप्रत्याशित घटना प्रारंभ होने के यथाशीघ्र, पर अधिकतम 72 घंटों के भीतर, उस घटना को विलंब या विफलता का कारण बताने वाला पक्षकार दूसरे पक्षकार को घटना की तिथि, प्रकृति और अनुमानित अवधि की लिखित सूचना देगा। व्यक्तिगत समय में वह घटना के प्रभाव और अपेक्षित विलंब का पर्याप्त प्रमाण भी देगा। प्रभावित पक्षकार प्रभाव को रोकने, घटाने और न्यूनतम करने के सभी व्यक्तिगत कदम उठाएगा।

#### 17.2.3 अल्पीकरण

प्रभावित पक्ष फोर्स मेज्योर की घटना के प्रभाव को रोकने, न्यूनतम करने और कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा।

### 17.3 चूक

#### 17.3.1 आईएसएपीएल की चूक की घटनाएं

निम्न घटनाओं में प्रत्येक आईएसएपीएल की चूक की घटना होगी:

(क) इस अनुच्छेद में अन्यथा उपबंधित स्थिति को छोड़कर, आईएसएपीएल द्वारा इस समझौते की शर्तों का सारवान उल्लंघन, जिसे एमआईडीसी की लिखित सूचना मिलने के बाद लगातार एक सौ बीस (120) दिनों में दूर नहीं किया गया हो, यदि वह उल्लंघन दूर किया जा सकता है। पक्षकार स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि अनुच्छेद 7.1.1 (i) में निर्धारित किसी प्रतिनिधित्व और वारंटी के उल्लंघन में शेरों का कोई भी अंतरण आईएसएपीएल व्यतिक्रम घटना माना जाएगा।

(ख) एमआईडीसी की पूर्व लिखित सहमति के बिना विमानपत्तन का निर्माण या परिचालन छोड़ देना अथवा छोड़ने का इरादा प्रकट करना;

(ग) कुल भूमि प्रीमियम सहित इस समझौते में देय कोई भुगतान निर्धारित अवधि में एमआईडीसी को न कर पाना;

(घ) विमानपत्तन पूर्णता लक्ष्य तिथि के बारह (12) माह बाद भी विमानपत्तन पूर्णता तिथि प्राप्त न होना;

(ङ) प्रारंभिक चरण के वाणिज्यिक परिचालन के बाद एमआईडीसी की लिखित सहमति के बिना लगातार चौदह (14) दिन या किसी कैलेंडर वर्ष में कुल तीस (30) दिन से अधिक परिचालन बंद रखना;

(च) खंड 9.2 के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति भुनाई और विनियोजित होने पर पंद्रह (15) दिनों के भीतर उसका पुनर्भरण या नई प्रतिभूति न देना;

(छ) खंड 9.2 के अनुसार प्रतिभूति का पुनर्भरण या नई प्रतिभूति देने के बाद साठ (60) दिनों की दोष-निवारण अवधि में संबंधित चूक दूर न करना;

(ज) आईएसएपीएल के परिसमापन, दिवालियापन या विघटन का आदेश या प्रस्ताव, जिसे तीस (30) दिनों में निरस्त, समाप्त या वापस न किया गया हो;

(झ) इस समझौते के अधीन आईएसएपीएल का कोई सारवान अभ्यावेदन या वारंटी असत्य पाया जाना;

(ञ) आईएसएपीएल द्वारा परियोजना समझौते के उल्लंघन से महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव होना;

(ट) इस समझौते के उल्लंघन में किसी प्रभार का सृजन;

(ठ) आईएसएपीएल द्वारा इस समझौते का अस्वीकार या इसके अधीन बाध्य न रहने का कार्य या इरादा;

(ड) अनुच्छेद 5.3 के उल्लंघन में स्वामित्व में परिवर्तन; और

(ढ) विधि के अधीन परियोजना समझौते के अधिकारों/दायित्वों या आईएसएपीएल की परिसंपत्तियों/उपक्रमों का अंतरण, जिससे महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव हो।

(ण) आईएसएपीएल की परिसंपत्ति पर ऐसी कुर्की जिससे महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव हो;

(त) आईएसएपीएल के समापन का प्रस्ताव पारित होना या सक्षम न्यायालय में समापन याचिका स्वीकार होना और अस्थायी परिसमापक या रिसीवर नियुक्त होना, जिसे साठ (60) दिनों में वापस

न लिया गया हो; सिवाय ऐसे समामेलन या पुनर्गठन के जिसमें आईएसएपीएल की समस्त संपत्ति, परिसंपत्तियाँ और उपक्रम उत्तराधिकारी इकाई को अंतरित हों, उत्तराधिकारी बिना शर्त इस समझौते और परियोजना समझौतों के दायित्व ग्रहण करे, उसके पास अपेक्षित क्षमता व परिचालन अनुभव हो तथा उसकी वित्तीय स्थिति और ऋण पात्रता कम से कम आईएसएपीएल के समान हो;

(थ) इस समझौते में समाप्ति का आधार बताकर निर्दिष्ट किसी दायित्व की अपूर्ति; और

(द) समझौते के अन्य उपबंध के अनुपालन में सारवान चूक।

परंतु उपखंड (क), (ड) और (च) में वर्णित घटनाएँ आईएसएपीएल की चूक नहीं मानी जाएँगी यदि वे अनुच्छेद 10.5 के परंतुक में वर्णित घटनाओं के कारण हुई हों।

### 17.3.2 एमआईडीसी की चूक

एमआईडीसी द्वारा इस समझौते के किसी दायित्व का ऐसा उल्लंघन जिससे महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़े, “एमआईडीसी की चूक की घटना” होगा।

### 17.4 चूक के परिणाम

आईएसएपीएल की चूक होने पर एमआईडीसी उसे घटना की सूचना देगा और, यदि निवारण संभव हो, तो कम से कम एक सौ बीस (120) दिनों की युक्तियुक्त अवधि में निवारण अपेक्षित करेगा। उस अवधि में उल्लंघन दूर न होने पर एमआईडीसी या उसका अभिहित निकाय आईएसएपीएल को समझौता समाप्ति की सूचना देगा और भूमि पट्टा विलेख की शर्तों के अनुसार पट्टा रद्द करेगा। ऐसी समाप्ति पर एमआईडीसी कुल भूमि प्रीमियम अपने पास रखेगा, निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर सकेगा तथा अनुच्छेद 17.5 के अनुसार विमानपत्तन में आईएसएपीएल के सभी अधिकार, स्वत्व और हित अर्जित करेगा।

एमआईडीसी की चूक होने पर वह निष्पादन प्रतिभूति आईएसएपीएल को छोड़ेगा तथा आईएसएपीएल को पुस्तकीय मूल्य के 125 प्रतिशत के बराबर भुगतान करेगा। इसके बाद वह अनुच्छेद 17.5 के अनुसार विमानपत्तन में आईएसएपीएल के अधिकार, स्वत्व और हित अर्जित करेगा।

### 17.5 विमानपत्तन का अंतरण

17.5.1 अनुच्छेद 17.4 के अधीन समाप्ति का अधिकार प्रयोग किए जाने या अवधि समाप्त होने पर, आईएसएपीएल स्थल तथा उस पर विकसित विमानपत्तन और गैर-विमानपत्तन गतिविधियों की समस्त परिसंपत्तियाँ अंतरण तिथि को एमआईडीसी या उसके नामिती को प्रतिभूति, प्रभार और देयता से मुक्त अवस्था में सौंपेगा। इसमें विशेष रूप से निम्न शामिल हैं:

(i) आईएसएपीएल की स्थावर, जंगम और अमूर्त संपत्ति, बौद्धिक संपदा, योजनाएँ, अभिलेख, चित्र, औजार, सामग्री, वाहन और कलपुर्जे;

(ii) इस समझौते के अनुसार आईएसएपीएल और सेवा प्रदाता अधिकार धारक के बीच की संविदाओं तथा अन्य व्यवस्थाओं के अधिकार और दायित्व, जिनके दायित्व एमआईडीसी ग्रहण करेगा; और

(iii) बीमा संविदाओं, गारंटियों तथा वारंटियों सहित आईएसएपीएल की अन्य संविदाओं के अधिकार और दायित्व, जिनके दायित्व एमआईडीसी ग्रहण करेगा।

17.5.2 तथापि अंतरण से पहले एमआईडीसी गैर-विमानपत्तन गतिविधियों से संबंधित संविदाओं की समुचित जाँच कर सकता है। वह ऐसी संविदाओं के अधिकार और दायित्व ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं होगा जो उसके व्यक्तिगत मत में असामान्य रूप से बोझिल हों और बनते समय भी बोझिल रही हों। समाप्ति-अधिकार के प्रयोग के बाद आईएसएपीएल द्वारा डेटा-कक्ष खोलने से पैंतालीस (45) दिनों में एमआईडीसी जाँच करके उन संविदाओं की पहचान करेगा जिन्हें वह ग्रहण करेगा।

17.5.3 अंतरण तिथि से पहले आईएसएपीएल के कार्यों या चूकों से उत्पन्न उसकी या विमानपत्तन से जुड़ी कोई वर्तमान अथवा संभावित देयता एमआईडीसी या उसके नामिती को अंतरित नहीं होगी। वे केवल अंतरण तिथि के बाद उत्पन्न विमानपत्तन संबंधी देयताओं के लिए उत्तरदायी होंगे।

17.5.4 आईएसएपीएल सुनिश्चित करेगा कि अनुच्छेद 17.5.1 के अंतर्गत एमआईडीसी में निहित या उसे अंतरित संपत्ति, परिसंपत्तियाँ और अधिकार उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार अच्छी कार्यशील और मरम्मत योग्य स्थिति में हों तथा विमानपत्तन चालू उपक्रम के रूप में सौंपा जाए। यह दायित्व तब पूरा माना जाएगा जब आईएसएपीएल उस समय लागू अपने रखरखाव दायित्वों का अनुपालन कर रहा हो।

## 17.6 समाप्ति-पूर्व दायित्व

समझौते की समाप्ति या अवधि-पूर्णता से पक्षकारों के पहले से अर्जित अधिकार और दायित्व, अथवा उसके पहले के कार्य या चूक से बाद में उत्पन्न अधिकार और दायित्व, प्रभावित नहीं होंगे। स्पष्ट रूप से जारी रहने वाले अथवा समाप्ति के परिणाम प्रभावी करने के लिए आवश्यक उपबंध भी प्रभावी रहेंगे।

## 17.7 अवधि

17.7.1 जब तक अनुच्छेद 4.3.1, अनुच्छेद 17.4 के अनुसार या पार्टियों के बीच आपसी समझौते द्वारा लिखित रूप में समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक यह समझौता अनुच्छेद 4 के अनुसार अपनी शुरुआत से लेकर भूमि पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 95 साल पूरे होने तक पूरी तरह से लागू और प्रभावी रहेगा। जिसके बाद समझौते की अवधि को आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जाए, जिसे पार्टियों द्वारा उचित माना जा सकता है, बशर्ते कि इस समझौते के निम्नलिखित अनुच्छेदों का भूमि पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करने की तारीख की नब्बेवीं (95) वर्षगांठ से कोई और बल और प्रभाव नहीं होगा: 6.1.2 (एमआईडीसी के दायित्व और (11.15.2 (न्यूनतम व्यवधान।)

उपरोक्त पैरा में उल्लिखित इस समझौते की अवधि के विस्तार की स्थिति में, पक्ष भूमि पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करने की तारीख की नब्बेवीं (90) वर्षगांठ की समाप्ति से शुरू करेंगे, पारस्परिक रूप से स्वीकार्य नियमों और शर्तों पर इस समझौते की अवधि बढ़ाने के लिए बातचीत शुरू करेंगे। यदि पक्ष भूमि पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करने की तारीख की नब्बेवीं (93) वर्षगांठ तक हवाई अड्डे के संशोधित कार्यकाल और शर्तों पर सहमत होने में असमर्थ हैं, तो समझौता भूमि पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर करने की तारीख की नब्बेवीं (95) वर्षगांठ पर समाप्त हो जाएगा और एम. आई. डी. सी. या उसके नामित व्यक्ति अनुच्छेद 1 में निर्धारित तरीके से हवाई अड्डे में आईएसएपीएल के सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों का अधिग्रहण करेंगे।

#### **17.8 निलंबन के अन्य अधिकार**

पक्षकारों को निलंबन का अधिकार केवल इस समझौते में स्पष्ट रूप से निर्धारित स्थितियों में होगा।

#### **17.9 प्रभावी रहना**

निलंबन के बाद भी अनुच्छेद 17.6 और 22 पक्षकारों पर बाध्यकारी रहेंगे।

#### **17.10 निलंबन**

एमआईडीसी को पूर्व लिखित सूचना देकर आईएसएपीएल अनुच्छेद 10.5 के परंतुक में वर्णित घटना होने पर विमानपत्तन के निर्माण और/या परिचालन तथा रखरखाव को निलंबित कर सकता है।

**भाग VI**  
**अन्य प्रावधान**

## अनुच्छेद 18

### 18 समनुदेशन और प्रतिभूति

#### 18.1 समनुदेशन और प्रतिभूति

18.1.1 प्रस्ताव देय तिथि के बाद भारत की विधि में ऐसा कोई परिवर्तन हो जो इस समझौते के समनुदेशन पर प्रभाव डाले-विनियामक विधि में परिवर्तन को छोड़कर-फिर भी अनुच्छेद 18.1.2 में अनुमत स्थिति के अतिरिक्त कोई पक्षकार इस समझौते, इसके किसी अधिकार, दायित्व या लाभ का समनुदेशन नहीं करेगा और न उन पर प्रतिभूति सृजित करेगा।

18.1.2 ऋणदाताओं को प्रतिभूति देने के प्रयोजन से आईएसएपीएल इस समझौते के अपने सभी या कुछ अधिकार और दायित्व समनुदेशित और अंतरित कर सकता है। वह प्रस्तावित ऋणदाताओं की पहचान एमआईडीसी को सूचित करेगा। एमआईडीसी सूचना मिलने के दस (10) दिनों के भीतर कारण बताकर किसी ऋणदाता को समनुदेशन/अंतरण पर आपत्ति कर सकता है; उस ऋणदाता को समनुदेशन या अंतरण नहीं किया जाएगा।

18.1.3 आईएसएपीएल वचन देता है कि वह उप-पट्टे या अन्यथा इस समझौते के अपने अधिकार या दायित्व किसी को प्रत्यायोजित नहीं करेगा।

## अनुच्छेद 19

### 19 देयता और क्षतिपूर्ति

#### 19.1 आईएसएपीएल की देयता

अनुच्छेद 17.3 और 19.2 के अधीन, आईएसएपीएल और एमआईडीसी तथा उनके कर्मचारियों, सेवकों और एजेंटों के बीच, विमानपत्तन एवं गैर-विमानपत्तन गतिविधियों की अभिकल्पना, निर्माण, रखरखाव और परिचालन से संबंधित किसी उपयोगकर्ता या अन्य व्यक्ति को हुई लागत, व्यय, हानि, देयता या क्षति का दायित्व आईएसएपीएल अकेला वहन करेगा, एमआईडीसी के विरुद्ध कोई प्रतिकार नहीं होगा, उस सीमा तक जहाँ यह आईएसएपीएल या उसके कर्मचारी, सेवक अथवा एजेंट की लापरवाही से उत्पन्न हो।

#### 19.2 विधिक कार्यवाहियों के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान

परियोजना विकास समझौते से संबंधित किसी न्यायालय या अधिकरण में अपने विरुद्ध विधिक कार्यवाही होने पर एमआईडीसी और आईएसएपीएल एक-दूसरे को उसकी सूचना देंगे।

#### 19.3 सूचना

एमआईडीसी और आईएसएपीएल को ऐसी माँग, दावा, कार्यवाही या प्रक्रिया अथवा उसकी आशंका का पता चलते ही वे यथाशीघ्र एक-दूसरे को सूचित करेंगे, यदि उससे संबंधित क्षतिपूर्ति का अधिकार उन्हें अनुच्छेद 19.1 या 19.2 के अधीन है। वे ऐसे दावे या कार्यवाही के प्रतिरक्षण के लिए युक्तियुक्त सहायता देंगे।

#### 19.4 देयता

पक्षकारों का आशय है कि इस समझौते में उनके परस्पर अधिकारों, दायित्वों और देयताओं का संपूर्ण विवरण है। इसलिए समझौते और उसके अनुसार किए गए दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से दिए

उपाय ही विमानपत्तन और उससे संबंधित अभ्यावेदन, वारंटी या वचन सहित मामलों में पक्षकारों की परस्पर देयता के अनन्य उपाय होंगे, भले विधि या साम्य में अन्य उपाय उपलब्ध हों।

### 19.5 अल्पीकरण

आईएसएपीएल लागू विधि के अनुसार विधि-परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को घटाने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय करेगा, जिनमें व्यवहार्य होने पर विमानपत्तन उपयोगकर्ताओं से लिए जाने वाले प्रभार बढ़ाना शामिल है। इस खंड के लिए विनियामक विधि में परिवर्तन को विधि-परिवर्तन नहीं माना जाएगा।

## अनुच्छेद 20

### 20 विवाद समाधान

#### 20.1 वार्ता और सुलह

पक्षकार इस समझौते से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी विवाद, मतभेद, दावे, प्रश्न या विरोध को आपसी बातचीत से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के युक्तियुक्त प्रयास करेंगे।

#### 20.2 मध्यस्थता को संदर्भ

विवाद निपटान के बारे में संबंधित स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण के विधान के अधीन, यदि एक पक्षकार की लिखित विवाद-सूचना के साठ (60) दिनों या पक्षकारों की सहमत लंबी अवधि में समाधान न हो, तो तीन मध्यस्थों द्वारा भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 तथा लागू नियमों के अनुसार विवाद का अंतिम निर्णय होगा। अधिनियम और नियमों में विरोध होने पर अधिनियम प्रभावी होगा।

#### 20.3 विविध

मध्यस्थता का स्थान मुंबई, महाराष्ट्र होगा। प्रत्येक पक्षकार नियमों के अनुसार मध्यस्थता खर्च देगा और अंतिम खर्च का भार पंचाट के अनुसार होगा। कोई मध्यस्थ किसी पक्षकार का वर्तमान या पूर्व कर्मचारी, एजेंट, सलाहकार या वकील अथवा उनसे निकटता से संबद्ध व्यक्ति नहीं होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

#### 20.4 निर्णय/अवॉर्ड

अनुच्छेद 20 के अधीन अधिकरण का निर्णय या अवॉर्ड अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। पंचाट को संबंधित पक्षकार की जहाँ भी स्थित परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रवर्तित किया जा सकेगा, किन्तु अनुच्छेद 22.13 में एमआईडीसी के संबंध में अपवर्जित परिसंपत्तियाँ इससे बाहर होंगी। आवश्यक होने पर सक्षम न्यायालय अवॉर्ड पर निर्णय दर्ज कर सकेगा और पक्षकार प्रवर्तन के लिए ऐसे न्यायालय की अधिकारिता स्वीकार करते हैं।

## अनुच्छेद 21

### 21 लोक शिकायतों का निवारण

## 21.1 शिकायत रजिस्टर

21.1.1 आईएसएपीएल विमानपत्तन पर जन-संपर्क कार्यालय रखेगा, जिसमें किसी व्यक्ति ("शिकायतकर्ता") की शिकायत दर्ज करने के लिए रजिस्टर हर समय उपलब्ध होगा। शिकायत दर्ज होने पर वह तारीख और शिकायत संख्या वाली रसीद तुरंत देगा।

21.1.2 रजिस्टर सुरक्षित रूप से बँधा और उसके सभी पृष्ठ क्रमांकित होंगे। उसमें शिकायत संख्या, शिकायतकर्ता का नाम और पता, शिकायत का सार तथा की गई कार्रवाई के स्तंभ होंगे। आईएसएपीएल विमानपत्तन पर रजिस्टर की उपलब्धता और पहुँच संबंधी सूचना प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा।

## 21.2 शिकायतों का निवारण

अनुच्छेद 21.3 के अधीन आईएसएपीएल रजिस्टर प्रतिदिन जाँचेगा और हर शिकायत के निवारण के लिए त्वरित तथा युक्तियुक्त कार्रवाई करेगा। कार्रवाई रजिस्टर में संक्षेप में दर्ज होगी और उसका विवरण शिकायतकर्ता को डाक प्रमाण के साथ भेजा जाएगा।

## 21.3 आरक्षित गतिविधियाँ

आरक्षित गतिविधियों के निष्पादन या अपूर्ति से संबंधित शिकायत संबंधित प्राधिकारी को आईएसएपीएल सूचित करेगा। प्राधिकारी प्रत्येक शिकायत के निवारण की त्वरित और युक्तियुक्त कार्रवाई करेगा, रजिस्टर में उसका संक्षिप्त उल्लेख दर्ज कराएगा और शिकायतकर्ता को डाक प्रमाण के साथ विवरण भेजेगा।

## अनुच्छेद 22

### 22 विविध

#### 22.1 उपाय, अधित्याग, संशोधन और सहमतियाँ

एमआईडीसी या आईएसएपीएल की ओर से प्रयोग करने में कोई विफलता, और इस समझौते के तहत किसी भी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय के प्रयोग में उनकी ओर से कोई देरी इसकी छूट के रूप में काम नहीं करेगी, और न ही किसी भी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का कोई एकल या आंशिक प्रयोग किसी अन्य या आगे के प्रयोग या किसी अन्य अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय के प्रयोग को रोक देगा। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, इस समझौते में प्रदान किए गए अधिकार, शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उपाय संचयी हैं और किसी अन्य अधिकार, शक्तियाँ, विशेषाधिकार या उपाय (चाहे कानून द्वारा या अन्यथा प्रदान किए गए हों) से अलग नहीं हैं।

#### 22.2 संशोधन, अधित्याग और सहमतियाँ

##### 22.2.1 संशोधन

इस समझौते के किसी भी प्रावधान को केवल पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित समझौते द्वारा संशोधित, पूरक या संशोधित किया जा सकता है।

एमआईडीसी या आईएसएपीएल किसी भी समय दूसरे से इस समझौते के किसी भी हिस्से के संचालन की समीक्षा करने के लिए चर्चा में प्रवेश करने का अनुरोध कर सकता है और, लेकिन किसी भी पक्ष पर प्रतिबद्धता के बिना, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या इसे आपसी समझौते द्वारा संशोधित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि, जब तक कि ऐसा पारस्परिक समझौता न हो, इस समझौते के प्रावधान (तब तक हाल ही में, यदि संशोधित किया गया हो) ऐसी किसी भी चर्चा या समीक्षा का जो भी परिणाम हो और ऐसी कोई चर्चा या समीक्षा होती है या नहीं, लागू होते रहेंगे।

इस समझौते के किसी भी अन्य प्रावधान की शर्तों के बावजूद, यह इस समझौते का उल्लंघन नहीं होगा यदि इस समझौते के किसी भी प्रावधान में किसी भी संशोधन, पूरक या संशोधन के लिए कानून द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है।

#### **22.2.2 अधित्याग और सहमति**

किसी प्रावधान या उसके उल्लंघन का पूर्व या पश्चात् अधित्याग केवल पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित समझौते से होगा।

किसी कार्य या चूक के लिए इस समझौते के अधीन अपेक्षित सहमति लिखित और उस कार्य से पहले दी जाएगी।

अधित्याग या सहमति शर्तों के अधीन दी जा सकती है और केवल निर्दिष्ट अवसर तथा प्रयोजन के लिए प्रभावी होगी।

#### **22.2.3 आईएसएपीएल की सूचीबद्धता पर संशोधन**

आईएसएपीएल समझौते की अवधि में उपयुक्त समय पर आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) पर विचार कर सकता है। किसी ऐसे आईपीओ से पहले पक्षकार संबंधित स्टॉक एक्सचेंज प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित संशोधनों के लिए इस समझौते की समीक्षा करेंगे और अपेक्षित संबंधित सूचनाएँ उपलब्ध कराएँगे।

#### **22.3 संपूर्ण समझौता**

यह समझौता और इसके अनुसार किए जाने वाले दस्तावेज इसके विषय में पक्षकारों का संपूर्ण समझौता हैं और उसी विषय पर उनके पूर्व लिखित या मौखिक समझौतों का स्थान लेते हैं।

#### **22.4 अतिरिक्त आश्वासन**

22.4.1 प्रत्येक पक्षकार युक्तियुक्त प्रयास करेगा कि संबंधित तृतीय पक्ष ऐसे दस्तावेज निष्पादित करें और कार्य करें जो अनुरोधकर्ता पक्षकार को इस समझौते का पूरा लाभ देने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हों, बशर्ते अनुरोधित पक्षकार को कोई हानि न हो और खर्च तथा जोखिम अनुरोधकर्ता पक्षकार वहन करे।

22.4.2 ऋणदाताओं के अनुरोध पर एमआईडीसी उनके साथ अनुसूची 7 के प्रारूप में प्रत्यक्ष समझौता करेगा। इसमें अन्य बातों के साथ एमआईडीसी अपने अधिकारों के प्रयोग की मंशा की पूर्व सूचना देने पर सहमत होगा, ताकि ऋणदाता आईएसएपीएल की चूक दूर कर सकें अथवा निर्धारित परिस्थितियों में स्वयं या तृतीय पक्ष की नियुक्ति से आईएसएपीएल के दायित्व और लाभ ग्रहण कर सकें।

## **22.5 आंशिक अमान्यता**

22.5.1 यदि किसी भी समय इस समझौते का कोई प्रावधान किसी भी क्षेत्राधिकार के किसी भी कानून के तहत किसी भी मामले में अवैध, अमान्य या अप्रवर्तनीय हो जाता है, तो न तो शेष प्रावधानों की वैधता, वैधता या प्रवर्तनीयता और न ही किसी अन्य क्षेत्राधिकार के कानून के तहत ऐसे प्रावधान की वैधता, वैधता या प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित या बाधित होगी और इस समझौते की शेष वैधता, वैधता और प्रवर्तनीयता प्रभावित नहीं होगी।

22.5.2 पार्टियां एक या अधिक प्रावधानों पर सहमत होने की दृष्टि से सद्भावना से बातचीत करेंगी, जिन्हें ऐसे किसी भी अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय प्रावधान के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है और जो एमआईडीसी के लिए संतोषजनक हैं और सभी परिस्थितियों में पार्टियों के वाणिज्यिक हितों का उचित संतुलन पेश करते हैं।

## **22.6 साझेदारी का अभाव**

यह समझौता, अन्य कोई समझौता या व्यवस्था अथवा उनके दायित्वों का पालन पक्षकारों के बीच साझेदारी का गठन नहीं करेगा। किसी पक्षकार को दूसरे पक्षकार को एजेंट के रूप में या अन्यथा बाध्य करने का अधिकार नहीं होगा, जब तक इस समझौते के अधीन उसे लिखित रूप में ऐसा अधिकार स्पष्ट रूप से न दिया गया हो और वह अधिकार वापस न लिया गया हो।

## **22.7 समय का महत्व**

इस समझौते में उल्लिखित तिथियों, अवधियों और दिन के समय तथा इस समझौते के अनुसार प्रतिस्थापित किसी तिथि, अवधि या समय के संबंध में समय इस समझौते का सार है।

## **22.8 समय की गणना**

इस समझौते में उल्लिखित समय मुंबई, महाराष्ट्र का समय है। निर्धारित अवधि की गणना में उस कार्य, घटना या चूक का दिन शामिल होगा जिससे अवधि आरंभ होती है। यदि गणना का अंतिम दिन कार्य दिवस न हो, तो अवधि अगले कार्य दिवस तक बढ़ेगी।

## **22.9 सूचनाएँ**

### **22.9.1 लिखित संप्रेषण**

इस समझौते के अधीन या इससे संबंधित संप्रेषण लिखित होगा और, अन्यथा निर्दिष्ट न होने पर, फैक्स या पंजीकृत डाक से किया जा सकता है।

#### **22.9.2 पते**

संबंधित पक्षकार को संप्रेषण या दस्तावेज भेजने का पता, फैक्स और ध्यानार्थ अधिकारी इस प्रकार हैं:

##### **एमआईडीसी:**

**महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एमआईडीसी)**

“उद्योग सारथी”, महाकाली केक्स रोड,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093

फैक्स: 022-26870698

ध्यानार्थ: संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आईटी)

##### **आईएसएपीएल:**

**आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (आईएसएपीएल)**

आईआरबी कॉम्प्लेक्स, चांदिवली फार्म, चांदिवली गाँव,

अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 072

फैक्स: 022-66751024

ध्यानार्थ: विनोद कुमार मेनन

कोई पक्षकार कम से कम पाँच (5) कार्य दिवस पहले दूसरे को सूचना देकर वैकल्पिक पता, फैक्स या ध्यानार्थ विभाग/अधिकारी नामित कर सकता है।

#### **22.10 सुपुर्दगी की अनुमानित तिथि**

इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए गए विषय के अधीन, इस समझौते के तहत या उसके अनुसार कोई भी संचार प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त माना जाएगा (यदि संचरण या टैलेक्स की पुष्टि के साथ फैक्स द्वारा भेजा जाता है और, टैलेक्स के मामले में, उत्तर प्राप्त होने के साथ) अगले कार्य दिवस पर जिस स्थान पर इसे भेजा जाता है या (किसी अन्य मामले में) जब अनुच्छेद 22.9.2 द्वारा आवश्यक पते पर छोड़ दिया जाता है या दस (10) के भीतर पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने के बाद ऐसे कार्य दिवसों के भीतर (यदि किसी अन्य देश को एयरमेल द्वारा भेजा जाता है) डाक पूर्व भुगतान किया जाता है और उस पते पर संबोधित किया जाता है। इन उद्देश्यों के लिए, कार्य दिवस शनिवार, रविवार और बैंक की छुट्टियों के अलावा अन्य दिन हैं।

#### **22.11 शासकीय भाषा**

इस समझौते की व्याख्या को नियंत्रित करने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा है। किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे को दिए जाने वाले सभी नोटिस और अन्य सभी संचार और दस्तावेज जो किसी भी तरह से इस समझौते के लिए प्रासंगिक हैं और जो इस समझौते के निष्पादन, कार्यान्वयन और समाप्ति के लिए प्रासंगिक हैं, जिसमें किसी भी विवाद समाधान कार्यवाही तक सीमित नहीं हैं, अंग्रेजी भाषा में होंगे।

22.12 शासी

### 22.12 शासकीय विधि

यह समझौता भारत की विधियों द्वारा शासित होगा और उन्हीं के अनुसार उसका निर्वचन किया जाएगा।

### 22.13 संप्रभु प्रतिरक्षा का अधित्याग

एमआईडीसी बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

(क) सहमत है कि उसके द्वारा इस समझौते और उस प्रतिभूति के दस्तावेजों का निष्पादन, सुपुर्दगी और पालन, जिनमें वह पक्षकार है, निजी और वाणिज्यिक कार्य हैं, सार्वजनिक या शासकीय कार्य नहीं; और

(ख) सहमत है कि इस समझौते या परिकल्पित लेनदेन के संबंध में उसके या उसकी परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही होने पर वह या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति संप्रभु प्रतिरक्षा का दावा नहीं करेगा।

### 22.14 चूक पर ब्याज

इस समझौते के अधीन देय और नियत तिथि तक न चुकाई गई राशि पर भारतीय स्टेट बैंक की मध्यम अवधि की प्रधान ऋण दर से दो (2) प्रतिशत अधिक दर पर ब्याज लगेगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप, एमआईडीसी और आईएसएपीएल ने ऊपर प्रथम उल्लिखित तिथि को अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों से इस समझौते पर हस्ताक्षर कराए हैं।

एमआईडीसी की ओर से उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और मुहरबंद:

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा:

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

साक्षियों की उपस्थिति में:

- 1 .
- 2 .

## अनुसूची 1: भारत सरकार से परियोजना की स्वीकृतियाँ

| क्रम संख्या     | अपेक्षित स्वीकृति                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>1.1        | <u>भारत सरकार</u><br>परियोजना के लिए अनुमोदन                                                                         |
| 2<br>2.1        | <u>नागर विमानन मंत्रालय</u><br>नया विमानपत्तन स्थापित करने हेतु मंजूरी                                               |
| 3<br>3.1<br>3.2 | <u>नागर विमानन महानिदेशालय</u><br>साइट के लिए अंतिम अनुमोदन<br>नए विमानपत्तन के प्रचालन के लिए लाइसेंस               |
| 4<br>4.1        | <u>रक्षा मंत्रालय</u><br>नया विमानपत्तन स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र                                        |
| 5<br>5.1<br>5.2 | <u>पर्यावरण एवं वन मंत्रालय</u><br>पर्यावरण स्वीकृति<br>गैर-वन संबंधी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग हेतु अनुमोदन |
| 6               | <u>विस्फोटक विभाग</u><br>विमानन ईंधन डिपो (यदि कोई हो) के स्थान के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र                           |

## अनुसूची 2: विमानपत्तन के प्रारंभिक चरण का विवरण और विनिर्देश

### 1. स्थान

विमानपत्तन का स्थान ऐसी समतल भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर चुना गया है जहाँ श्रेणी 'सी' प्रकार के विमान के परिचालन हेतु आवश्यक लंबाई का रनवे बनाया जा सके।

विमानपत्तन महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के जिला मुख्यालय कुडाल से लगभग 28 किमी पश्चिम चिपी-वाडी और परुले गाँवों के बीच स्थित है।

स्थल और उसके आसपास की भूमि तरंगित तथा लैटेराइट चट्टानयुक्त है; खेती संभव नहीं है।

विमानपत्तन के लिए अर्जित भूमि लगभग 260 हेक्टेयर (642 एकड़) है।

### 2. मास्टर प्लान

अगले 30 वर्षों की अनुमानित विमान यातायात वृद्धि के अनुरूप विमानपत्तन का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। प्रारंभ में एयरोड्रोम संदर्भ कोड 4C (जैसे B737, A320) के लिए नियोजन होगा और आगे का विस्तार कारोबार योजना तथा यातायात माँग के अनुसार होगा। नियोजन और अभिकल्पना राष्ट्रीय नागर विमानन विनियमों तथा आईसीएओ मानकों और अनुशंसित पद्धतियों, अनुलग्नक 14, खंड I, के अनुरूप होगी।

### 3. विमानपत्तन सुविधाओं के लिए निर्णायक अभिकल्पना विमान

देश के घरेलू विमानपत्तनों पर ए320 श्रृंखला, बी737 श्रृंखला, एटीआर 72 और एटीआर 42 सहित अनेक विमान चलते हैं। उनकी विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:

| विमान का प्रकार | विंग फैलाव (मी.) | टेल की ऊँचाई (मी.) | आईसीएओ एआरसी | अधिकतम टेक-ऑफ द्रव्यमान (कि.ग्रा.) | रेंज (समुद्री मील) | ईंधन क्षमता (लीटर) | एयरोड्रोम संदर्भ फ़ील्ड लंबाई |
|-----------------|------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| एटीआर 42        | 24.57            | 7.59               | 3सी          | 16700                              | 530                | 5700               | 1100 मी.                      |
| एटीआर 72        | 27.17            | 7.65               | 3सी          | 22670                              | 715                | 6400               | 1223 मी.                      |
| बी 737-400      | 34.30            | 11.15              | 4सी          | 68050                              | 1650               | 23800              | 2350 मी.                      |
| बी 737-800      | 34.30            | 12.50              | 4सी          | 79400                              | 3000               | 26000              | 2350 मी.                      |
| ए 319           | 34.10            | 11.91              | 4सी          | 64000                              | 3000               | 23900              | 2150 मी.                      |

| विमान का प्रकार                          | विंग फैलाव (मी.) | टेल की ऊँचाई (मी.) | आईसीएओ एआरसी | अधिकतम टेक-ऑफ द्रव्यमान (कि.ग्रा.) | रेंज (समुद्री मील) | ईंधन क्षमता (लीटर) | एयरोड्रोम संदर्भ फ़ील्ड लंबाई |
|------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| ए 320-200                                | 34.10            | 11.91              | 4सी          | 75500                              | 2600               | 23900              | 2150 मी.                      |
| ए 321                                    | 34.10            | 12.09              | 4सी          | 83000                              | 2800               | 23700              | 2250 मी.                      |
| सीआरजे 200<br>ईआर<br>(50 यात्री)         | 21.21            | 6.22               | 3सी          | 23133                              | 1345               | 7210               | 1770 मी.                      |
| सीआरजे 700<br>ईआर<br>(70 यात्री)         | 23.20            | 7.57               | 3सी          | 34019                              | 1732               | 9800               | 1676 मी.                      |
| एंब्रेयर 170-<br>100 एलआर<br>(70 यात्री) | 26.00            | 9.85               | 3सी          | 37200                              | 2000               | 11625              | 1590 मी.                      |

## तालिका-विमान विशिष्टताएं

प्रारंभिक चरण का अभिकल्पना विमान एयरोड्रोम संदर्भ कोड 4C (उदाहरण: B737 और A320) की श्रेणी में होगा। विकासकर्ता व्यवसाय योजना और यातायात परिदृश्य के अनुसार विमानपत्तन के आगामी चरण विकसित कर सकता है, जिनमें अंतरराष्ट्रीय दर्जे की अपेक्षाएँ पूरी करना शामिल है।

### 5. रनवे

#### i. रनवे का अभिविन्यास

रनवे का अभिविन्यास  $08^{\circ}-27^{\circ}$  (चुंबकीय  $87^{\circ}-257^{\circ}$ ) है। यह अभिविन्यास विमानपत्तन से लगभग 96 किमी दूर स्थित मौसम केंद्र के आँकड़ों से निर्धारित किया गया है।

#### ii. रनवे लंबाई अपेक्षाएं

प्रारंभिक चरण में रनवे लगभग 3,170 मीटर लंबा होगा अथवा कोड 4सी के विमानों, जैसे बी737 या ए320, की अपेक्षाएँ पूरी करने हेतु अभिकल्पित होगा। यातायात और बाजार की स्थिति के अनुसार इसे आगे कम से कम 3,500 मीटर तक बढ़ाया जाएगा। दोनों सिरों पर स्टॉपवे होंगे।

### 6. रनवे चौड़ाई

आईसीएओ अनुलग्नक 14, खंड I के अनुसार कोड 4C के लिए आवश्यक रनवे चौड़ाई 45 मीटर है।

### 7. टैक्सीवे

लगभग रनवे की आधी लंबाई में समानांतर टैक्सीवे अपेक्षित है। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ ढाल, ढाल में बदलाव, दृष्टि दूरी, बदलावों के बीच दूरी, पक्की सतह के चिह्न, संकेत-पट्ट और सतही सटीकता आईसीएओ के मानकों और अनुशंसित पद्धतियों के अनुसार होंगे।

### 8. एप्रन

कम से कम पाँच विमान पार्किंग बे वाला एप्रन अपेक्षित हो सकता है। अंतिम क्षेत्रफल अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार होगा और भू-समर्थन वाहनों की आवाजाही के लिए पर्याप्त स्थान होगा। पाँच में से दो बे भारतीय वायुसेना के लिए रक्षा मंत्रालय की अपेक्षाओं और विनिर्देशों के अनुसार समर्पित होंगे; अन्य तीन श्रेणी सी के होंगे।

ए320 और बी737 श्रृंखला के विमानों के लिए अपेक्षित मजबूती वाला रिजिड पेवमेंट एप्रन 30 वर्ष के अभिकल्पना जीवन के लिए किफायती हो सकता है। निम्न तालिका आवश्यक एसीएन/पीसीएन के लिए मार्गदर्शन देती है। प्रत्येक पंक्ति में पहले अधिकतम टेकऑफ भार (किग्रा), फिर लचीली सतह के उच्च/मध्यम/निम्न/अति-निम्न उपग्रेड और कठोर सतह के उन्हीं चार उपग्रेड के मूल्य दिए हैं:

|                                         |                                         | एसीएन                                         |             |            |                   |                                             |             |             |                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| विमान का प्रकार/<br>मुख्य पहिया विन्यास | एमटीओडब्ल्यू<br>ओडब्ल्यूई<br>(कि.ग्रा.) | लचीला पेवमेंट<br>सब-ग्रेड सीबीआर <sup>१</sup> |             |            |                   | रिजिड पेवमेंट<br>सब-ग्रेड के (एमएन/एम३ में) |             |             |                    |
|                                         |                                         | उच्च<br>15                                    | मध्यम<br>10 | निम्न<br>6 | अति<br>निम्न<br>3 | उच्च<br>150                                 | मध्यम<br>80 | निम्न<br>40 | अति<br>निम्न<br>20 |
| ए 319-100                               | 74400                                   | 39                                            | 40          | 45         | 50                | 44                                          | 46          | 49          | 51                 |
|                                         | 38200                                   | 18                                            | 18          | 20         | 23                | 20                                          | 20          | 22          | 24                 |
| ए 320-200                               | 72500                                   | 37                                            | 39          | 44         | 50                | 40                                          | 43          | 45          | 48                 |
|                                         | 40200                                   | 19                                            | 19          | 21         | 25                | 20                                          | 21          | 23          | 24                 |
| ए 321-200                               | 87700                                   | 49                                            | 52          | 58         | 63                | 56                                          | 59          | 62          | 64                 |
|                                         | 46100                                   | 23                                            | 24          | 26         | 30                | 26                                          | 28          | 29          | 31                 |
| बी 737-400                              | 67000                                   | 38                                            | 40          | 45         | 49                | 43                                          | 45          | 47          | 49                 |
|                                         | 35000                                   | 18                                            | 18          | 20         | 23                | 20                                          | 21          | 22          | 23                 |
| बी 737-800                              | 77700                                   | 44                                            | 46          | 51         | 56                | 51                                          | 53          | 56          | 57                 |
|                                         | 40600                                   | 21                                            | 21          | 23         | 26                | 24                                          | 25          | 26          | 27                 |

## 9. आइसोलेशन बे

पृथक विमान पार्किंग बे आईसीएओ मानकों के अनुसार बनाया जाएगा।

## 10. दिक्कालन सहायक उपकरण

डीवीओआर।

विमानपत्तन पर संलग्न दूरी-मापन उपकरण (डीएमई) के साथ डॉप्लर वीएचएफ सर्वदिशात्मक रेडियो रेंज (डीवीओआर) आवश्यक है, जिसके चारों ओर 310 मीटर का खुला क्षेत्र होगा। उसका स्थान अनुमोदित मास्टर प्लान में यथासंभव उच्चतम उपलब्ध भूमि पर चिह्नित किया जाएगा। सटीकता युक्त एप्रोच के लिए श्रेणी I आईएलएस भी उपलब्ध कराया जाएगा।

## 11. संचार सहायक उपकरण

मानक नियंत्रण क्षेत्रों को कवर करने हेतु कम से कम सात चैनलों/आवृत्तियों पर चलने में सक्षम वीएचएफ आर/टी (एयर-टू-ग्राउंड) आवश्यक है। ग्राउंड-टू-ग्राउंड संचार हेतु अलग उपकरण भी होंगे। सामान्य आवश्यकता के अनुसार निम्न उपकरण प्रस्तावित हैं:

- स्वचालित संदेश स्विचिंग स्टेशन (एएमएसएस)
- एयरोनॉटिकल फिक्स्ड टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्क (एएफटीएन)
- एटीएस डायरेक्ट स्पीच सर्किट (एटीएस-डीएस)
- वॉइस लॉगिंग सिस्टम
- पीएबीएक्स एक्सचेंज

## 12. वायु यातायात नियंत्रण सुविधा

आईएसएपीएल द्वारा निर्मित भवन में वायु यातायात नियंत्रण सुविधा एएआई उपलब्ध कराएगा। नियंत्रण टावर और तकनीकी ब्लॉक के उपकरणों की जिम्मेदारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की होगी। विस्तृत अपेक्षाएँ एएआई और विकासकर्ता परस्पर निर्धारित करेंगे।

## 13. दृश्य सहायक उपकरण

### एप्रोच लाइट

रनवे 27 पर श्रेणी I एप्रोच लाइट और रनवे 08 पर सरल एप्रोच लाइट दी जाएँगी।

### पीएपीआई

रनवे के दोनों सिरों पर प्रिसिजन एप्रोच पाथ इंडिकेटर (पीएपीआई) होंगे।

### रात्रि अवतरण सुविधाएँ

विमानपत्तन रात्रि परिचालन के लिए सुसज्जित होगा। रनवे पर थ्रेशोल्ड, किनारे, अंत और एप्रोच लाइट तथा टैक्सीवे और एप्रन की प्रकाश व्यवस्था दी जाएगी।

### एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था

एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था में निम्न शामिल हैं:

- रनवे एज लाइट
- रनवे एंड लाइट
- रनवे थ्रेशोल्ड लाइट
- रनवे सेंटरलाइन लाइट
- टचडाउन जोन लाइट
- टैक्सीवे एज लाइट
- एप्रन हाई मास्ट
- एप्रन बे लाइट

## 14. यात्री टर्मिनल

टर्मिनल भवन मास्टर प्लान के अनुसार यातायात संभालने की क्षमता वाला होगा। आवश्यकता होने पर बाद में एक और मंजिल जोड़ने की संभावना के साथ उसकी अभिकल्पना होगी; प्रारंभिक रूप में एयरोब्रिज सुविधा परिकल्पित नहीं है। भवन की वास्तुकला स्थानीय वास्तु शैली से मेल खाएगी और सार्वजनिक भवन के लिए उपयुक्त उच्च निर्माण-मानक होंगे। विमानपत्तन परिचालन में बाधा डाले बिना भविष्य में टर्मिनल का विस्तार संभव होगा।

टर्मिनल उपकरणों में सुरक्षा जाँच, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली, अग्नि अलार्म, धुआँ संसूचक, अग्निशामक यंत्र और सामान प्रबंधन की उपयुक्त व्यवस्था शामिल होगी।

आप्रवासन और सीमा-शुल्क काउंटर, यात्री प्रतीक्षा/बैठक व्यवस्था, दुकानें, बैगेज ट्रॉली, चेक-इन काउंटर और पर्याप्त क्षेत्र तथा सुविधाओं वाला पृथक वीआईपी लाउंज उपलब्ध कराया जाएगा।

### **15. वायु यातायात नियंत्रण टावर**

टावर इतनी उपयुक्त ऊँचाई का होगा कि परिचालन क्षेत्रों और एप्रोच मार्गों का निर्बाध दृश्य मिले। नियंत्रण कक्ष में विमानपत्तन के परिचालन स्तर के लिए आवश्यक उपकरण समा सकेंगे और उसमें गैर-परावर्तक, चकाचौंध-रोधी काँच होगा। साज-सज्जा एटीएस सेवा प्रदाता की अपेक्षा के अनुसार होगी। टावर टर्मिनल भवन का भाग हो सकता है या उसके पास अलग संरचना के रूप में बनाया जा सकता है। एटीसी सेवा प्रदाता की अपेक्षाएँ उपलब्ध होने पर उन्हीं के अनुसार अभिकल्पना होगी।

### **16. बचाव और अग्निशमन सेवाएँ**

आईसीएओ मानकों के अनुसार बचाव और अग्निशमन सेवा उपलब्ध होगी। उपयुक्त त्वरित हस्तक्षेप वाहन (आरआईवी) और क्रैश फायर टेंडर (सीएफटी) दिए जाएँगे।

### **17. विमानपत्तन सुरक्षा**

सुरक्षा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएस) के मानकों के अनुरूप होगी। सामान्यतः परिचालन क्षेत्र की सुरक्षा विमानपत्तन परिचालक और टर्मिनल भवन की सुरक्षा बीसीएस की जिम्मेदारी होगी। भूमि-पक्ष और विमान-पक्ष सुविधाओं को अलग करने के लिए बीसीएस विनिर्देशों के अनुसार सुरक्षा दीवार या बाड़ तथा संपूर्ण विमानपत्तन संपत्ति की सुरक्षा हेतु बाहरी परिधि-बाड़ बनाई जाएगी।

### **18. एयरसाइड सेवा सड़कें**

टर्मिनल, अग्निशमन केंद्र और रनवे को जोड़ने वाली एयरसाइड सड़कें होंगी, जिन पर सभी मौसम में भू-समर्थन और अग्निशमन वाहन चल सकें। विमानपत्तन सुरक्षा दीवार के साथ परिधि सड़क तथा अन्य एयरसाइड निरीक्षण सड़कें उत्तम उद्योग पद्धति के अनुसार होंगी।

### **19. जल आपूर्ति**

विमानपत्तन की सीमा तक पेयजल संपर्क दिया जाएगा। पर्याप्त भंडारण और पंप व्यवस्था से विभिन्न सुविधाओं को आवश्यक जल वितरण होगा। अग्निशमन हेतु आवश्यक जल की भी व्यवस्था की जाएगी। आईएसएपीएल वर्षा जल संचयन की सुविधाएँ बनाएगा।

### **20. सीवेज निपटान**

सीवेज और वर्षा-जल निकासी पृथक प्रणालियों के रूप में अभिकल्पित होंगे। सीवेज प्रणाली में संग्रह नेटवर्क, शोधन और निपटान शामिल होंगे।

## **21. वर्षा-जल निकासी**

एयरसाइड और लैंडसाइड के लिए उपयुक्त निकासी प्रणाली बनाई जाएगी और वर्षा का पानी निकटवर्ती प्राकृतिक जलधाराओं में छोड़ा जाएगा।

## **22. दूरसंचार**

आवश्यकतानुसार दूरभाष नेटवर्क और बेतार संचार सहित दूरसंचार व्यवस्था उपलब्ध होगी।

## **23. विद्युत**

विकासकर्ता प्रस्तावित विकास के लिए आवश्यक विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करेगा। विमानपत्तन क्षेत्र के उपकेंद्र से महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड की उच्च-वोल्टता बल्क आपूर्ति ली जा सकती है। पर्याप्त अग्रिम अवधि का भार आकलन करके स्थानीय विद्युत विभाग से आपूर्ति की व्यवस्था, आवश्यक उपकेंद्र और वितरण नेटवर्क बनाए जाएँगे। आवश्यकतानुसार आपात विद्युत आपूर्ति और आवश्यक नौवहन सहायकों के लिए जनरेटर दिए जाएँगे।

## **24. सब स्टेशन भवन**

ट्रांसफॉर्मर, स्विच बोर्ड और स्टैंडबाय जनरेटर रखने हेतु अपेक्षित क्षेत्रफल वाला उपकेंद्र भवन बनेगा। उसके विनिर्देश स्थानीय विद्युत विभाग के मानकों के अनुसार होंगे।

## **25. बाहरी क्षेत्र प्रकाश व्यवस्था**

मुख्य और द्वितीयक पहुँच सड़कों तथा एटीसी और आवासीय भवनों तक जाने वाले अन्य मार्गों पर प्रकाश व्यवस्था होगी।

## **26. वातानुकूलन और संवातन प्रणाली**

एटीसी टावर तथा यात्री टर्मिनल भवन सहित आवश्यक सुविधाओं में वातानुकूलन और संवातन प्रणाली उपलब्ध होगी।

## **27. टर्मिनल पार्किंग**

कार पार्किंग यात्रियों और आगंतुकों के लिए सुविधाजनक होगी। यात्रियों को उतारने और लेने के अलग क्षेत्र होंगे। निजी कार, टैक्सी, कर्मचारियों की कार और वाहन, वीआईपी तथा वीवीआईपी कारों के लिए पार्किंग दी जाएगी।

## **28. रखरखाव भवन और कार्यशाला**

भविष्य में विमानपत्तन वाहनों, विद्युत और यांत्रिक उपकरणों तथा अन्य उपयोगों के लिए रखरखाव सुविधाएँ आवश्यक हो सकती हैं। इनमें सामग्री और कलपुर्जों के भंडारण का स्थान होगा; मास्टर प्लान में इनके लिए स्थान निर्धारित किया जाएगा।

## **29. विमानपत्तन पहुँच सड़क**

निकटतम संपर्क मार्ग से टर्मिनल भवन तक मुख्य सड़क दो लेन वाली होगी, प्रत्येक दिशा में एक लेन और शोल्डर सहित। मुख्य तथा द्वितीयक पहुँच सड़कों और एटीसी तथा आवासीय भवनों के मार्गों पर प्रकाश होगा।

## **30. पर्यावरण प्रबंधन**

राष्ट्रीय पर्यावरण विधि और स्थानीय प्राधिकारी के विनियमों के अनुसार उचित चरण पर पर्यावरण प्रबंधन कार्यक्रम स्थापित होगा। आवश्यक होने पर संबंधित प्राधिकारी से पर्यावरण स्वीकृति ली जाएगी।

## **31. भूमि उपयोग**

विमानपत्तन भूमि का उपयोग मुख्यतः विमानपत्तन सुविधाओं और आवश्यकताओं के लिए होगा। शेष भूमि केवल अनुमोदित भूमि उपयोग योजना के अनुसार उपयोग की जाएगी। विमानपत्तन के भीतर अथवा आसपास आईएसएपीएल का विकास आईसीएओ के मानकों के अनुरूप होगा।

## **32. विमानपत्तन परिचालन मानक**

विमानपत्तन का परिचालन कम से कम निम्न मानकों के अनुरूप अपेक्षित है:

- (क) कुशल और सुरक्षित विमान परिचालन;
- (ख) उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रणालियाँ और सेवाएँ;
- (ग) कर्मचारियों का शिष्टाचार;
- (घ) स्वच्छ वातावरण;
- (ङ) सफाई; और
- (च) यात्रियों, आगंतुकों और कर्मचारियों के लिए मूलभूत सुविधाएँ।



**अनुसूची 3, भाग 1**  
**विमानपत्तन गतिविधियाँ**

विमानपत्तन गतिविधियों में निम्न सेवाएँ, सुविधाएँ और उपकरण शामिल हैं:

- (क) एयरोड्रोम नियंत्रण सेवाएँ;
- (ख) हवाई पुल/एयरोब्रिज;
- (ग) एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था;
- (घ) विमानपत्तन से संबंधित वायु नौवहन सेवाएँ;
- (ङ) पहुँच नियंत्रण और बाड़ सहित एयरसाइड तथा परिधि सुरक्षा;
- (च) प्रकाश, यातायात संकेत और चिह्नांकन सहित एयरसाइड और लैंडसाइड पहुँच सड़कें तथा अग्र-प्रांगण;
- (छ) एप्रन और विमान पार्किंग क्षेत्र;
- (ज) एप्रन नियंत्रण और विमान स्टैंड का आबंटन;
- (झ) आगमन कॉन्कोर्स और मिलन क्षेत्र;
- (ञ) बाहर जाने वाले तथा प्राप्त होने वाले सामान की प्रणालियाँ;
- (ट) सामान सुरक्षा जाँच;
- (ठ) चेक-इन कॉन्कोर्स;
- (ड) शीतलन, तापन, प्रकाश और वातानुकूलन;
- (ढ) आपात सेवाएँ;
- (ण) दिव्यांग और विशेष आवश्यकताओं वाले अन्य व्यक्तियों की सुविधाएँ;
- (त) अग्निशमन सेवा;
- (थ) उड़ान सूचना और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली;
- (द) अपशिष्ट और सतही जल निकासी;
- (ध) मार्गदर्शन प्रणालियाँ और चिह्नांकन;
- (न) सूचना काउंटर और कर्मचारी व्यवस्था; और
- (प) भू-दृश्य विकास तथा यातायात व्यवस्था।
- (फ) लिफ्ट, एस्केलेटर और यात्री कन्वेयर;
- (ब) खोई हुई संपत्ति;
- (भ) मौसम-विज्ञान सेवाएँ और सहायक प्रणालियाँ;
- (म) ध्वनि-रोधी स्थापना;
- (य) यात्रियों और हाथ के सामान की तलाशी;
- (र) पार्क और गेट कक्ष;
- (ल) पुलिस व्यवस्था और सामान्य सुरक्षा;
- (व) रनवे;
- (श) संकेत-पट्ट;

- (ष) कर्मचारियों की सुविधाएँ;
- (स) शौचालय और शिशु-देखभाल/स्तनपान कक्ष;
- (ह) अपशिष्ट और कचरे का उपाय तथा निपटान;
- (क्ष) कैरी-ऑन और चेक-इन सामान के लिए एक्स-रे सेवा;
- (त्र) विमान सफाई सेवाएँ;
- (ज्ञ) विमान में ईंधन भरने की सेवाएँ;
- (कक) एयरलाइन कार्यालय;
- (खख) वाहन पार्किंग;
- (गग) कार्गो प्रबंधन;
- (घघ) विमानन भोजन सेवा;
- (ङङ) माल समेकन/अग्रेषण एजेंसियाँ;
- (चच) सामान्य विमानन के लिए भू-प्रबंधन;
- (छछ) सामान्य विमानन टर्मिनल;
- (जज) सामान्य खुदरा दुकानें-आईएसएपीएल केवल मूल अवसंरचना सुविधाओं में निवेश करेगा; और
- (झझ) भू-प्रबंधन सेवाएँ।
- (ञञ) भू-प्रबंधन उपकरण;
- (टट) हैंगर;
- (ठठ) होटल आरक्षण सेवाएँ-आईएसएपीएल केवल मूल अवसंरचना सुविधाओं में निवेश करेगा;
- (डड) सड़क, नहर, जल आपूर्ति आदि सहित विमानपत्तन परिसर की अवसंरचना;
- (ढढ) विद्युत सेवा;
- (णण) सार्वजनिक दूरभाष-आईएसएपीएल केवल मूल अवसंरचना सुविधाओं में निवेश करेगा;
- (तत) रेस्टोरेंट, बार और अन्य जलपान सुविधाएँ-आईएसएपीएल केवल मूल अवसंरचना सुविधाओं में निवेश करेगा;
- (थथ) विशेष सहायता सेवाएँ;
- (दद) पर्यटन सूचना सेवाएँ-आईएसएपीएल केवल मूल अवसंरचना सुविधाओं में निवेश करेगा;
- (धध) यात्रा एजेंसी-आईएसएपीएल केवल मूल अवसंरचना सुविधाओं में निवेश करेगा;
- (नन) ट्रॉली सेवा;
- (पप) बिजली, गैस और दूरसंचार सहित उपयोगिता सेवाएँ;
- (फफ) वाहन ईंधन भरने की सेवाएँ-आईएसएपीएल उन्हें केवल विमानपत्तन और संबंधित क्षेत्र के लिए करेगा;
- (बब) वाहन किराया-आईएसएपीएल केवल मूल अवसंरचना सुविधाओं में निवेश करेगा;
- (भभ) वैंडिंग मशीनें-आईएसएपीएल केवल मूल अवसंरचना सुविधाओं में निवेश करेगा;
- (मम) वीआईपी/विशेष लाउंज; और
- (यय) गोदाम।

**अनुसूची 3, भाग 2**  
**गैर-विमानपत्तन गतिविधियाँ**

आईएसएपीएल अपनी आवश्यकता के अनुसार लागू विधियों, जिनमें डीजीसीए, महाराष्ट्र सरकार, एमआईडीसी और स्थानीय प्राधिकारियों के नियम तथा विनियम शामिल हैं, का पालन करके गैर-विमानपत्तन गतिविधियाँ विकसित कर सकता है। इनमें निम्न सेवाएँ, सुविधाएँ और उपकरण शामिल हैं:

- (क) विमानपत्तन परिवहन सेवाएँ, जैसे होटल की सेवाएँ;
- (ख) व्यापार पार्क;
- (ग) होटल और मनोरंजन स्थल;
- (घ) औद्योगिक पार्क;
- (ङ) विशेष आर्थिक क्षेत्र;

- (च) गोल्फ कोर्स;
- (छ) कंट्री क्लब;
- (ज) खाद्य स्टॉल;
- (झ) स्वतंत्र विद्युत उत्पादन संयंत्र;
- (ञ) विनिर्माण उद्योग सहित उत्पादन केंद्र;
- (ट) उड़ान प्रशिक्षण स्कूल, फ्लाईंग क्लब और नागर विमानन अकादमी; तथा
- (ठ) एमआईडीसी के पूर्व अनुमोदन से अन्य गतिविधियाँ।

## अनुसूची 4 अप्रत्याशित घटना (फोर्स मेज्योर) की परिभाषा

इस समझौते में “अप्रत्याशित घटना” का अर्थ नीचे वर्णित कोई कार्य, घटना, परिस्थिति या उनका संयोजन है, जो प्रभावित पक्षकार के युक्तियुक्त नियंत्रण से बाहर हो, उसी पक्षकार के कहने पर उत्पन्न न हुआ हो, और जिसे उत्तम उद्योग पद्धति या निर्माण संबंधी युक्तियुक्त कौशल और सावधानी से रोका न जा सकता हो; जिसके परिणाम से किसी पक्षकार के समझौते के दायित्वों का पूरा या आंशिक पालन वास्तव में रुकता, बाधित या विलंबित होता हो।

उपर्युक्त शर्तें पूरी होने की सीमा तक निम्न घटनाएँ अप्रत्याशित घटना में शामिल हैं:

(i) राष्ट्रीय या राज्य स्तर की हड़ताल, तालाबंदी, अन्य औद्योगिक कार्रवाई अथवा श्रम विवाद, जिसमें पक्षकार, उसके संविदाकार, उप-संविदाकार, सेवक या एजेंट और भारत में कार्य निष्पादन या माल/सेवा आपूर्ति में लगे व्यक्ति शामिल हों;

(ii) बिजली, भूकंप, चक्रवात, तूफान, बवंडर, बाढ़, बहाव, भूस्खलन, मृदा-अपरदन, भूमि धँसना, सूखा, जल-अभाव या अन्य असामान्य चरम प्रतिकूल मौसम अथवा पर्यावरणीय दशाएँ; उल्कापिंड या बाहरी अंतरिक्ष उपकरण से वस्तुओं का गिरना; सुपरसोनिक विमान या उपकरणों से दबाव-तरंग; तथा विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण या आयनीकारी विकिरण, सिवाय उस स्थिति के जब उसका स्रोत प्रभावित पक्षकार या उसके लगाए लोगों द्वारा स्थल पर या निकट लाया गया हो और वह विमानपत्तन निर्माण या परिचालन के लिए आवश्यक न हो;

(iii) प्रारंभिक चरण का वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने से पहले विमानपत्तन में लगाने के लिए किसी भी परिवहन साधन से ले जाए जा रहे कार्गो की आकस्मिक हानि या क्षति;

(iv) विमानपत्तन की हानि या गंभीर आकस्मिक क्षति;

(v) विमान के उतरने, पार्क होने या उसकी सेवा, ईंधन आपूर्ति सहित, के दौरान विमान से संबंधित दुर्घटना, विस्फोट, आग या अन्य आपदा;

(vi) महामारी;

(vii) घोषित या अघोषित युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष, विदेशी शत्रु कार्रवाई, नाकाबंदी, प्रतिबंध, क्रांति, दंगा, बमबारी या नागरिक अशांति;

(viii) तोड़फोड़, आतंकवाद या उसकी आशंका; तथा

(ix) दैवी आपदा।

(x) ऊपर वर्णित घटनाओं के समान प्रकृति का कोई अन्य कार्य, घटना या परिस्थिति।

(xi) परंतु निम्न और उनके परिणाम अप्रत्याशित घटना नहीं होंगे:

(क) कोई भुगतान करने में विफलता या असमर्थता; और

(ख) बाजार दशाओं का प्रभाव, जब तक वे स्वयं अप्रत्याशित घटना से उत्पन्न न हुई हों।

(ग) यदि ऊपर वर्णित घटना मुख्यतः किसी तृतीय पक्ष, विमानपत्तन के निर्माण संविदाकार या परिचालक सहित, अथवा किसी पक्षकार की सम्बद्ध इकाई को प्रभावित करती है और उसके कारण पक्षकार के दायित्वों में रोक, बाधा या विलंब होता है, तो वह इस समझौते के लिए तभी अप्रत्याशित घटना मानी जाएगी जब वही घटना उस पक्षकार को सीधे प्रभावित करने पर इस अनुसूची की परिभाषा में आती।

**अनुसूची 5**  
**निष्पादन प्रतिभूति**  
**(बैंक गारंटी का प्रारूप)**

जबकि:

(क) आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (आईएसएपीएल) और महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) ने 25 सितंबर 2009 को परियोजना विकास समझौता किया है, जिसके अनुसार आईएसएपीएल महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत अभिकल्पना, निर्माण, वित्तपोषण और परिचालन के आधार पर विमानपत्तन तथा गैर-विमानपत्तन गतिविधियों का विकास, परिचालन और रखरखाव करेगा;

(ख) समझौते के अधीन आईएसएपीएल को अपने दायित्वों के विधिवत् और निष्ठापूर्ण पालन की प्रतिभूति के लिए ₹2,50,00,000 ("गारंटी राशि") की निष्पादन प्रतिभूति एमआईडीसी को देनी है; और

(ग) हम, \_\_\_\_\_ बैंक, अपनी \_\_\_\_\_ शाखा के माध्यम से यह बैंक गारंटी देने पर सहमत हैं।

अतः बैंक बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से निम्न गारंटी देता है:

1. बैंक समझौते की अवधि में आईएसएपीएल के दायित्वों के विधिवत् और निष्ठापूर्ण पालन की गारंटी देता है तथा एमआईडीसी की पहली लिखित माँग पर, बिना किसी विलंब, आरक्षण, उपाय, प्रतिरक्षा या विरोध के और आईएसएपीएल से पूछे बिना, एमआईडीसी द्वारा माँगी गई राशि या राशियाँ गारंटी राशि की कुल सीमा तक भुगतान करेगा। एमआईडीसी को माँग का आधार या कारण सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी से कम पद का न होने वाले एमआईडीसी अधिकारी का प्रमाणपत्र कि आईएसएपीएल ने अपने दायित्व में चूक की है, बैंक के लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा। चूक हुई है या नहीं, इसका निर्णय एमआईडीसी अकेला करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा, भले पक्षकारों के बीच कोई मतभेद या न्यायालय/अधिकरण में विवाद लंबित हो अथवा आईएसएपीएल किसी अन्य कारण से मुक्त हुआ हो।
2. इस गारंटी के प्रभाव के लिए एमआईडीसी बैंक को प्रधान देनदार मान सकता है। आईएसएपीएल या बैंक की संरचना में समामेलन अथवा अन्य परिवर्तन बैंक की देयता को प्रभावित नहीं करेंगे।
3. एमआईडीसी की माँग से पहले आईएसएपीएल के विरुद्ध कार्यवाही आवश्यक नहीं होगी और बैंक ऐसी आवश्यकता का अधित्याग करता है।

4. एमआईडीसी समझौते की शर्तों में परिवर्तन, दायित्वों की पूर्ति की समय-सीमा बढ़ाने, आईएसएपीएल के विरुद्ध अधिकारों के प्रयोग को स्थगित करने या किसी शर्त/प्रतिभूति के प्रवर्तन से विरत रहने का अधिकार रखेगा और इन कार्यों से बैंक की गारंटी-देयता प्रभावित नहीं होगी। एमआईडीसी द्वारा दी गई मोहलत, सहिष्णुता, कार्य या चूक तथा ऐसा अन्य विषय, जिससे अन्यथा प्रतिभूति विधि के अधीन गारंटर मुक्त होता, बैंक को मुक्त नहीं करेगा; बैंक संबंधित अधिकार छोड़ता है।
5. यह गारंटी एमआईडीसी के पास वर्तमान या भविष्य में उपलब्ध अन्य गारंटी या प्रतिभूति के अतिरिक्त है, उसका प्रतिस्थापन नहीं।
6. इस गारंटी के अधीन बैंक की देयता गारंटी राशि तक सीमित होगी। गारंटी नीचे खंड 8 में निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेगी। इसकी वैधता समाप्त होने से छह (6) माह के भीतर एमआईडीसी द्वारा बैंक से लिखित माँग या दावा न करने पर इसके अधीन एमआईडीसी के अधिकार समाप्त और बैंक मुक्त हो जाएगा।
7. पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से छह (6) माह बाद निष्पादन प्रतिभूति प्रभावी नहीं रहेगी।
8. बैंक एमआईडीसी की पूर्व स्पष्ट लिखित सहमति के बिना वैधता के दौरान गारंटी वापस नहीं लेगा। बैंक घोषित करता है कि उसे गारंटी देने की शक्ति है और नीचे हस्ताक्षरकर्ता उसके लिए पूर्णतः प्राधिकृत है।
9. माँग या अन्य सूचना बैंक की उल्लिखित शाखा को डाक से भेजी जा सकती है; शाखा ऐसी सूचना प्राप्त करने और भुगतान करने के लिए प्राधिकृत मानी जाएगी। डाक की सामान्य सुपुर्दगी-तिथि पर सूचना दी हुई मानी जाएगी। लिफाफा डाक में भेजे जाने का एमआईडीसी अधिकारी का प्रमाणपत्र निर्णायक होगा।
10. गारंटी तत्काल प्रभावी होगी और एक वर्ष तक या समझौते के अनुसार एमआईडीसी द्वारा पहले छोड़े जाने तक प्रभावी रहेगी।

\_\_\_\_\_ में, \_\_\_\_\_ के दिन हस्ताक्षरित और मुहरबंद।  
बैंक की ओर से हस्ताक्षरित, मुहरबंद और सुपुर्द।

बैंक की ओर से:

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

पदनाम: \_\_\_\_\_

कोड संख्या: \_\_\_\_\_

पता: \_\_\_\_\_

गारंटी पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम और कोड संख्या अंकित होने चाहिए। बैंक के प्रधान कार्यालय तथा जारीकर्ता शाखा का पता, दूरभाष संख्या और अन्य विवरण शाखा के अग्रेषण-पत्र पर दिए जाएँगे।

## अनुसूची 6 सुरक्षा अपेक्षाएँ

### 1. मार्गदर्शक सिद्धांत

1.1 सुरक्षा अपेक्षाओं का उद्देश्य विमानपत्तन पर दुर्घटनाओं से होने वाली चोट, जनहानि और संपत्ति-क्षति को कम करना है, चाहे दोष किसी का भी हो। विमानपत्तन के उपयोगकर्ताओं में यात्री, आगंतुक, वाहन चालक और सेवाओं से जुड़े अन्य व्यक्ति शामिल हैं।

1.2 अपेक्षाएँ निर्माण, परिचालन और रखरखाव के सभी चरणों पर लागू होंगी। दुर्घटना-संबंधी कारणों की पहचान, सुरक्षा का आकलन तथा उपचारात्मक उपाय लागू करने पर बल होगा।

1.3 सुरक्षा अपेक्षाओं में यातायात प्रबंधन तथा विनियमन, संकेत, पक्की सतह के चिह्न, वाहन नियंत्रण उपकरण, प्रवर्तन और आपात प्रतिक्रिया संबंधी उपाय शामिल हैं।

### 2. आईएसएपीएल के दायित्व

आईएसएपीएल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा से संबंधित सीमा तक निम्न का पालन करेगा: (क) लागू विधि और अनुज्ञाएँ; (ख) विमानपत्तन अभिकल्पना तथा परिचालन संबंधी सुरक्षा पुस्तिकाएँ; (ग) परिचालन से जुड़े मानक; (घ) इस समझौते के उपबंध; और (ङ) उत्तम उद्योग पद्धति।

### 3. समझौता-अवधि में सुरक्षा उपाय

3.1 आईएसएपीएल उपयोगकर्ताओं के लिए निगरानी और सुरक्षा कार्यक्रम विकसित, लागू और प्रशासित करेगा, जिसमें सुरक्षा उल्लंघनों और कमियों का सुधार तथा सुरक्षित वातावरण के अन्य आवश्यक उपाय होंगे।

3.2 आईएसएपीएल लागू विधि और उत्तम उद्योग पद्धति के अनुरूप अग्नि अलार्म, अग्निशामक और अन्य अग्निशमन उपकरण उपलब्ध और अनुरक्षित करेगा। वह ज्वलनशील या जलने पर धुआँ और हानिकारक गैस देने वाली सामग्री के उपयोग से बचेगा।

3.3 आईएसएपीएल आपात निकास और बचाव मार्ग स्पष्ट संकेतों तथा सही दिशा दर्शाने वाले तीरों से चिह्नित करेगा और उन्हें अवरोध-मुक्त रखेगा।

3.4 आईएसएपीएल विमानपत्तन पर प्रत्येक दुर्घटना के महत्वपूर्ण अभिलेख की प्रति, पुलिस में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित, रखेगा। वह एमआईडीसी के निर्धारित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करेगा और स्थल मानचित्र पर प्रत्येक दुर्घटना का सही स्थान अंकित करेगा। उपरोक्त आँकड़े प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई से पहले, पिछली चार तिमाहियों के लिए, एमआईडीसी को प्रस्तुत किए जाएँगे।

### 4. लागत और व्यय

इन सुरक्षा अपेक्षाओं के संबंध में उपगत सभी लागत और व्यय, जिनमें सुरक्षा लेखापरीक्षा का खर्च शामिल है, आईएसएपीएल वहन करेगा।

**अनुसूची 7**  
**एमआईडीसी के प्रत्यक्ष समझौते का प्रारूप**

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम,  
उद्योग सारथी, महाकाली केव्स रोड,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093

महोदय,

हम एमआईडीसी और आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी") के बीच दिनांक \_\_\_\_\_ को किए परियोजना विकास समझौते का उल्लेख करते हैं। उस समझौते के अनुसार कंपनी वित्तपोषण समझौतों में प्रवेश करेगी, जिनकी प्रतियाँ आपको दी गई हैं। इनके अधीन नीचे परिभाषित प्रतिभूत पक्षकारों ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन के विकास हेतु कंपनी को वित्त देने पर सहमति दी है।

इस वित्त के लिए प्रतिभूति के रूप में आपको सूचित किया जाता है कि ऋणदाताओं के पक्ष में किए जाने वाले बंधक ("बंधक") के अनुसार कंपनी की सभी परिसंपत्तियों ("संपार्श्विक"), परियोजना विकास समझौते सहित, पर प्रतिभूति हित होगा। ऋणदाताओं को यहाँ "प्रतिभूत पक्षकार" कहा गया है।

कंपनी अनुरोध करती है कि एमआईडीसी संलग्न अभिस्वीकृति और सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर करके उसे लौटाए तथा प्रतिभूत पक्षकारों के लाभ के लिए:

(क) एमआईडीसी

- (i) बंधक की प्रति की प्राप्ति स्वीकार करे;
- (ii) कंपनी के परियोजना विकास समझौते संबंधी सभी अधिकारों और हितों के प्रतिभूत पक्षकारों के लाभ हेतु समनुदेशन, अथवा जितनी सीमा तक समनुदेशन संभव न हो उतनी सीमा तक उन पर प्रभार, की सहमति दे;
- (iii) स्वीकार करे कि समनुदेशन या प्रभार परियोजना विकास समझौते का उल्लंघन नहीं करेगा;
- (iv) स्वीकार करे कि इस पत्र का निष्पादन और सुपुर्दगी अनुच्छेद 18 के अधीन ऐसे वर्तमान और भावी समनुदेशन या प्रभार के लिए अपेक्षित लिखित सहमति है; और

(ख) एमआईडीसी सहमत हो कि

- (i) ऋणदाता कंपनी द्वारा दी प्रतिभूति के अधिकारों का प्रयोग करके स्वयं या नामिती को कंपनी के स्थान पर रखना चाहें, तो ऋणदाताओं के अनुरोध और एमआईडीसी की पूर्व लिखित सहमति पर वह प्रतिस्थापन होगा।
- (ii) ऋणदाता प्रतिभूति अधिकारों के प्रवर्तन में संपार्श्विक का कोई भाग बेचें या अन्यथा निपटाएँ, तो क्रेता को, ऋणदाताओं के अनुरोध और एमआईडीसी की पूर्व लिखित सहमति से, जो अयुक्तियुक्त रूप से नहीं रोकी जाएगी, परियोजना विकास समझौते के अधीन कंपनी

के स्थान पर रखा जाएगा। वह क्रेता निपटाई गई संपार्श्विक के संबंध में कंपनी के सभी अधिकार, स्वत्व और हित प्राप्त करेगा तथा कंपनी की तरह समझौते के दायित्व निभाकर उसके लाभ पा सकेगा।

(ग) एमआईडीसी सहमत है कि परियोजना विकास समझौते के अधीन कंपनी को देय धन, अनुच्छेद 17.4 के अधीन सीधे कंपनी को देय धन को छोड़कर, ऋणदाताओं द्वारा समय-समय पर निर्देशित खाते में तुरंत उपलब्ध निधि के रूप में जमा करेगा। कंपनी इस भुगतान को प्राधिकृत करती है। ऋणदाताओं या उनके नामिती द्वारा प्रतिभूति अधिकारों का प्रयोग होने पर एमआईडीसी उनके लिखित निर्देश के अनुसार ऐसा धन सीधे उन्हें या उनके आदेश पर देगा; भुगतान के अन्य निबंधन यथावत् रहेंगे और इससे कंपनी के प्रति एमआईडीसी का भुगतान-दायित्व पूरा होगा।

(घ) एमआईडीसी बंधक के अनुसार ऋणदाताओं को कंपनी का वैध और विधिसम्मत मुख्तार मानेगा।

(ङ) अनुच्छेद 17.4 के अधीन विमानपत्तन में आईएसएपीएल के सभी अधिकार, स्वत्व और हित अर्जित करने का अधिकार उत्पन्न करने वाली घटना के तुरंत बाद एमआईडीसी ऋणदाताओं को सूचना देगा ("सूचना")।

(च) एमआईडीसी ऋणदाताओं को सूचना दिए बिना परियोजना विकास समझौता समाप्त, अपने दायित्व निलंबित या विमानपत्तन में आईएसएपीएल के अधिकार अर्जित नहीं करेगा। ऋणदाता किसी भी समय परियोजना विकास समझौते के अनुरूप कार्रवाई करके सूचना का कारण बनी घटना का निवारण कर सकते हैं या करवा सकते हैं। निवारण हो जाने पर एमआईडीसी उस घटना के आधार पर आईएसएपीएल के अधिकार अर्जित नहीं करेगा।

(छ) यह समझौता भारत की विधियों द्वारा शासित होगा। इससे उत्पन्न विवाद, उसकी प्रकृति कोई भी हो, परियोजना विकास समझौते के अनुच्छेद 20 की विवाद समाधान प्रक्रिया में जाएगा; वह प्रक्रिया यहाँ पूर्ण रूप से लिखी गई मानकर सम्मिलित है।

(ज) परियोजना विकास समझौते के अनुच्छेद 22 में संप्रभु प्रतिरक्षा के अधित्याग के उपबंध इस समझौते पर भी उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे यहाँ पूर्णतः लिखे गए हों।

(झ) यह समझौता बिना और कार्रवाई के उस तिथि को समाप्त होगा जब प्रारंभिक चरण के व्यय के संबंध में ऋणदाताओं को कोई बकाया ऋण न रहे। परियोजना विकास समझौते और भूमि पट्टा विलेख की समाप्ति पर भी यह साथ ही समाप्त होगा।

(ञ) यह समझौता वित्तपोषण समझौतों में परिभाषित वित्तीय समापन की तिथि को प्रभावी होगा।

भवदीय,

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

पदनाम: \_\_\_\_\_

एमआईडीसी उपर्युक्त निबंधन स्वीकार करता है और उनसे बाध्य होने पर सहमत है।

दिनांक: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

पदनाम: \_\_\_\_\_

ऋणदाताओं द्वारा एमआईडीसी के निष्पादन की तिथि को अभिस्वीकृत, स्वीकृत और सहमत।

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

नाम: \_\_\_\_\_

पदनाम: \_\_\_\_\_

### अनुसूची 8

#### आरक्षित गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला स्थान

1. सुरक्षा: ..... वर्ग मीटर।
2. मौसम-विज्ञान सेवा: ..... वर्ग मीटर।

टिप्पणी: आवश्यक क्षेत्रों का निर्धारण और उपलब्धता आईएसएपीएल मास्टर प्लान तैयार करते समय अंतिम रूप देगा।

## अनुसूची 9

### मानक

अनुच्छेद 12 के अनुसार निम्न मानदंडों पर विचार होगा:

- (क) उड़ान सूचना प्रदर्शन;
- (ख) सामान गाड़ियों की उपलब्धता;
- (ग) विमानपत्तन कर्मचारियों का शिष्टाचार;
- (घ) रेस्टोरेंट और भोजन की सुविधाएँ;
- (ङ) खरीदारी की सुविधाएँ;
- (च) शौचालय;
- (छ) बैठने के क्षेत्र/लाउंज;
- (ज) सामान सुपुर्दगी सेवा;
- (झ) शहर से भू-परिवहन;
- (ञ) पार्किंग सुविधाएँ;
- (ट) धूप और वर्षा से बचाव;
- (ठ) विमानपत्तन का वातावरण; तथा
- (ड) आईएसएपीएल द्वारा प्रासंगिक समझे गए अन्य मानदंड।

## अनुसूची 10: पूर्णता प्रमाणपत्र

हम एमआईडीसी और आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच दिनांक \_\_\_\_\_ को हुए परियोजना विकास समझौते ("परियोजना विकास समझौता") का संदर्भ देते हैं। इसमें प्रयुक्त किंतु अलग से परिभाषित न किए गए शब्दों का वही अर्थ होगा जो परियोजना विकास समझौते में उन्हें दिया गया है।

एमआईडीसी परियोजना विकास समझौते के खंड 6.3 की अपेक्षाओं के अनुसार यह पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करता है और पुष्टि करता है कि विमानपत्तन परियोजना विकास समझौते की अनुसूची 2 में निर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुरूप है।

दिनांक: \_\_\_\_\_

## अनुसूची 11: बीमा

- (क) निर्माण चरण: आईएसएपीएल और/या ईपीसी संविदाकार सिविल कार्यों तथा उपकरणों की हानि या क्षति को आच्छादित करने वाली उपयुक्त बीमा पॉलिसियाँ लेंगे, जिनमें संविदाकार सर्व-जोखिम पॉलिसी, स्थापना सर्व-जोखिम पॉलिसी और समुद्री माल बीमा पॉलिसी सम्मिलित होंगी। इसके अतिरिक्त तृतीय-पक्ष दायित्व तथा कामगार क्षतिपूर्ति का बीमा भी लिया जाएगा।
- (ख) प्रचालन चरण: आईएसएपीएल संपत्ति की हानि अथवा क्षति, तृतीय-पक्ष दायित्व तथा कामगार क्षतिपूर्ति को आच्छादित करने वाली उपयुक्त बीमा पॉलिसियाँ लेगा।

### अनुसूची 12: परियोजना पूर्णता अनुसूची

| क्र.सं. | गतिविधि                         | प्रभावी तिथि से समय |
|---------|---------------------------------|---------------------|
| 1       | हवाईअड्डे के निर्माण का प्रारंभ | 2 माह               |
| 2       | परियोजना की 25% वित्तीय प्रगति  | 6 माह               |
| 3       | परियोजना की 40% वित्तीय प्रगति  | 10 माह              |
| 4       | परियोजना की 60% वित्तीय प्रगति  | 14 माह              |
| 5       | हवाई ड्रा पूर्णता तिथि          | 18 माह              |

संलग्नक 1: मास्टर प्लान  
संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान आईएसएपीएल द्वारा संलग्न  
किया जाएगा।

## संलग्नक 2: मसौदा पट्टा समझौता

## भूमि पट्टा विलेख

यह भूमि पट्टा विलेख ("विलेख") वर्ष 2009 के \_\_\_\_\_ दिन निम्नलिखित पक्षकारों के बीच निष्पादित किया गया है:

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, 1961 के अधीन गठित निगम, जिसका प्रधान कार्यालय उद्योग सारथी, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400093 में है, अपने \_\_\_\_\_ के माध्यम से कार्यरत (इसके बाद "पट्टाकर्ता" अथवा "एमआईडीसी"; संदर्भ के प्रतिकूल न होने पर इसमें उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिनी भी सम्मिलित होंगे), प्रथम पक्ष;

और आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय आईआरबी कॉम्प्लेक्स, चंदा फार्म, चांदिवली गाँव, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400072 में है (इसके बाद "पट्टेदार" अथवा "आईएसएपीएल"; संदर्भ के प्रतिकूल न होने पर इसमें उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिनी भी सम्मिलित होंगे), द्वितीय पक्ष।

इनमें से प्रत्येक को अलग-अलग "पक्षकार" और संयुक्त रूप से "पक्षकारण" कहा जाएगा।

जबकि:

(क) एमआईडीसी ने 25 सितंबर 2008 के परियोजना विकास समझौते के अधीन आईएसएपीएल को महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले में लगभग 260 हेक्टेयर (642 एकड़) क्षेत्र के ग्रीनफील्ड विमानपत्तन के विकास और प्रबंधन का अधिकार दिया है। यह स्थल संलग्न अनुसूची 'क' के स्थल-मानचित्र में अधिक विस्तार से दर्शाया गया है।

(ख) एमआईडीसी और आईएसएपीएल सहमत हैं कि उक्त स्थल इस समझौते के निष्पादन की तिथि से 95 वर्षों के लिए आईएसएपीएल को पट्टे पर उपलब्ध कराया जा सकता है। आईएसएपीएल ने नीचे निर्धारित निबंधनों, शर्तों और उपबंधों के अधीन स्थल का पट्टा स्वीकार करने पर सहमति दी है।

अतः इन आधारों तथा यहाँ निहित पारस्परिक प्रतिज्ञाओं, आश्वासनों, अभ्यावेदनों और उपबंधों के प्रतिफल में पक्षकार निम्नानुसार सहमत हैं:

### 1. परिभाषाएँ और व्याख्या

#### 1.1 परिभाषाएँ

इस विलेख, इसकी प्रस्तावना तथा अनुसूचियों में, जहाँ संदर्भ अनुमति दे, निम्नलिखित पदों के नीचे दिए गए अर्थ होंगे:

"गतिविधियाँ" से परियोजना विकास समझौते में परिभाषित विमानपत्तन गतिविधियाँ और गैर-विमानपत्तन गतिविधियाँ अभिप्रेत हैं।

“विमानपत्तन” से महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में आईएसएपीएल द्वारा निर्मित और संचालित किया जाने वाला ग्रीनफील्ड विमानपत्तन, जिसमें प्रारंभिक चरण तथा सभी भवन, उपकरण, सुविधाएँ और प्रणालियाँ, और प्रसंगानुसार उसका कोई विस्तार भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है।

“सीएनएस/एटीएम समझौता” से संचार, नौवहन, निगरानी तथा वायु यातायात प्रबंधन सेवाओं के एएआई द्वारा आईएसएपीएल को प्रावधान के संबंध में दोनों के बीच किया गया अथवा किया जाने वाला समझौता अभिप्रेत है।

“भार” से कोई सुखाचार, मार्गाधिकार, अनुज्ञप्ति, बंधक, प्रभार, धारणाधिकार, दृष्टिबंधक, पूर्वक्रय अधिकार या अन्य हित, चाहे पंजीकृत हो या न हो और चाहे विधि अथवा सामान्य विधि से उत्पन्न हुआ हो, अभिप्रेत है।

“विस्तार” से समय-समय पर विमानपत्तन सुविधाओं का विस्तार अभिप्रेत है।

“वित्तपोषण समझौते” से (क) आईएसएपीएल को ऋण उपलब्ध कराने के लिए ऋणदाताओं के साथ उसके समझौते तथा (ख) ऐसे समझौतों के अनुसरण में ऋणदाताओं के पक्ष में अपेक्षित प्रतिभूति दस्तावेज, अन्य समझौते और संबद्ध वचनबंध अभिप्रेत हैं।

“प्रारंभिक चरण” का वही अर्थ होगा जो परियोजना विकास समझौते में है।

“पट्टा” से खंड 2 के अधीन प्रदान किया गया स्थल का पट्टा अभिप्रेत है।

“पट्टा किराया” का अर्थ खंड 5.1 में दिया गया है।

“ऋणदाता” से वे बैंक, वित्तीय संस्थाएँ, बहुपक्षीय ऋण एजेंसियाँ, न्यास, निधियाँ तथा डिबेंचरधारकों के एजेंट या न्यासी, उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी सहित, अभिप्रेत हैं जिन्होंने किसी वित्तपोषण समझौते के अधीन परियोजना लागत के संपूर्ण या किसी भाग का वित्तपोषण करने के लिए आईएसएपीएल को वित्त उपलब्ध कराने अथवा उसकी गारंटी देने पर सहमति दी है और जो ऋणदाता के रूप में स्थल में आईएसएपीएल के हित पर प्रभार रखते हैं।

“मास्टर प्लान” का वही अर्थ होगा जो परियोजना विकास समझौते में है।

“निर्गामी देयताएँ” से स्थल के संबंध में सभी संपत्ति कर, भू-राजस्व, उद्ग्रहण, उपकर तथा अन्य भुगतान और प्रभार अभिप्रेत हैं।

“पक्षकार” से एमआईडीसी अथवा आईएसएपीएल और “पक्षकारगण” से दोनों अभिप्रेत हैं।

“परियोजना” से विमानपत्तन का डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, पूर्णता, प्रवर्तन, रखरखाव, संचालन, प्रबंधन और विकास अभिप्रेत है।

“परियोजना विकास समझौता” अथवा “पीडीए” से परियोजना के प्रयोजन के लिए एमआईडीसी तथा आईएसएपीएल के बीच 25 सितंबर 2008 को किया गया समझौता अभिप्रेत है।

“सेवा प्रदाता अधिकार” से परियोजना विकास समझौते के अनुसार आईएसएपीएल अथवा किसी सेवा प्रदाता अधिकारधारक द्वारा प्रदत्त कोई विशेषाधिकार, अधिकार, फ्रेंचाइज़ी, पट्टा या अन्य अधिकार अथवा उप-अधिकार अभिप्रेत है।

“सेवा प्रदाता अधिकारधारक” से समय-समय पर कोई सेवा प्रदाता अधिकार धारण करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है।

“स्थल” का अर्थ खंड 2.1 में दिया गया है।

“अवधि” का अर्थ खंड 3 में दिया गया है।

## 1.2 परियोजना विकास समझौते की परिभाषाएँ

इस विलेख में बड़े प्रारंभिक अक्षरों वाले जिन शब्दों या पदों को यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु परियोजना विकास समझौते में परिभाषित किया गया है, जहाँ संदर्भ अनुमति दे वहाँ उनके अर्थ वही होंगे जो उस समझौते में दिए गए हैं।

यह विलेख अपनी अनुसूचियों और परियोजना विकास समझौते सहित अन्य समझौतों के साथ पक्षकारों के बीच पूर्ण समझौता है। परियोजना विकास समझौते और उसकी अनुसूचियों के उपबंध इस विलेख के उपबंधों के साथ लागू होंगे।

## 2. पट्टे का अनुदान और कब्जा

2.1 पट्टेदार द्वारा पट्टाकर्ता को ₹20,70,10,401 (केवल बीस करोड़ सत्तर लाख दस हजार चार सौ एक रुपये) का कुल भूमि प्रीमियम अदा किया जा चुका है, जिसकी प्राप्ति पट्टाकर्ता स्वीकार करता है। इसके प्रतिफल में पट्टाकर्ता आईएसएपीएल को पट्टा देता है और आईएसएपीएल एमआईडीसी से, सभी भारों से मुक्त, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में चिपी-वाडी तथा परुले गाँवों में स्थित लगभग 642 एकड़ भूमि, जिसकी विस्तृत पहचान अनुसूची ‘क’ में सर्वेक्षण संख्याओं सहित की गई है (“स्थल”), पट्टे पर स्वीकार करता है। स्थल के साथ उससे संबद्ध सभी सुखाचार, विशेषाधिकार, लाभ, मार्गाधिकार, पथ तथा अन्य अधिकार भी दिए जाते हैं, ताकि आईएसएपीएल इस विलेख और परियोजना विकास समझौते के अनुसार स्थल अथवा उसके किसी भाग का कब्जा रखे, उपयोग करे और उपभोग करे।

2.2 एमआईडीसी पुष्टि करता है कि इस विलेख के निष्पादन की तिथि को स्थल का भौतिक एवं रिक्त कब्जा आईएसएपीएल को दे दिया गया है।

### 3. अवधि

यदि इस विलेख को इसके उपबंधों के अनुसार पहले समाप्त नहीं किया जाता, तो इसकी अवधि इसके निष्पादन की तिथि से 95 वर्ष होगी; तथापि यह परियोजना विकास समझौते की समाप्ति के साथ ही समाप्त होगी ("अवधि")। तदनुसार उस समझौते की निर्धारित अवधि समाप्त होने पर यह विलेख स्वतः समाप्त हो जाएगा।

### 4. एक्जिट खंड

पक्षकार लिखित पारस्परिक सहमति से भी इस विलेख को समय से पहले समाप्त कर सकते हैं। ऐसी समाप्ति पर किसी पक्षकार के लिए वित्तीय लागत उत्पन्न नहीं होगी और आईएसएपीएल परियोजना विकास समझौते के अनुसार स्थल का रिक्त तथा शांतिपूर्ण कब्जा, सभी भारों से मुक्त, एमआईडीसी को सौंपेगा।

### 5. पट्टा किराया

5.1 एमआईडीसी द्वारा स्थल पट्टे पर देने और इस विलेख में निर्दिष्ट अधिकार, विशेषाधिकार तथा लाभ प्रदान करने के प्रतिफल में आईएसएपीएल ₹1,000 (केवल एक हजार रुपये) वार्षिक पट्टा किराया देगा।

5.2 पट्टा किराया प्रत्येक वर्ष के आरंभ में अग्रिम देय होगा और समय-समय पर एमआईडीसी द्वारा सूचित खाते में जमा किया जाएगा। लगातार दो वर्षों तक पट्टा किराया न देना इस विलेख के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण उल्लंघन माना जाएगा।

### 6. एमआईडीसी के दायित्व और वचनबंध

6.1 कब्जा, उपयोग और उपभोग: एमआईडीसी सहमत है, वचन देता है और आश्वासन देता है कि यहाँ के निबंधनों के अधीन आईएसएपीएल पट्टे की अवधि में स्थल और उसके प्रत्येक भाग का कब्जा रखने, उपयोग करने और उपभोग करने का अधिकारी होगा।

6.2 भार: एमआईडीसी आईएसएपीएल से वचन देता है कि वह स्थल पर कोई भार उत्पन्न नहीं करेगा और खंड 6.3 में उपबंधित स्थिति को छोड़कर स्थल में अपना कोई अधिकार, स्वत्व या हित हस्तांतरित या अन्यथा परित्यक्त नहीं करेगा।

6.3 आईएसएपीएल द्वारा पट्टा अधिकारों का अंतरण: आईएसएपीएल शेष पट्टा-अवधि के लिए अपने पट्टाधिकार किसी अन्य संस्था को तभी अंतरित कर सकेगा जब एमआईडीसी की पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त हो, प्रचलित अंतरण अपेक्षाओं तथा परियोजना विकास समझौते और लागू विधि की शर्तों का पालन हो। प्राप्तकर्ता संस्था एमआईडीसी को स्वीकार्य प्रारूप में अनुपालन विलेख निष्पादित करके परियोजना विकास समझौते और इस विलेख के उपबंधों से बाध्य होगी।

इसके अलावा, इस खंड के अंतर्गत एमआईडीसी को देय अंतरण शुल्क की गणना के लिए परियोजना विकास समझौते के अधीन पट्टेदार द्वारा दिया गया अग्रिम कुल भूमि प्रीमियम आधार प्रीमियम होगा, जिसे वर्तमान प्रीमियम निकालने के लिए प्रतिवर्ष 6% की दर से संशोधित किया जाएगा।

## **7. आईएसएपीएल के दायित्व और वचनबंध**

### **7.1 स्थल का उपयोग**

आईएसएपीएल स्थल का उपयोग परियोजना विकास समझौते और मास्टर प्लान के अनुसार परियोजना लागू करने के लिए करेगा और सुनिश्चित करेगा कि कोई सेवा प्रदाता अधिकारधारक भी उसका उपयोग केवल अनुमत गतिविधियों तथा उन्हीं दस्तावेजों के अनुसार करे। आईएसएपीएल स्थल पर या उसके संबंध में कोई उपद्रव उत्पन्न नहीं करेगा; विशेषतः अनुसूची 8 में वर्णित निषिद्ध उपयोग या दुर्गंध, तरल अपशिष्ट, गंदगी, धूल, धुँएँ, गैस, शोर अथवा अग्नि-जोखिम उत्पन्न करने वाला कोई उपयोग स्वयं नहीं करेगा और न करने देगा। वह ऐसे प्रदूषण की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पूर्ण और तत्परता से पालन करेगा। दुर्गंध, तरल अपशिष्ट, धूल, धुँएँ, गैस अथवा अन्य किसी कारण से उत्पन्न प्रदूषण रोकने के लिए लागू निर्देशों का पालन किया जाएगा।

### **7.2 पट्टा किराया**

आईएसएपीएल यहाँ निर्धारित पट्टा किराया नियमित रूप से देगा तथा अपने प्रत्येक दायित्व और वचनबंध का पालन करेगा।

### **7.3 क्षतिपूर्ति**

परियोजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी दावे या क्षति के विरुद्ध आईएसएपीएल एमआईडीसी की क्षतिपूर्ति करेगा। परियोजना कार्यान्वयन के दौरान परियोजना अथवा यहाँ प्रदत्त अधिकार के अधीन किए गए किसी कार्य के संबंध में आईएसएपीएल से माँगे जाने वाले या देय सभी भुगतानों के विरुद्ध भी एमआईडीसी को क्षतिपूर्ति रखेगा।

### **7.4 एमआईडीसी द्वारा निरीक्षण**

आईएसएपीएल एमआईडीसी तथा उसके प्राधिकृत अभिकर्ताओं को किसी कार्य-दिवस में उचित समय पर और आपातस्थिति में किसी भी समय स्थल में प्रवेश तथा निरीक्षण की अनुमति देता है।

**7.5 स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण प्रभार:** इस विलेख में परिकल्पित पट्टे से संबंधित सभी स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण प्रभार आईएसएपीएल वहन करेगा।

**7.6 भार न बनाना:** आईएसएपीएल स्थल पर कोई भार उत्पन्न नहीं करेगा, सिवाय उन भारों के जो इस विलेख, परियोजना विकास समझौते, सीएनएस/एटीएम समझौते, वित्तपोषण समझौतों, किसी नियामकीय स्वीकृति या अनुमति के निबंधनों अथवा विधि द्वारा अनुमत या अपेक्षित हों।

7.7 पट्टा-अवधि की निर्गामी देयताएँ: आईएसएपीएल पट्टे की अवधि की सभी निर्गामी देयताओं का भुगतान करेगा।

7.8 भवन विनियमों के अनुसार परियोजना का कार्यान्वयन: आईएसएपीएल सुनिश्चित करेगा कि स्थल पर भवन और संरचनाएँ हर समय एमआईडीसी के विकास नियंत्रण नियमों के अनुरूप हों और तल-क्षेत्र सूचकांक (एफएसआई) निर्धारित सीमा में रहे।

## 8. निलंबन

8.1 आईएसएपीएल द्वारा इस विलेख के किसी भी भौतिक उल्लंघन को परियोजना विकास समझौते के तहत 'आईएसएपीएल डिफॉल्ट घटना' माना जाएगा और परियोजना विकास समझौते की शर्तों के अनुसार उसी के अनुसार निपटा जाएगा।

8.2 एमआईडीसी द्वारा इस विलेख का कोई महत्वपूर्ण उल्लंघन परियोजना विकास समझौते के अंतर्गत एमआईडीसी की चूक की घटना माना जाएगा और उसी समझौते के निबंधनों के अनुसार उससे निपटा जाएगा।

8.3 इस विलेख की समाप्ति की स्थिति में स्थल परियोजना विकास समझौते के खंड 11.5 के उपबंधों के अनुसार एमआईडीसी को अंतरित होगा।

## 9. स्थल का उप-पट्टा और अनुज्ञप्ति

आईएसएपीएल गतिविधियाँ करने के लिए सेवा प्रदाता अधिकारधारकों को स्थल का उप-पट्टा दे सकता है या अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकता है। एमआईडीसी के समय-समय पर प्रचलित अंतरण दिशानिर्देशों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे उप-पट्टे या उप-अनुज्ञप्ति के लिए एमआईडीसी आईएसएपीएल से कोई प्रभार नहीं लेगा।

## 10. समनुदेशन

10.1 दूसरे पक्षकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना कोई पक्षकार इस विलेख के अधीन अपने अधिकार या दायित्व अंतरित, समनुदेशित अथवा उन पर प्रतिभूति सृजित नहीं करेगा; तथापि:

(i) आईएसएपीएल परियोजना के वित्तपोषण की प्रतिभूति के रूप में, एमआईडीसी की पूर्व सहमति के बिना, ऋणदाताओं या उनकी ओर से कार्यरत व्यक्ति के पक्ष में स्थल पर बंधक या प्रभार बना सकता है अथवा यह विलेख ऋणदाताओं को समनुदेशित कर सकता है।

(ii) इस विलेख के निबंधनों के अधीन आईएसएपीएल से स्थल में हित पाने वाला कोई सेवा प्रदाता अधिकारधारक, एमआईडीसी की पूर्व सहमति के बिना, स्थल पर अपनी गतिविधियों के लिए वित्त देने वाली संस्था के पक्ष में उस हित पर बंधक या प्रभार बना सकता है।

(iii) उपर्युक्त 10.1 (i) और 10.1 (ii) में उल्लिखित प्रत्येक बंधक या प्रभार की लिखित सूचना एमआईडीसी को दी जाएगी।

10.2 आईएसएपीएल परियोजना कार्यान्वयन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के वित्तपोषण के लिए भी बंधक बना सकता है,

परंतु (i) ऐसा बंधक केवल आईएसएपीएल द्वारा दिए गए कुल भूमि प्रीमियम की सीमा तक होगा और एमआईडीसी की पूर्व अनुमति पर निर्भर होगा; एमआईडीसी यह अनुमति तब तक नहीं रोकेगा जब तक उसकी राय में इस विलेख के उपबंध या उद्देश्य महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित न हों; और (ii) पट्टा समाप्त होने पर बंधकित संपत्ति किसी भार, धारणाधिकार या बंधक के बिना एमआईडीसी में निहित होगी।

## **11. विवाद समाधान**

पक्षकारों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद उत्पन्न होने पर परियोजना विकास समझौते की विवाद समाधान प्रक्रिया लागू होगी।

## **12. शासी विधि**

यह विलेख भारत गणराज्य की विधियों द्वारा शासित होगा और उन्हीं के अनुसार इसका निर्वचन किया जाएगा।

## **13. सामान्य प्रावधान**

### **13.1 पूर्ण समझौता**

यह विलेख, इसकी अनुसूचियाँ तथा यहाँ उल्लिखित परियोजना विकास समझौते सहित अन्य समझौते, इस विषय और इसमें परिकल्पित संव्यवहार के संबंध में पक्षकारों के बीच पूर्ण समझौता हैं और उनसे संबंधित सभी पूर्व समझौतों, समझबूझ, पत्राचार और दस्तावेजों का स्थान लेते हैं।

### **13.2 छूट**

किसी पक्षकार ने इस विलेख के अधीन अपना अधिकार तभी त्यागा माना जाएगा जब उसने दूसरे पक्षकार को अपने प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अधित्याग सौंपा हो। किसी शक्ति या उपाय के प्रयोग में विलंब या चूक किसी चूक का अधित्याग अथवा उसके प्रति सहमति नहीं मानी जाएगी।

### **13.3 अयोग्यता**

सक्षम अधिकरण या न्यायालय इस विलेख के किसी उपबंध को अवैध, अप्रवर्तनीय या विधिविरुद्ध घोषित करे तो उससे शेष उपबंध प्रभावित नहीं होंगे और वे पूर्ण प्रभाव में बने रहेंगे।

### **13.4 संशोधन**

इस विलेख या इसके निबंधनों का संशोधन, पूरक, परिवर्तन अथवा अधित्याग तभी वैध होगा जब वह लिखित हो और दोनों पक्षकारों के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने उस पर हस्ताक्षर किए हों।

### **13.5 प्रतियाँ**

पक्षकार इस विलेख की दो प्रतियों पर हस्ताक्षर करेंगे और प्रत्येक विधिवत् निष्पादित प्रति मूल मानी जाएगी।

### 13.6 सूचनाएँ

(क) इस विलेख के अधीन दी जाने वाली सभी सूचनाएँ, माँगें या अन्य संचार अंग्रेजी में लिखित होंगे और नीचे दिए पते या फैक्स संख्या पर व्यक्तिगत रूप से, पूर्व-भुगतान पंजीकृत डाक से अथवा फैक्स द्वारा भेजे जाएँगे; पक्षकार समय-समय पर दूसरे पक्षकार को नया पता या फैक्स संख्या सूचित कर सकता है।

एमआईडीसी को सूचना:

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एमआईडीसी), उद्योग सारथी, महाकाली केक्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400093। फैक्स: 022-26870099। ध्यानार्थ: संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को सूचना:

आईआरबी कॉम्प्लेक्स, चांदिवली फार्म, चांदिवली गाँव, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400072। फैक्स: 022-66751024। ध्यानार्थ: विनोद कुमार मेनन।

(ख) सूचना इच्छित प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त होने पर प्रभावी होगी। फैक्स से दी गई सूचना, प्रेषक को सफल प्रेषण रिपोर्ट प्राप्त होते ही; व्यक्तिगत रूप से दी गई सूचना, पते पर सुपुर्द होते ही; और पंजीकृत डाक से दी गई सूचना, डाक में भेजे जाने के दस दिन बाद विधिवत् तामील मानी जाएगी। कोई पक्षकार खंड

(ग) खंड 13.6 के विवरण दूसरे पक्षकार को परिवर्तन की सूचना देकर बदल सकता है।

इसके साक्ष्यस्वरूप पक्षकारों ने ऊपर प्रथम उल्लिखित दिनांक और वर्ष को इस विलेख पर हस्ताक्षर किए हैं।

एमआईडीसी (पट्टाकर्ता) की ओर से हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में:

साक्षी के हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

साक्षी का नाम और पता: \_\_\_\_\_

प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम: \_\_\_\_\_

आईएसएपीएल (पट्टेदार) की ओर से विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में:

साक्षी के हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

साक्षी का नाम और पता: \_\_\_\_\_

प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम: \_\_\_\_\_

## अनुसूची 'क' स्थल का विवरण

स्थल कुडाल से लगभग 23 किलोमीटर पश्चिम में चिपी-वाडी और परुले गाँवों के बीच स्थित है। एमआईडीसी ने लगभग 260 हेक्टेयर भूमि का अर्जन किया है। अर्जित क्षेत्र के भीतर और बाहर की भूमि का अधिकांश भूभाग लेटराइट शैल का है। कठोर लेटराइट शैल के कारण क्षेत्र के बड़े भाग में वनस्पति या खेती संभव नहीं है।

## अनुसूची ख अप्रिय/हानिकारक उद्योगों की सूची

1. कच्चे पदार्थों से उर्वरक निर्माण; तथापि पहले से संसाधित पदार्थों से ऐसे उर्वरक का निर्माण इस निषेध में नहीं आएगा जिनमें अप्रिय गंध या धुआँ न हो और जिनके मिश्रण या निर्माण से हानिकारक गंध अथवा धुआँ उत्पन्न न हो।
2. सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, पिक्रिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक या अन्य अम्लों का निर्माण, उपयोग या भंडारण, सिवाय अनुमत उद्योग के सहायक उपयोग के।
3. अमोनिया निर्माण।
4. पशु शवों, कचरे या अपशिष्ट का वाणिज्यिक पैमाने पर भस्मीकरण, अपचयन या निस्तारण।
5. तार का आसवन या निर्माण।
6. सीमेंट निर्माण।
7. क्लोरीन निर्माण।
8. ब्लीचिंग पाउडर निर्माण।
9. मछली या पशु तेल से जिलेटिन अथवा संबंधित पदार्थों का निर्माण या प्रसंस्करण।
10. विस्फोटक पदार्थ या आतिशबाज़ी का निर्माण अथवा भंडारण।
11. वसा गलाना।
12. वसा, चर्बी या ग्रीज़ का शोधन या निर्माण।
13. विस्फोटक अथवा ज्वलनशील उत्पादों या पायरोक्सिलिन का निर्माण।
14. पायरोक्सिलिन निर्माण।
15. रंग, रंग-रसायन तथा वर्णक निर्माण।
16. स्पिरिट, पेंट, वार्निश या साइज़ का निर्माण।
17. कचरे, तेल या ग्रीज़ का निस्तारण, प्रसंस्करण या भस्मीकरण।
18. पशुओं का बाड़ा या वधशाला।
19. टेलो, रेज़िन या संबंधित पदार्थों का निर्माण।
20. कच्चे चमड़े का चर्मशोधन, सुखाना या भंडारण।
21. ऊन की धुलाई या स्काउरिंग।
22. खमीर संयंत्र।
23. कागज और कागज उत्पाद।
24. रसायन।
25. विस्कोस रेयॉन का निर्माण।

सामान्यतः वे सभी उपयोग भी निषिद्ध होंगे जो दुर्गंध, तरल अपशिष्ट, गंदगी, धूल, धुआँ, गैस, शोर, कंपन अथवा विकिरण के उत्सर्जन के कारण अप्रिय या आपत्तिजनक हों।

## आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: आईआरबी कॉम्प्लेक्स, चांदिवली फार्म, चांदिवली गाँव,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400072

आईएसएपीएल/एसए/09/489

दिनांक: सितंबर 2009

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम,  
उद्योग सारथी, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400093

ध्यानार्थ: श्री निर्मल कुमार देशमुख, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (टी), एमआईडीसी।

विषय: महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन का विकास-परियोजना विकास समझौते पर हस्ताक्षर।

संदर्भ: 16 सितंबर 2009 का निदेशक मंडल संकल्प।

महोदय,

विशेष प्रयोजन इकाई “आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड” को आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड ने गठित किया है और कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत कराया है। यह कंपनी एमआईडीसी के साथ परियोजना विकास समझौता करने और उसके अधीन दायित्व निभाने के लिए गठित की गई है। हमारे विधि सलाहकार मेसर्स गोविंद देसाई एसोसिएट्स की विधिक राय संलग्न है। 16 सितंबर 2009 का निदेशक मंडल संकल्प भी संलग्न है, जिसमें अधोहस्ताक्षरी को परियोजना विकास समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया गया है। हम उपर्युक्त परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि और समय प्रस्तावित करते हैं; कृपया उसकी पुष्टि करें।

आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से,

एम. एल. गुप्ता, निदेशक

संलग्नक: उपर्युक्त।

सेवा में,

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम,  
उद्योग सारथी, महाकाली केव्स रोड,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400093

विषय: महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन के डिजाइन, अभियांत्रिकी, वित्तपोषण, अधिप्राप्ति, निर्माण, संचालन और रखरखाव की परियोजना के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ("प्राधिकरण") और आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ("रियायतग्राही") के बीच निष्पादित होने वाला रियायत समझौता।

महोदय,

हम ऊपर उल्लिखित दिनांक \_\_\_\_\_ के रियायत समझौते का संदर्भ देते हैं। उसके अनुच्छेद 4.1 (ख) (vi) के अनुसार रियायतग्राही को यह विधिक राय प्रस्तुत करनी है कि उसका विधिवत् गठन हुआ है, वह एमआईडीसी के साथ रियायत समझौता करने के लिए प्राधिकृत है और समझौते के उपबंध प्रवर्तनीय हैं।

यह राय देने के लिए हमने निम्न दस्तावेज देखे हैं:

- (1) आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद;
- (2) सहायक कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा 14 सितंबर 2009 को जारी निगमन प्रमाणपत्र, कॉर्पोरेट पहचान संख्या यू45200एमएच2009पीटीसी195740;
- (3) प्रमाणपत्र कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन उक्त कंपनी का निगमन निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में हुआ है; और
- (4) रियायत समझौता।

सहायक कंपनी रजिस्ट्रार ने आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम 14 सितंबर 2009 का निगमन प्रमाणपत्र, कॉर्पोरेट पहचान संख्या यू45200एमएच2009पीटीसी195740, जारी करके प्रमाणित किया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन उसका निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमन हुआ है।

संगम ज्ञापन में रियायतग्राही का मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन के भवन-निर्माण, डिजाइन, विकास, अभियांत्रिकी, वित्तपोषण, अधिप्राप्ति, संचालन और रखरखाव का व्यवसाय करना तथा एमआईडीसी के साथ किए गए या किए जाने वाले परियोजना विकास समझौते और भूमि पट्टा विलेख के दायरे, अधिकारों, दायित्वों तथा निबंधनों के अनुसार उससे संबद्ध वाणिज्यिक कार्य करना है।

देखे गए दस्तावेजों के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि रियायतग्राही का कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में विधिवत् गठन और निगमन हुआ है। उसका

संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद उसे उक्त विमानपत्तन परियोजना के लिए एमआईडीसी के साथ रियायत समझौता करने तथा उसके दायित्व निभाने का पूरा अधिकार देते हैं। हमारी राय में उस समझौते के निबंधन प्रवर्तनीय हैं।

भवदीय,

गोविंद देसाई एसोसिएट्स की ओर से,

गुणनाथ देसाई,  
भागीदार

**आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड**  
**पंजीकृत कार्यालय: आईआरबी कॉम्प्लेक्स, चांदिवली फार्म, चांदिवली गाँव, अंधेरी (पूर्व) ,**  
**मुंबई-400072**

16 सितंबर 2009 को कंपनी के निदेशकों द्वारा परिचलन से पारित संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रति  
विषय: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ("एमआईडीसी") के साथ परियोजना विकास समझौते  
("पीडीए") का निष्पादन।

संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स  
लिमिटेड ने दिनांक 3 अगस्त 2009 के स्वीकृति-पत्र के अनुसार डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण और  
संचालन आधार पर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन के विकास के लिए एमआईडीसी  
के साथ पीडीए निष्पादित करने हेतु आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक विशेष  
प्रयोजन इकाई गठित की है।

आगे संकल्प किया जाता है कि अपने मुख्य व्यवसाय उद्देश्य के लिए कंपनी एमआईडीसी के साथ  
परियोजना विकास समझौता करेगी और निष्पादित करेगी।

आगे संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक श्री एम. एल. गुप्ता को सक्षम प्राधिकारियों के  
साथ परियोजना विकास समझौते सहित सभी आवश्यक दस्तावेज निष्पादित करने तथा इस संकल्प  
को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या आनुषंगिक सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता  
है।

प्रमाणित सत्य प्रति –

आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से

निदेशक

## आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

आईआरबी/बीडी/एसए/09/483

दिनांक: 18 सितंबर 2009

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम,  
उद्योग सारथी, महाकाली केव्स रोड,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400093

ध्यानार्थ: श्री निर्मल कुमार देशमुख, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (टी), एमआईडीसी।

विषय: महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन का विकास-परियोजना विकास समझौते पर हस्ताक्षर के लिए विशेष प्रयोजन इकाई का निगमन।

संदर्भ: (i) 3 अगस्त 2009 का आपका स्वीकृति-पत्र; (ii) 26 अगस्त 2009 का आपका पत्र।

महोदय,

उक्त परियोजना के स्वीकृति-पत्र और परियोजना विकास समझौते पर हस्ताक्षर के लिए दी गई अतिरिक्त अवधि के क्रम में हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हमने "आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड" नामक विशेष प्रयोजन इकाई बनाई है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत है। आपके अभिलेख के लिए निगमन प्रमाणपत्र, संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद की प्रतियाँ संलग्न हैं। हम आपके परीक्षण के लिए समझौते के प्रारूप की सॉफ्ट प्रति भी संलग्न कर रहे हैं और उस पर हस्ताक्षर की तिथि प्रस्तावित करने का अनुरोध करते हैं।

हम आपके स्वीकृति-पत्र के बिंदु 3 (ग) के अनुसार कुल भूमि प्रीमियम का 50% पहले ही अदा कर चुके हैं। कृपया परियोजना विकास व्यय के भुगतान के प्राप्तकर्ता का विवरण दें, ताकि समझौते पर हस्ताक्षर के समय भुगतान किया जा सके।

भवदीय,

वी.के. मेनन

आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता।

संलग्नक: यथोपरि।

आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के

संस्था के बहिर्नियम

और

संस्था के अंतर्नियम

**कंपनी अधिनियम, 1956**  
**शेयरों द्वारा लिमिटेड कंपनी**

आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का संस्था के बहिर्नियम

I. कंपनी का नाम आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है।

II. कंपनी का पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में, मुंबई स्थित कंपनी रजिस्ट्रार के अधिकार-क्षेत्र में होगा।

III. कंपनी के उद्देश्य निम्नानुसार हैं।

**क. निगमन के बाद कंपनी द्वारा अपनाया जाने वाला मुख्य उद्देश्य**

1. महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग जिले में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन के भवन-निर्माण, निर्माण, डिजाइन, विकास, अभियांत्रिकी, वित्तपोषण, अधिप्राप्ति, संचालन और रखरखाव का व्यवसाय करना तथा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ("एमआईडीसी") के साथ किए गए या किए जाने वाले परियोजना विकास समझौते और भूमि पट्टा विलेख के अधीन निर्धारित या अधिरोपित दायरे, अधिकारों, दायित्वों, निबंधनों और शर्तों के अनुरूप उससे संबद्ध वाणिज्यिक कार्य या गतिविधियाँ करना।

**ख. मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक या सहायक उद्देश्य**

2. कंपनी के प्रवर्तन, गठन, पंजीकरण, विज्ञापन और स्थापना, शेयरों के निर्गम और अभिदान तथा ऋण या कार्यशील पूँजी जुटाने से संबंधित सभी लागत, प्रभार और व्यय कंपनी की निधियों से चुकाना।

3. भारत के बाहर किसी देश, राज्य या स्थान में कंपनी की मान्यता प्राप्त करना और विश्व के किसी भाग में शाखा या व्यवसाय स्थल पर स्थानीय रजिस्टर स्थापित और अनुरक्षित करना।

4. प्रवर्तकों को उनके समय और सेवाओं के लिए पारिश्रमिक तथा शुल्क देना और अन्य प्रकार से प्रतिपूर्ति करना।

5. कंपनी की संपत्ति, अधिकारों और दायित्वों के संपूर्ण या किसी भाग का अर्जन करने के प्रयोजन से किसी कंपनी अथवा फर्म का गठन, स्थापना, प्रवर्तन, सहायता, अर्जन या अनुदान करना या उसके प्रवर्तन में सहयोग करना; उसके शेयरों या कारोबार का निवेश, अभिदान अथवा अर्जन करना, जिससे कंपनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ हो; और संबंधित प्रारंभिक, गठन तथा निगमन व्यय चुकाना।

6. कंपनी के उद्देश्यों और व्यवसाय के लिए रियायत, अनुदान, क्रय, पट्टा, अनुज्ञप्ति या अन्य प्रकार से, पूर्णतः या सशर्त तथा अकेले या अन्य के साथ, भूमि, भवन, मशीनरी, संयंत्र, उपकरण, कार्य, सुविधाएँ, चल-अचल संपत्ति, पेटेंट, व्यापार-चिह्न, विशेषाधिकार और अन्य अधिकार प्राप्त करना; उन पर आवश्यक भवन और कार्य बनाना, अनुरक्षित या परिवर्तित करना; प्रतिफल शेयरों, स्टॉक, डिबेंचर, बांड या अन्य प्रतिभूतियों अथवा अन्यथा देना; तथा अर्जित संपत्ति या अधिकारों का प्रबंधन, विकास, विक्रय, पट्टा, किराया या अन्य प्रकार से निस्तारण या उपयोग करना।

7. कंपनी की समस्त या किसी संपत्ति, उपक्रम, विशेषाधिकार और अधिकार का, पूर्णतः या सशर्त, उचित निबंधनों पर विक्रय, सुधार, प्रबंधन, विकास, किराया, पट्टा, बंधक, परित्याग या अन्य निस्तारण करना और नकद या अन्य प्रतिफल स्वीकार करना।
8. किसी ऐसे व्यक्ति, फर्म या कंपनी के समस्त या किसी व्यवसाय, संपत्ति और दायित्व का क्रय, अर्जन, अधिग्रहण या विलय करना जो ऐसा कारोबार करता हो जिसे यह कंपनी कर सकती है, या जिसके संसाधन इसके उद्देश्य के अनुकूल हों; उसे वित्तीय या अन्य सहायता देना तथा विशेष रूप से शेयर, स्टॉक, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियाँ जारी, आवंटित या अभिदत्त करना।
9. कंपनी के किसी अनुमत व्यवसाय की शाखा किसी फर्म, सहायक या समूह कंपनी के माध्यम से चलाना और कंपनी के हित में उसके लिए आवश्यक कार्य करना।
10. भारत अथवा विदेश में कंपनी के व्यवसाय के लिए एजेंसियाँ स्थापित और अनुरक्षित करना।
11. कंपनी अधिनियम, 1956 तथा लागू विधि के अधीन हर प्रकार के डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक, शेयर, स्टॉक, बांड, दायित्व और प्रतिभूतियाँ जारी करना; उनके निबंधन तथा प्रतिभूति निर्धारित करना; उन्हें सुपुर्दगी, अंतरण लिखत या अन्यथा अंतरणीय, स्थायी अथवा समाप्त होने योग्य तथा मोचनीय अथवा गैर-मोचनीय बनाना; और कंपनी के उपक्रम या वर्तमान और भावी संपत्ति तथा अधिकारों पर न्यास विलेख या अन्य माध्यम से उनका प्रभार या प्रतिभूति देना।
12. कंपनी के व्यवसाय के लिए ऋण और दायित्व लेना, माल, सामग्री या मशीनरी उधार अथवा अन्य आधार पर खरीदना या किराए पर लेना; व्यक्ति, फर्म या कंपनी को उचित शर्तों पर उधार देना; संविदा, दायित्व और धन-भुगतान की गारंटी तथा दूसरे व्यक्ति, फर्म या कंपनी के लिए क्षतिपूर्ति देना।
13. भारतीय रिज़र्व बैंक या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन कंपनी के प्रयोजन हेतु धन उधार लेना, जुटाना या उसके भुगतान की प्रतिभूति देना, तथा सार्वजनिक जमाओं को छोड़कर जमा प्राप्त करना; विशेषतः शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक अथवा स्थायी वार्षिकी जारी करना; उसके लिए कंपनी की वर्तमान या भावी संपत्ति, परिसंपत्तियों, राजस्व, लाभ अथवा अनाहूत पूँजी को बंधक, गिरवी, प्रभार या विशेष समनुदेशन से सुरक्षित करना; ऋणदाताओं को विक्रय व अन्य उचित अधिकार देना; और ऐसी प्रतिभूतियाँ खरीदना, मोचित करना या चुकाना। कंपनी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में परिभाषित बैंककारी व्यवसाय नहीं करेगी।
14. भारत या विदेश में किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी के साथ भागीदारी, लाभ-साझेदारी या लाभ-संकलन, विलय, संयुक्त उद्यम, हित-संघ, पारस्परिक रियायत, सहयोग तथा व्यापार व्यवस्था करना।
15. कंपनी के उद्देश्यों के अनुकूल किसी सरकार, नगरपालिका, स्थानीय या अन्य प्राधिकारी अथवा व्यक्ति, फर्म या कंपनी से समझौता करना, अधिकार, विशेषाधिकार, चार्टर, संविदाएँ, अनुज्ञप्तियाँ और रियायतें प्राप्त करना तथा उनका पालन, उपयोग और निस्तारण करना।
16. कंपनी के स्वामित्व या सुपुर्द धन को प्रतिभूतियों, शेयरों अथवा चल-अचल संपत्ति में, प्रतिभूति सहित या बिना, उपयुक्त निबंधनों पर उधार, निवेश या अन्य प्रकार से नियोजित करना तथा निदेशकों के निर्णय के अनुसार समय-समय पर ऐसे संव्यवहार और निवेश बदलना, कंपनी अधिनियम, 1956 तथा लागू विधि के अधीन।

17. कंपनी के उद्देश्यों से संबंधित चेक, ड्राफ्ट, विनिमय-पत्र, वचन-पत्र, हुंडी, डिबेंचर, बांड, लदान-पत्र, रेलवे रसीद, वारंट तथा अन्य परक्राम्य या अंतरणीय लिखत तैयार, स्वीकार, पृष्ठांकित, बट्टे पर, निष्पादित, जारी, परक्रामित, समनुदेशित और अन्य प्रकार से व्यवहार करना तथा संबंधित वित्तीय दायित्व और संव्यवहार करना।
18. बैंकों में कंपनी के खाते खोलना, चलाना या अनुरक्षित करना और कंपनी के बैंक-संबंधी संव्यवहार करना।
19. व्यवसायों, उपक्रमों, परिसंपत्तियों, संपत्ति और अधिकारों की स्थिति, संभावना, मूल्य तथा परिस्थितियों के परीक्षण के लिए विशेषज्ञ नियुक्त करना।
20. किसी सहायक कंपनी या अन्य कंपनी में, जिसमें इस कंपनी का हित हो, निदेशक अथवा प्रबंधक नियुक्त करना।
21. समान या संगत उद्देश्यों वाली अन्य कंपनी या उपक्रम के प्रबंधन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण में भाग लेना तथा इस हेतु निदेशक, न्यासी, लेखाकार या अन्य विशेषज्ञ नियुक्त कर उन्हें पारिश्रमिक देना।
22. कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन कंपनी के हित या उद्देश्यों के अनुकूल व्यक्तियों, संस्थाओं और न्यासों को या उनसे नकद या अन्य संपत्ति के दान, उपहार या आय देना अथवा प्राप्त करना; व्यवसाय लाने में सहायता करने वालों को पारिश्रमिक देना और संघ, निकाय या आंदोलन को वित्तीय या अन्य सहायता देना।
23. कंपनी की संपत्ति की मरम्मत, सुधार, विस्तार और रखरखाव, डिबेंचर अथवा मोचनीय अधिमानी शेयरों के मोचन या अन्य कंपनी-हित के लिए मूल्यहास, आरक्षित, ऋण-परिशोधन, बीमा, शैक्षिक या अन्य विशेष निधियाँ बनाना।
24. अधिमूल्य पर जारी शेयरों या डिबेंचर, समपहत शेयरों अथवा उनके विक्रय से प्राप्त धन को, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन, आरक्षित रखना या सदस्यों में बोनस शेयरों के रूप में वितरित करना अथवा कंपनी की राय में उचित रूप से लगाना।
25. कंपनी या उसके पूर्ववर्ती व्यवसाय के निदेशकों, पूर्व निदेशकों, कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों, उनके जीवनसाथियों, विधवाओं, परिवारों और आश्रितों के कल्याण हेतु आवास, भवन और सुविधाएँ बनाना अथवा उनमें योगदान देना; अनुदान, पेंशन, उपदान, भत्ता, बोनस, लाभ-साझेदारी, उपहार और अन्य भुगतान करना; भविष्य-निधि, अन्य निधियाँ, योजनाएँ, संस्थाएँ तथा न्यास बनाना या योगदान देना; शिक्षा, मनोरंजन, अस्पताल, औषधालय और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करना तथा ऐसे व्यक्तियों का बीमा करना।
26. कंपनी की राय में वांछनीय किसी न्यास का, निःशुल्क या अन्य आधार पर, ग्रहण और निष्पादन करना।
27. वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान तथा प्रयोगों के लिए अनुसंधान प्रयोगशालाएँ और प्रायोगिक कार्यशालाएँ स्थापित, संचालित, अनुरक्षित या अनुदानित करना और कंपनी के अनुमत व्यवसाय में सहायक अनुसंधान, परीक्षण और प्रयोग करना।
28. कंपनी के व्यापार, वाणिज्य और उद्योग से संबंधित उपयोगी सूचना प्राप्त, सुरक्षित और प्रसारित करना तथा उपयुक्त अन्वेषण, जाँच, सेवा या विश्लेषण करना।

29. भारत अथवा विदेश में पेटेंट, पेटेंट अधिकार, आविष्कार, अनुज्ञप्तियाँ, संरक्षण और रियायतें माँगना, खरीदना, अर्जित करना, सुरक्षित रखना, बढ़ाना और नवीनीकृत करना; उनसे जुड़े विशिष्ट या सीमित अधिकारों, रहस्यों, जानकारी और प्रौद्योगिकी का कंपनी के प्रयोजन के लिए उपयोग, विकास, अनुज्ञापन या अन्य प्रकार से लाभ लेना; तथा उन्हें सुधारना।
30. कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन कंपनी या उससे संबद्ध कंपनी के व्यवसाय और उत्पादों की जानकारी प्रेस विज्ञापन, परिपत्र, कलाकृतियों की खरीद और प्रदर्शनी, पुस्तकों-पत्रों-पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा पुरस्कार, उपहार या दान द्वारा प्रसारित करना।
31. कंपनी या उससे संबद्ध व्यक्ति, फर्म या कंपनी के व्यवसाय के संवर्धन के लिए सम्मेलन, कार्यशालाएँ और संगोष्ठियाँ करना।
32. भारत या विदेश में किसी संघ, विनियम संस्था, बाजार, क्लब या अन्य संस्था की सदस्यता, स्थान या विशेषाधिकार कंपनी या उसके नामिती के नाम अर्जित, पंजीकृत और सुरक्षित करना।
33. निदेशकों की राय में कंपनी के हितकारी और विधि द्वारा अनुमत राजनीतिक प्रयोजन के लिए किसी राजनीतिक दल, व्यक्ति, संगठन या निगमित निकाय को योगदान, प्रायोजन अथवा सहायता देना।
34. कंपनी की संपत्ति, अधिकारों, हितों, लाभों और मुनाफों का हर प्रकार की हानि, लागत, व्यय, क्षति, जोखिम और दायित्व के विरुद्ध बीमा कराना।
35. कंपनी या उसके अधिकारियों से संबंधित विधिक कार्यवाही संस्थित करना, चलाना, प्रतिरक्षा करना या समझौता करना तथा दावों का भुगतान, निपटान या समझौता करना, भले ही दावा विधि में वैध न हो।
36. कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किसी दावे, माँग या विवाद को भारत अथवा विदेश में मध्यस्थता को सौंपना, उसके पंचाट का पालन और प्रवर्तन करना।
37. समापन की स्थिति में कंपनी की संपत्ति, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन, सदस्यों में वस्तुरूप में वितरित करना।

## ग. अन्य उद्देश्य

38. अभिकर्ता या निर्माताओं के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना; संविदा या उप-संविदा लेना और पूरा करना; तथा कंपनी का व्यवसाय एजेंटों, उप-दलालों या उप-संविदाकारों के माध्यम से करना।
39. निजी और घरेलू उपयोग की वस्तुओं, माल, सामग्रियों, उत्पादों और उपभोक्ता वस्तुओं का थोक, खुदरा या कमीशन आधार पर व्यापार करना।
40. वित्त, प्रशासन, उद्योग, प्रौद्योगिकी, विपणन, उत्पाद विकास, उत्पादन, संचालन, विक्रय, रणनीतिक योजना, जनसंपर्क, विज्ञापन, आयात-निर्यात, निगमीय कार्य, विधि, लेखा, सचिवीय कार्य, प्रबंधन, पूँजी और परियोजना सहित विषयों पर सलाहकार के रूप में कार्य करना।
41. चल और अचल संपत्ति के निर्धारक, मूल्यांकक, सर्वेक्षक, बीमांकक और मूल्यकर्ता के रूप में कार्य करना।
42. विज्ञापन, प्रचार और मीडिया एजेंसी का व्यवसाय करना; भारत और विदेश में विभिन्न माध्यमों से उत्पादों और सेवाओं का प्रचार करना तथा जनसंपर्क, विज्ञापन और विपणन परामर्श देना।
43. अभिरक्षा और भंडारण का कार्य करना तथा गोदाम और संरक्षकीय सुविधाएँ देना।

44. अभियांत्रिकी की सभी शाखाओं का व्यवसाय करना।
45. भारत या विदेश में होटल, रिसॉर्ट, अवकाश-गृह, क्लब, बार और रेस्तराँ तथा उनसे जुड़ी सुविधाओं को खरीदना, बनाना, सुसज्जित करना, चलाना, संचालित करना, प्रबंधित करना या अन्य प्रकार से व्यवहार करना।
46. पेट्रोल और डीज़ल पंप स्थापित करना, चलाना या किराए पर देना तथा वाहन और परिवहन उद्योग के लिए आवश्यक वस्तुओं और उत्पादों का व्यापार करना।
47. औद्योगिक या वाणिज्यिक इकाइयों के निर्माण और संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरणों की स्थापना के लिए टर्नकी परियोजनाएँ और कार्य-संविदाएँ लेना।
48. शीत-भंडारण और प्रशीतन का व्यवसाय करना, जिसमें बर्फ बनाने, प्रशीतन और शीत-भंडारण से संबंधित उपकरणों और मशीनरी का निर्माण तथा व्यापार सम्मिलित है।
49. सूखी बर्फ, तरल कार्बन डाइऑक्साइड, आइसक्रीम, जमे फल-सब्जियों सहित जमे खाद्य पदार्थ तथा वातित और खनिज जल का निर्माण और व्यापार करना।
50. हर प्रकार की मशीनरी, संयंत्र, मशीन औजार, उपकरण, घटक, कलपुर्जे और सहायक सामान बनाना, उत्पादित करना, मरम्मत, रूपांतरण या नवीनीकरण करना, खरीदना, बेचना, आयात-निर्यात करना, पट्टे या किराए पर देना और व्यापार करना।
51. निवेश कंपनी का व्यवसाय करना और भारत अथवा विदेश में किसी कंपनी, सरकार या विधि के अधीन गठित व्यक्ति द्वारा जारी या गारंटीकृत शेयर, स्टॉक, यूनिट, डिबेंचर, बांड तथा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश, अर्जन, धारण और व्यवहार करना।
52. भवन निर्माता, संविदाकार, वास्तुकार, आंतरिक डिजाइनर, सज्जाकार तथा पत्थर, रेत, चूना, ईंट, लकड़ी, हार्डवेयर और भवन-सामग्री के व्यापारी के रूप में कार्य करना; तथा इस्पात, एल्युमिनियम, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर आदि से बनी फिटिंग, पैनल, दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्नीचर, ग्रील, द्वार और निर्माण-सामग्री बनाना तथा बेचना।
53. सिविल अभियंता, संविदाकार, लागत-आकलनकर्ता, नगर नियोजक और विकासकर्ता के रूप में व्यवसाय करना।
54. सड़क, राजमार्ग, सुरंग, पुल, बाँध, नहर और अन्य निर्माण के डिजाइन, अभियांत्रिकी, वित्तपोषण, निर्माण, संचालन और रखरखाव सहित अवसंरचना-विकास करना तथा शुल्क वसूलकर रखना।

IV. सदस्यों का दायित्व सीमित है।

V. क) कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी ₹1,00,00,000 (केवल एक करोड़ रुपये) है, जो ₹10 प्रत्येक के 10,00,000 (दस लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

ख) कंपनी की चुकता शेयर पूँजी किसी भी समय कम से कम ₹1,00,000 (केवल एक लाख रुपये) होगी।

हम अधोहस्ताक्षरी व्यक्ति, जिनके नाम, पते और विवरण नीचे दिए गए हैं, इस संगम ज्ञापन के अनुसार कंपनी गठित करने के इच्छुक हैं और प्रत्येक अपने नाम के सामने दर्शाई गई कंपनी-पूँजी के शेयर लेने पर सहमत है।

1. आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, तृतीय तल, आईआरबी कॉम्प्लेक्स, चांदिवली फार्म, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400072 - 9,999 इक्विटी शेयर। कंपनी की ओर से श्री वीरेंद्र दत्तात्रय म्हैसकर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 4 अगस्त 2009 के संकल्प द्वारा प्राधिकृत, ने हस्ताक्षर किए। व्यवसाय: व्यापार।

2. वीरेंद्र दत्तात्रय म्हैसकर, श्री दत्तात्रय म्हैसकर के पुत्र, आईआरबी कॉम्प्लेक्स, चांदिवली फार्म, साकी विहार रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400072 - 1 इक्विटी शेयर। व्यवसाय: व्यापार।

साक्षी (क्रम संख्या 1 और 2 के हस्ताक्षरों के साक्षी): सिंधु गोविंदकुट्टी नायर, डी/ओ गोविंदकुट्टी नायर, बी-101, फर्स्ट फ्लोर, को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, चिंचपाडा, कल्याण (पूर्व), पिन 421306। व्यवसाय: कंपनी सचिव का अभ्यास।

कुल अभिदत्त शेयर: 10,000 (दस हजार)।

स्थान: मुंबई, दिनांक: 20 अगस्त 2009।

कंपनी अधिनियम, 1956  
शेयरों द्वारा लिमिटेड कंपनी  
आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के संस्था के अंतर्नियम

व्याख्या

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की प्रथम अनुसूची की सारणी 'क' के विनियम इस कंपनी पर, निजी कंपनी पर लागू होने की सीमा तक, लागू होंगे; किंतु नीचे दिए गए विनियमों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपवर्जित अथवा परिवर्तित सीमा तक लागू नहीं होंगे।

## सारणी 'क' के कुछ विनियमों का अपवर्जन

2. (क) सारणी 'क' के विनियम 5, 21, 26, 27, 28 और 48(2) इस कंपनी पर लागू नहीं होंगे।  
(ख) सारणी 'क' के विनियम 13(1) का परंतुक इस कंपनी पर लागू नहीं होगा।

## परिभाषाएँ

3. इन अनुच्छेदों के निर्वचन में, जब तक विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, निम्न पदों के अर्थ ये होंगे:

- (i) "कंपनी" से आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड अभिप्रेत है।
- (ii) "अधिनियम" से समय-समय पर प्रवृत्त कंपनी अधिनियम, 1956, उसका कोई सांविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन तथा कंपनियों से संबंधित अन्य लागू विधि अभिप्रेत है।
- (iii) "ये दस्तावेज" में कंपनी का संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद और समय-समय पर प्रवृत्त उसके विनियम सम्मिलित हैं।
- (iv) "ये अनुच्छेद" से अधिनियम के अनुसार समय-समय पर परिवर्तित कंपनी के संगम अनुच्छेद अभिप्रेत हैं।
- (v) "परिवर्तन" में जोड़ना और हटाना सम्मिलित हैं।
- (vi) "लेखापरीक्षक" से इस समय कंपनी में उस पद पर नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत हैं।
- (vii) "बोर्ड", "निदेशक मंडल" या "निदेशक" से विधिवत् बुलाई और गठित निदेशकों की बैठक या उसमें उपस्थित निदेशक अथवा परिपत्र संकल्प पारित करने के लिए अपेक्षित संख्या में निदेशक, जैसा प्रसंग हो, अभिप्रेत हैं।
- (viii) "पूँजी" से कंपनी के प्रयोजनों के लिए जुटाई गई या जुटाने को प्राधिकृत वर्तमान शेयर पूँजी अभिप्रेत है।
- (ix) "डिबेंचर" में डिबेंचर स्टॉक सम्मिलित है।
- (x) "लाभांश" में अंतरिम लाभांश और बोनस भी सम्मिलित हैं।
- (xi) "प्रबंध निदेशक" से वर्तमान प्रबंध निदेशक या प्रबंध निदेशकगण तथा संदर्भानुसार पूर्णकालिक या कार्यकारी निदेशक अभिप्रेत हैं।

(xii) "माह" से कैलेंडर माह अभिप्रेत है।

(xiii) "कार्यालय" से कंपनी का वर्तमान पंजीकृत कार्यालय अभिप्रेत है।

(xiv) "मुहर" से कंपनी की वर्तमान सामान्य मुहर अभिप्रेत है।

(xv) "शेयर" से कंपनी की शेयर पूँजी का शेयर अभिप्रेत है और जहाँ स्टॉक तथा शेयर में भेद प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपेक्षित न हो, उसमें स्टॉक भी सम्मिलित है।

(xvi) "शेयरधारक" या "सदस्य" से कंपनी के शेयर या स्टॉक के विधिवत् पंजीकृत वर्तमान धारक और संगम ज्ञापन के अभिदाता अभिप्रेत हैं।

(xvii) "व्यक्ति" में संदर्भानुसार व्यक्ति के अतिरिक्त न्यास, कंपनियाँ, भागीदारी, फर्म, संघ और निगम भी सम्मिलित हैं।

(xviii) एकवचन में बहुवचन और बहुवचन में एकवचन भी सम्मिलित होगा, जहाँ संदर्भ अपेक्षा करे।

(xix) पुल्लिंग में स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग में पुल्लिंग भी सम्मिलित होगा, जहाँ संदर्भ अपेक्षा करे।

(xx) "लिखित" में मुद्रण, शिलामुद्रण या शब्दों को दृश्य रूप में प्रदर्शित या पुनरुत्पादित करने की अन्य विधि अथवा उनके संयोजन सम्मिलित हैं।

(xxi) "वर्ष" से कैलेंडर वर्ष और "वित्तीय वर्ष" से अधिनियम की धारा 2(17) का वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(xxii) उपर्युक्त के अधीन और संदर्भ के प्रतिकूल न होने पर इन विनियमों के शब्दों और पदों का अर्थ अधिनियम में उनका वर्तमान अर्थ होगा।

(xxiii) इन अनुच्छेदों के शीर्षक इनके निर्वचन को प्रभावित नहीं करेंगे।

## निजी कंपनी

4. कंपनी अधिनियम की धारा 3(1)(iii) के अर्थ में निजी कंपनी है; अतः:

(क) कंपनी के सदस्यों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। वर्तमान कर्मचारी और वे पूर्व कर्मचारी, जो नौकरी के दौरान सदस्य बने और बाद में भी सदस्य रहे, इस गणना से बाहर होंगे। संयुक्त रूप से शेयर रखने वाले दो या अधिक व्यक्ति इस प्रयोजन के लिए एक सदस्य माने जाएँगे।

(ख) जनता को कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों के अभिदान के लिए आमंत्रित करना स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।

(ग) कंपनी के शेयरों के अंतरण का अधिकार नीचे निर्धारित रीति से प्रतिबंधित है।

(घ) सदस्यों, निदेशकों या उनके संबंधियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों से जमा आमंत्रित या स्वीकार करना स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।

## शेयर पूँजी

5. (क) कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी वह राशि होगी जो उसके संगम ज्ञापन के खंड v में वर्णित शेयरों की संख्या, अंकित मूल्य और वर्गों में विभाजित है। आवश्यकता के अनुसार उसे बढ़ाने, घटाने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है।

(ख) कंपनी की चुकता शेयर पूँजी किसी भी समय ₹1,00,000 (केवल एक लाख रुपये) से कम नहीं होगी।

(ग) शेयर बोर्ड के नियंत्रण में रहेंगे। बोर्ड उन्हें आवेदन के आधार पर या अन्यथा, अपनी उचित समझ के अनुसार, व्यक्तियों को जारी या आवंटित कर सकेगा तथा अंकित मूल्य या अधिमूल्य पर शेयर माँगने का विकल्प दे सकेगा। बोर्ड कंपनी की वर्तमान शेयर पूँजी को विभिन्न वर्गों में बाँट सकता है; लाभांश, पूँजी, परिसंपत्ति-वितरण, मतदान या अन्य विषयों के संबंध में वरीय, गारंटीकृत, अर्हित अथवा विशेष अधिकार, विशेषाधिकार, शर्तें या प्रतिबंध जोड़ सकता है; और अधिनियम या संगम अनुच्छेदों के अनुसार ऐसे अधिकारों को बदल, संशोधित या समाप्त कर सकता है।

(घ) अधिनियम के लागू प्रावधानों के अधीन कंपनी अपने विकल्प पर मोचनीय अधिमानी शेयर जारी कर सकती है। उन्हें प्राधिकृत करने वाला संकल्प मोचन की विधि, निबंधन और शर्तें निर्धारित करेगा।

(ङ) अधिनियम के अधीन कंपनी शेयर-अभिदान के आवेदन के साथ किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति से स्वेच्छा से दिया धन स्वीकार कर सकती है। बोर्ड द्वारा शेयरों का पूर्ण या आंशिक आवंटन अस्वीकार किए जाने पर लागू राशि लौटाई जाएगी; उस राशि के कंपनी के पास रहने की अवधि के लिए बोर्ड उचित दर से ब्याज दे सकता है।

(च) कंपनी अधिनियम, 1956 की धाराओं 77, 77A और 77AA में दी गई सीमा और विधि से अपने शेयर अथवा अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ खरीद सकती है; किंतु धारा 77B में निर्दिष्ट रीति या परिस्थितियों में ऐसा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगी।

## शेयरों का अंतरण और उत्तराधिकार

6. कंपनी "अंतरण रजिस्टर" रखेगी, जिसमें शेयरों और, यदि हों, डिबेंचरों के प्रत्येक अंतरण या उत्तराधिकार का विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज होगा।

7. अधिनियम और अन्य लागू विधि के अधीन बोर्ड किसी शेयर-अंतरण का पंजीकरण अस्वीकार कर सकता है और उसके कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगा। यह उस प्राप्तकर्ता पर भी लागू होगा जो पहले से शेयरधारक है। विशेष रूप से बोर्ड अंतरण अस्वीकार कर सकता है यदि

- (i) कंपनी का शेयर पर धारणाधिकार हो;
- (ii) पूर्ण चुकता न हुए शेयर के प्रस्तावित प्राप्तकर्ता की जिम्मेदारी बोर्ड की संतुष्टि के अनुसार सिद्ध न हो;
- (iii) निदेशकों की राय में गैर-सदस्य प्राप्तकर्ता को सदस्य बनाना वांछनीय न हो; या
- (iv) पंजीकरण से सदस्यों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक हो जाए।

8. पूर्ववर्ती अनुच्छेद की उपधारा (iv) की स्थिति को छोड़कर, सदस्य अपना शेयर दूसरे सदस्य, जीवनसाथी, संतान, वंशज, पूर्वज, माता, भाई, बहन, पुत्री, पुत्र, भाई की पत्नी, बहन के पति, पत्नी के भाई, पुत्र की पत्नी, पुत्री के पति, भतीजे/भांजे या भतीजी/भांजी को अंतरित कर सकता है। मृत सदस्य के विधिक प्रतिनिधि भी शेयर इन व्यक्तियों को अंतरित कर सकते हैं। सदस्य अपने निपटान-विलेख या वसीयत के न्यासियों को शेयर अंतरित कर सकता है, बशर्ते न्यासी उल्लिखित संबंधी हों; न्यासियों के बदलने पर शेयर वर्तमान न्यासियों को उसी शर्त पर अंतरित हो सकते हैं।

9. उपर्युक्त को छोड़कर शेयर तब तक अंतरित नहीं होंगे जब तक नीचे प्रदत्त पूर्वक्रय अधिकार समाप्त न हो जाएँ, सिवाय जब अन्य शेयरधारक प्रस्तावित अंतरण के लिए स्पष्ट लिखित सहमति दें। सभी अन्य शेयरधारकों की स्पष्ट या परिस्थितियों से निहित सहमति कंपनी या बोर्ड को मिल जाने पर नीचे के अनुच्छेद 10 से 13 की प्रक्रिया लागू करने की आवश्यकता नहीं होगी।

10. शेयर बेचने का इच्छुक सदस्य ("विक्रेता") बोर्ड को लिखित सूचना देगा। यह सूचना बोर्ड को विक्रेता का विक्रय-अधिकर्ता बनाएगी। मूल्य विक्रेता और बोर्ड की सहमति से तय होगा; असहमति होने पर वर्तमान लेखापरीक्षक लिखित रूप में उसका उचित मूल्य प्रमाणित करेंगे। मूल्य प्रमाणित करते समय लेखापरीक्षक विशेषज्ञ होंगे, मध्यस्थ नहीं; अतः संबंधित भारतीय मध्यस्थता अधिनियम लागू नहीं होगा।

11. मूल्य तय होने पर कंपनी के कार्य में लगे प्रबंध निदेशक या निदेशक पहले उन शेयरों को उस मूल्य पर खरीदने के अधिकारी होंगे। उनके पूरे या किसी भाग को खरीदने से इनकार पर बोर्ड सभी सदस्यों को शेयरों की संख्या और मूल्य बताएगा और प्रत्येक को सूचना की तिथि से 30 दिन के भीतर लिखित रूप में यह बताने के लिए आमंत्रित करेगा कि वह कितने शेयर खरीदना चाहता है।

12. 30 दिन समाप्त होने पर बोर्ड इच्छुक सदस्यों को, जहाँ एक से अधिक हों वहाँ यथासंभव उनके पहले से धृत शेयरों के अनुपात में, शेयर आवंटित करेगा। मूल्य मिलने पर विक्रेता शेयर अंतरित करने के लिए बाध्य होगा। उसके चूकने पर बोर्ड उसकी ओर से क्रय-मूल्य प्राप्त कर वैध रसीद दे सकता है और खरीदारों को सदस्य रजिस्टर में दर्ज कर सकता है।

13. यदि इस रीति से शेयर न बिकें, तो विक्रेता उन्हें बोर्ड द्वारा तय मूल्य से कम मूल्य पर नहीं, निदेशकों की स्वीकृति तथा अधिनियम की धारा 3(1) के प्रतिबंधों के अधीन, अन्य व्यक्ति को बेच और अंतरित कर सकता है।

14. शेयर और डिबेंचर के नामांकन के नीचे दिए प्रावधानों के अधीन, सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन से शेयर का अधिकारी बना व्यक्ति निदेशकों द्वारा अपेक्षित प्रमाण देने पर स्वयं सदस्य के रूप में पंजीकरण करा सकता है या मृत/दिवालिया सदस्य की तरह शेयर अंतरित कर सकता है। निदेशक दोनों दशाओं में पंजीकरण अस्वीकार या स्थगित करने का वही अधिकार रखेंगे जो उस सदस्य के जीवन या दिवालिया होने से पहले उसके अंतरण पर होता।

15. (1) प्रत्येक शेयरधारक अपनी मृत्यु पर अपने शेयर प्राप्त करने के लिए विहित रीति से किसी व्यक्ति को नामित कर सकता है।

(2) संयुक्त शेयरधारक मिलकर सभी की मृत्यु होने पर शेयर-अधिकार पाने के लिए किसी व्यक्ति को विहित रीति से नामित कर सकते हैं।

(3) इन अनुच्छेदों, अन्य प्रवृत्त विधि या वसीयती अथवा अन्य व्ययन में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, वैध नामांकन के अधीन नामित व्यक्ति, शेयरधारक या सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु पर, अन्य सभी व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए शेयरों के सभी अधिकार पाएगा, जब तक नामांकन विहित रीति से बदला या रद्द न हुआ हो।

(4) यदि पूर्ण चुकता शेयरों का नामित व्यक्ति अवयस्क है, तो शेयरधारक विहित रीति से संरक्षक नियुक्त कर सकता है जो अवयस्कता के दौरान शेयरधारक की मृत्यु पर शेयरों का अधिकारी होगा।

16. (1) नामित व्यक्ति बोर्ड द्वारा अपेक्षित प्रमाण प्रस्तुत करके विकल्प चुन सकता है कि

(क) वह स्वयं शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हो; या

(ख) मृत शेयरधारक की तरह शेयर अंतरित करे।

(2) स्वयं पंजीकृत होने का विकल्प चुनने वाला नामित व्यक्ति हस्ताक्षरित लिखित सूचना और मृत शेयरधारक का मृत्यु प्रमाणपत्र कंपनी को देगा।

(3) शेयर-अंतरण और उसके पंजीकरण से संबंधित अधिनियम की सभी सीमाएँ, प्रतिबंध और उपबंध ऐसी सूचना या अंतरण पर वैसे ही लागू होंगे जैसे सदस्य की मृत्यु न हुई हो और उसने स्वयं हस्ताक्षर किए हों।

(4) एक व्यक्ति, एक नामित व्यक्ति होने के नाते, धारक की मृत्यु के कारण एक हिस्से का हकदार होने के कारण, वही लाभांश और अन्य लाभों का हकदार होगा जिसका वह हकदार होगा यदि वह हिस्से का पंजीकृत धारक था, सिवाय इसके कि वह पंजीकृत होने से पहले अपने हिस्से

के संबंध में सदस्य कंपनी की बैठकों के संबंध में सदस्यता द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा:

बशर्ते कि बोर्ड, किसी भी समय, किसी ऐसे व्यक्ति से स्वयं को पंजीकृत करने या शेयर (ओं) को हस्तांतरित करने की अपेक्षा करने वाली सूचना दे सकता है और यदि नोटिस का नब्बे दिनों के भीतर पालन नहीं किया जाता है, तो बोर्ड इसके बाद शेयर (ओं) के संबंध में देय सभी लाभांश, बोनस या अन्य धन का भुगतान रोक सकता है या जब तक कि नोटिस की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जाता है।

17. कंपनी के शेयरों/शेयरधारकों के संबंध में पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में निहित नामांकन/नामांकित व्यक्ति से संबंधित प्रावधान कंपनी के डिबेंचर/डिबेंचर धारकों पर उत्परिवर्तन लागू होंगे।

इन अनुच्छेदों में निहित कुछ भी मृत संयुक्त धारक की संपत्ति को किसी भी हिस्से के संबंध में किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगा जो उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से रखा गया था।

18. (क) शेयरों के हस्तांतरण के पंजीकरण के लिए हस्तांतरणकर्ता या हस्तांतरणकर्ता द्वारा आवेदन किया जा सकता है, बशर्ते कि जहां हस्तांतरणकर्ता द्वारा ऐसा आवेदन किया जाता है, वहां आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों के मामले में कोई पंजीकरण प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि कंपनी हस्तांतरणकर्ता को आवेदन की सूचना नहीं देती है, और इसके उपखंड (च) के प्रावधान के अधीन, कंपनी, जब तक कि हस्तांतरणकर्ता द्वारा नोटिस की तारीख से 4 (चार) टुकड़ों के भीतर कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है, अपने सदस्यों के रजिस्टर में हस्तांतरणकर्ता का नाम उसी तरीके से दर्ज करेगी और उन्हीं शर्तों के अधीन होगी जैसे कि हस्तांतरणकर्ता द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया था।

(ख) उपखंड (क) के प्रयोजन के लिए, अंतरिती को सूचना, यदि पूर्व-भुगतान डाक द्वारा भेजी जाती है, तो हस्तांतरण के साधन में दिए गए पते पर हस्तांतरणिती को विधिवत दी गई मानी जाएगी और यह समझा जाएगा कि वह डाक के सामान्य क्रम में दी गई थी।

(ग) उचित रूप से मुद्रांकित और अंतरक तथा अंतरिती द्वारा निष्पादित अंतरण लिखत तथा शेयर प्रमाणपत्र कंपनी को दिए बिना शेयर-अंतरण पंजीकृत नहीं होगा। प्रमाणपत्र खोने का निदेशकों को संतोषजनक प्रमाण मिलने पर वे उचित क्षतिपूर्ति या अन्य शर्तों पर अंतरण पंजीकृत कर सकते हैं।

(घ) कंपनी द्वारा पंजीकरण से इनकार पर अंतरण लिखत जमा होने की तिथि से दो माह के भीतर अंतरक और अंतरिती को इनकार की सूचना दी जाएगी।

(ङ) उपखंड (ग) कंपनी की उस शक्ति को प्रभावित नहीं करता जिसके अधीन अधिनियम या अन्य प्रवृत्त विधि से शेयर-अधिकार प्राप्त व्यक्ति को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया जा सके।

(च) यह अनुच्छेद बोर्ड की शेयर-अंतरण पंजीकरण अस्वीकार करने की शक्ति को प्रभावित नहीं करता। पंजीकृत अंतरण लिखत कंपनी के पास सुरक्षित रहेगा; अस्वीकृत लिखत माँगने पर जमाकर्ता को लौटाया जाएगा।

19. किसी शेयरधारक को शेयरों पर कॉल अथवा अन्य कारण से कंपनी को देय सभी रकम चुकाए बिना शेयरधारक के अधिकार या विशेषाधिकार प्रयोग करने का अधिकार नहीं होगा।
20. निदेशक अंतरण-पुस्तक, सदस्य रजिस्टर और डिबेंचरधारक रजिस्टर को वर्ष में कुल 45 दिन तक बंद रख सकते हैं, किंतु एक बार में बंदी 30 दिन से अधिक नहीं होगी।
21. निदेशक के अतिरिक्त किसी पद पर कंपनी में नियोजित सदस्य के त्यागपत्र, बर्खास्तगी या अन्य कारण से नौकरी छोड़ने पर माना जाएगा कि उसने वर्तमान लेखापरीक्षकों द्वारा निर्धारित मूल्य पर शेयर बेचने की सूचना बोर्ड को दे दी है। पूर्ववर्ती अंतरण उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। बोर्ड नौकरी समाप्ति के बाद किसी समय विक्रय-प्रक्रिया शुरू कर सकता है। बोर्ड द्वारा प्राधिकृत निदेशक ऐसे सदस्य की ओर से अंतरण लिखत निष्पादित कर सकता है; वह सदस्य द्वारा ही हस्ताक्षरित, निष्पादित और सुपुर्द माना जाएगा।
22. सदस्य रजिस्टर में स्पष्ट विधिक स्वामी दिखने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए या कथित शेयर-अंतरण के पंजीकरण से किसी साम्यिक अधिकार या हित का दावा करने वाले अन्य व्यक्ति को क्षति होने पर कंपनी पर कोई दायित्व नहीं होगा; न पंजीकरण से इनकार या उपेक्षा पर दायित्व होगा, भले कंपनी की पुस्तकों में ऐसे हित का उल्लेख हो। तथापि बोर्ड उचित समझे तो ऐसी सूचना पर विचार कर उसे प्रभाव दे सकता है।
23. शेयरों के अंतरण और उत्तराधिकार के ये उपबंध आवश्यक परिवर्तनों सहित कंपनी के डिबेंचरों पर भी लागू होंगे।

### **धारणाधिकार**

24. कंपनी का किसी सदस्य के नाम अकेले या संयुक्त रूप से पंजीकृत सभी आंशिक चुकता शेयरों और उनकी बिक्री-राशि पर, कंपनी को अकेले या संयुक्त रूप से देय ऋण, दायित्व तथा वचनबंध के लिए प्रथम और सर्वोपरि धारणाधिकार होगा, चाहे भुगतान या पालन की अवधि आई हो या नहीं। यह धारणाधिकार शेयरों पर घोषित सभी लाभांश तक फैलेगा।
25. कंपनी धारणाधिकार वाले शेयर निदेशकों की उचित समझ के अनुसार बेच सकती है; किंतु बिक्री तभी होगी जब धारणाधिकार से संबंधित राशि तत्काल देय हो और वर्तमान पंजीकृत धारक अथवा उसकी मृत्यु या दिवालियापन से अधिकारी बने व्यक्ति को देय राशि माँगने की लिखित सूचना देने के बाद 14 दिन बीत गए हों।
- निदेशक

26. सामान्य सभा द्वारा अन्यथा निर्णय तक, वैकल्पिक निदेशकों और सरकार या सांविधिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त निदेशकों को छोड़कर, निदेशकों की संख्या दो से कम और बारह से अधिक नहीं होगी।

27. (क) कंपनी के प्रथम निदेशक होंगे:

(1) श्री वीरेंद्र दत्तात्रय म्हेसकर और

(2) श्रीमती दीपाली वीरेंद्र म्हेसकर।

अधिनियम के लागू प्रावधानों के अधीन वे चक्रीय सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे और स्थायी निदेशक माने जाएँगे। सामान्य सभा द्वारा नियुक्त अन्य निदेशक भी, नियुक्ति के निबंधनों में विपरीत न हो, चक्रीय सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

(ख) बोर्ड समय-समय पर उचित संख्या में अतिरिक्त निदेशक ऐसे निबंधनों पर नियुक्त कर सकता है जिन्हें वह उचित माने; वे कंपनी की अगली वार्षिक सामान्य सभा के समापन तक पद पर रहेंगे।

(ग) अधिनियम के अधीन बोर्ड आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए किसी व्यक्ति को निदेशक नियुक्त कर सकता है। नियुक्ति उस बोर्ड बैठक में होगी जहाँ रिक्ति का तथ्य पहली बार संज्ञान में आए। नियुक्त निदेशक केवल उस दिनांक तक पद पर रहेगा जिस दिन तक मूल निदेशक, रिक्ति न होती तो, पद पर रहता।

(घ) मूल निदेशक की उस राज्य से, जहाँ कंपनी का कार्यालय है, कम से कम तीन माह की अनुपस्थिति में बोर्ड मूल निदेशक की संस्तुति पर वैकल्पिक निदेशक नियुक्त कर सकता है। मूल निदेशक के लौटने पर वैकल्पिक निदेशक का पद समाप्त होगा। मूल निदेशक के शीघ्र पुनः बाहर जाने पर, अधिनियम के अधीन नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की सूचना दाखिल करने की अपेक्षा पूरी होने पर, उसी व्यक्ति को पुनः वैकल्पिक निदेशक मानने के लिए नया बोर्ड संकल्प आवश्यक नहीं होगा।

(ङ) बोर्ड अपने सदस्यों या अन्य व्यक्तियों में से एक या अधिक को निश्चित या अन्य अवधि के लिए प्रबंध निदेशक, संयुक्त प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त कर सकता है, उचित शक्तियाँ सौंप सकता है और समय-समय पर हटाकर उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति नियुक्त कर सकता है।

(च) बोर्ड उचित निबंधनों, पारिश्रमिक और शर्तों पर प्रबंधक या सचिव नियुक्त और पद से हटा सकता है।

28. निदेशक बनने के लिए कंपनी की पूँजी का कोई शेयर रखना आवश्यक नहीं है।

29 (क) नियुक्ति के विपरीत निबंधन न हों तो प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक को, अधिनियम के अधीन, मासिक या आवधिक भुगतान, कंपनी के शुद्ध लाभ के निर्धारित प्रतिशत, दोनों के संयोजन अथवा परिलब्धियों या लाभों के रूप में पारिश्रमिक दिया जा सकता है।

(ख) पूर्णकालिक नियोजन में न रहने वाले और प्रबंध निदेशक न होने वाले निदेशक को, सामान्य सभा के निर्णय से तथा अधिनियम के अधीन, वार्षिक भुगतान, प्राधिकृत कमीशन तथा परिलब्धियों या लाभों के रूप में पारिश्रमिक दिया जा सकता है।

(ग) प्रबंध, पूर्णकालिक या कार्यकारी निदेशक को छोड़कर अन्य निदेशक की बोर्ड या उसकी समिति की बैठक में उपस्थिति का शुल्क, अधिनियम के अधीन, बोर्ड अथवा मतभेद होने पर सामान्य सभा, विधिवत् संकल्प से समय-समय पर तय करेगी।

30. किसी निदेशक से अतिरिक्त सेवाएँ या विशेष प्रयास अपेक्षित हों, जिनमें निदेशक-समिति के सदस्य के रूप में कार्य भी सम्मिलित है, तो बोर्ड उसे निश्चित राशि या अन्य रूप में अतिरिक्त या उसके सामान्य पारिश्रमिक के स्थान पर पारिश्रमिक दे सकता है। ऐसा भुगतान निदेशक के रूप में उसका पारिश्रमिक माना जाएगा।

31. अधिनियम में विपरीत स्पष्ट उपबंध न हो तो भारत में उस समय उपस्थित सभी निदेशकों या समिति-सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित, बिना बैठक के पारित संकल्प विधिवत् बुलाई और आयोजित बोर्ड बैठक के संकल्प जितना ही वैध होगा।

बशर्ते कि, अत्यावश्यक कंपनी-हित के मामले में संकल्प का प्रारूप आवश्यक कागजात सहित भारत में उपस्थित सभी निदेशकों/समिति-सदस्यों, जिनकी संख्या कोरम से कम न हो, तथा अन्य सभी को उनके भारत के सामान्य पते पर भेजा जाएगा। भारत में उपस्थित और मत देने के पात्र निदेशकों के बहुमत की स्वीकृति वाला संकल्प भी वैध होगा; निर्णय अगली बोर्ड बैठक में पढ़कर दर्ज और पुष्टि किया जाएगा। मत बराबर होने पर पिछली बोर्ड बैठक के अध्यक्ष का दूसरा या निर्णायक मत होगा।

32. बोर्ड समय-समय पर मुख्तारनामे से किसी व्यक्ति को कंपनी का मुख्तार नियुक्त कर सकता है। उसे ऐसे प्रयोजन, शक्ति, प्राधिकार, विवेक, अवधि और शर्तें दी जा सकती हैं जिन्हें बोर्ड उचित समझे, पर वे निदेशकों में निहित या उनके द्वारा अनिवार्य रूप से प्रयोग की जाने वाली शक्तियों से अधिक नहीं होंगी। नियुक्ति कंपनी के हित में किसी कंपनी, उसके सदस्य/निदेशक/नामिती/प्रबंधक या निदेशकों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नामित व्यक्तियों के निकाय के पक्ष में हो सकती है। मुख्तारनामा उसके साथ व्यवहार करने वालों की सुरक्षा या सुविधा तथा उप-प्रत्यायोजन का प्रावधान भी कर सकता है।

33. (क) बोर्ड कंपनी की मुहर अनुमोदित और अंगीकृत करेगा तथा उसकी सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था करेगा।

(ख) कंपनी की मुहर बोर्ड अथवा उसकी प्राधिकृत समिति के प्राधिकार/संकल्प से ही किसी लिखत पर लगाई जाएगी और ऐसा कम से कम एक निदेशक, सचिव या बोर्ड द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी की उपस्थिति में होगा। उपस्थित अधिकारी उस लिखत पर हस्ताक्षर करेगा। शेयर या डिबेंचर प्रमाणपत्रों की मुहर अधिनियम या केंद्रीय सरकार के प्रचलित नियमों में दी गई रीति से लगाई जाएगी।

### निदेशकों के अधिकार और कर्तव्य

34. (क) कंपनी के व्यवसाय का प्रबंधन और नियंत्रण निदेशकों में निहित होगा। वे कंपनी की उन सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करेंगे जिन्हें अधिनियम सामान्य सभा के लिए स्पष्ट रूप से सुरक्षित नहीं रखता, अधिनियम और सामान्य सभा द्वारा समय-समय पर बनाए नियमों के अधीन। बाद के नियम निदेशकों के पहले किए वैध कार्य को अवैध नहीं बनाएँगे।

(ख) इन दस्तावेजों में किसी विपरीत बात के होते हुए भी, कोई निदेशक कंपनी की ओर से किए या किए जाने वाले ऐसे संविदा या प्रबंध पर चर्चा और मतदान में भाग ले सकता है जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो। उसे कोरम में गिना जाएगा और उसका मत वैध होगा।

(ग) अधिनियम की धारा 3(1)(iii)(घ) और अन्य लागू प्रावधानों के अधीन बोर्ड शेयरधारकों, निदेशकों, उनके संबंधियों या मित्रों, अन्य व्यक्तियों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से कंपनी के लिए जमा या ऋण के रूप में धन जुटा या उधार ले सकता है।

(घ) बोर्ड कंपनी के ऋणों या उधार का भुगतान, कंपनी के हित में उचित निबंधनों पर, कंपनी के डिबेंचर/बांड जारी करके या उसकी संपत्ति, उपक्रम, अनाहूत पूँजी अथवा साख पर बंधक या प्रभार बनाकर सुरक्षित कर सकता है।

35. (क) जब तक कंपनी पर किसी वित्त निगम, वित्त या निवेश कंपनी अथवा निकाय ("निगम") का धन बकाया है, बोर्ड उस निगम को एक या अधिक नामित निदेशक नियुक्त करने का अधिकार दे सकता है। वे चक्रीय सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे और योग्यता-शेयर धारण करना आवश्यक नहीं होगा। (ख) निगम अपने नामित निदेशक को हटाकर या उसकी मृत्यु अथवा त्यागपत्र पर नया नामित निदेशक नियुक्त कर सकता है। नियुक्ति या निष्कासन निगम के अध्यक्ष या प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षरित लिखित पत्र से किया जाएगा, जो कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में दिया जाएगा। कंपनी के डिबेंचर या बांड निर्गम से संबद्ध न्यास विलेख या प्रतिभूति किसी व्यक्ति को निदेशक नामित करने का अधिकार दे तो वह व्यक्ति समय-समय पर "डिबेंचर निदेशक" नियुक्त या निष्कासित कर उसके स्थान पर दूसरा नियुक्त कर सकता है। डिबेंचर निदेशक चक्रीय सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और योग्यता-शेयर धारण करना आवश्यक नहीं होगा।

### **बैठकें**

36. (क) प्रत्येक वार्षिक या असाधारण सामान्य सभा की कम से कम सात दिन की सूचना, सूचना देने और बैठक के दिन को छोड़कर, तिथि, स्थान, समय तथा प्रस्तावित कार्य का सामान्य स्वरूप बताते हुए अधिनियम के अनुसार सूचना पाने के अधिकारी व्यक्तियों तथा कंपनी के निदेशकों को दी जाएगी। तथापि चुकता पूँजी या मतदान शक्ति का कम से कम 51% रखने वाले सदस्यों की लिखित सहमति से कम सूचना पर बैठक बुलाई जा सकती है।

(ख) अधिनियम की धाराएँ 171 और 173 कंपनी की सामान्य बैठकों पर लागू नहीं होंगी।

### **लाभांश**

37. (क) कंपनी सामान्य सभा में लाभांश घोषित कर सकती है, किंतु वह बोर्ड द्वारा अनुशंसित राशि से अधिक नहीं होगा।

(ख) अधिनियम, विशेष अधिकारों तथा इन अनुच्छेदों के अधीन कंपनी के लाभ सदस्यों में उनके शेयरों पर माँगी गई राशि के अनुपात में विभाजित होंगे।

(ग) बोर्ड अधिनियम की अपेक्षाओं का पालन करते हुए उचित अंतरिम लाभांश दे सकता है।

(घ) कंपनी प्रत्येक शेयर पर चुकता अथवा चुकता मानी गई राशि के अनुपात में लाभांश देगी।

(ङ) बोर्ड इच्छुक सदस्य से उसके शेयरों पर अभी न माँगी गई राशि का अग्रिम भुगतान स्वीकार कर सकता है और माँगी गई तथा देय राशि से अतिरिक्त अग्रिम पर अपनी स्वीकृत दर से ब्याज दे सकता है। अग्रिम राशि मिलने के बाद बोर्ड, विपरीत स्पष्ट समझौता न हो तो, शेयरों पर अब तक माँगी गई राशि से अतिरिक्त रकम समय-समय पर सदस्य को लौटा सकता है। लौटाने के बाद आगे की कॉलों का भुगतान सदस्य पर वैसे ही देय होगा जैसे अग्रिम न दिया गया हो। अग्रिम भुगतान करने वाला सदस्य उस राशि के सामान्यतः देय होने से पहले उसके संबंध में लाभांश, लाभ-भागीदारी या मतदान अधिकार का अधिकारी नहीं होगा।

### पूँजीकरण

38. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए -

(1) कोई भी साधारण सभा, निदेशकों की सिफारिश पर, यह संकल्प कर सकती है कि कोई भी धनराशि, अतिशेष, निवेश या अन्य परिसंपत्तियाँ, जो कम्पनी के अवितरित लाभों का भाग हों (जिसमें कम्पनी की किसी पूँजीगत आस्ति के वसूलीकरण से उद्भूत लाभ या अधिशेष धनराशि सम्मिलित है), अथवा जो आरक्षित निधि या कम्पनी की किसी अन्य निधि, लाभ-हानि खाते या पूँजी मोचन आरक्षिति के जमा में हों या लाभांश हेतु उपलब्ध रूप में कम्पनी के हाथ में हों, अथवा जो शेयरों के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करती हों और शेयर प्रीमियम खाते के जमा में हों, उनका पूँजीकरण किया जाए और उन्हें उन शेयरधारकों के बीच, जो उसे प्राप्त करने के हकदार होते, उनके संबंधित अधिकारों और हितों के अनुसार तथा प्रदत्त या प्रदत्त के रूप में जमा की गई राशि के अनुपात में, इस आधार पर वितरित किया जाए कि वे उसके पूँजी के रूप में हकदार हो गए हैं, और ऐसी पूँजीकृत निधियों का सम्पूर्ण या कोई भाग, इसके खण्ड (ख) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसे शेयरधारकों की ओर से, पूर्णतः या अंशतः निम्नलिखित के लिए उपयोजित किया जाए -

(i) सममूल्य पर या ऐसे प्रीमियम पर, जैसा विनिश्चित किया जाए, कम्पनी के किन्हीं अनिर्गमित शेयरों, डिबेंचरों, डिबेंचर स्टॉक, बॉण्डों या अन्य बाध्यताओं का भुगतान करने के लिए, जो ऐसे सदस्यों को और उनके बीच, ऐसे अनुपात में, पूर्णतः प्रदत्त के रूप में निर्गमित, आबंटित, वितरित और जमा किए जाएंगे, अथवा

(ii) कम्पनी के उन शेयरों को, जो निर्गमित किए जा चुके हैं और पूर्णतः प्रदत्त नहीं हैं, उन पर प्रदत्त या प्रदत्त के रूप में जमा की गई राशि के अनुपात में, क्रमशः उन पर अदत्त शेष राशियों के सम्पूर्ण या किसी भाग से जमा करके, और निदेशक ऐसे संकल्प को प्रभावी करेंगे तथा लाभों या आरक्षित निधि या किसी अन्य निधि का उतना अनुपात उपयोजित करेंगे जितना इस

प्रकार वितरित कम्पनी के शेयरों, डिबेंचरों, डिबेंचर स्टॉक, बॉण्डों या अन्य बाध्यताओं के पूर्णतः या अंशतः भुगतान के प्रयोजन हेतु, अथवा, यथास्थिति, उन शेयरों में, जो निर्गमित किए जा चुके हैं और पूर्णतः प्रदत्त नहीं हैं, पूर्णतः या अंशतः भुगतान के प्रयोजन हेतु अपेक्षित हो, अथवा (iii) अंशतः इसमें ऊपर खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट रीति से और अंशतः इसमें ऊपर खण्ड (ii) में कथित रीति से भुगतान करके;

परन्तु ऐसा कोई वितरण या भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निदेशकों द्वारा उसकी सिफारिश न की गई हो और, यदि इस प्रकार सिफारिश की गई हो, तो ऐसा वितरण और भुगतान ऐसे शेयरधारकों द्वारा उक्त पूंजीकृत राशि में उनके हित की पूर्ण तुष्टि के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(2) ऐसे किसी संकल्प को प्रभावी करने के प्रयोजन हेतु, निदेशक, यथापूर्वोक्त वितरण या भुगतान के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई का, जैसा वे समीचीन समझें, निपटारा कर सकते हैं, और विशिष्टतया, वे भिन्नात्मक प्रमाण-पत्र जारी कर सकते हैं तथा साधारणतया ऐसे शेयरों, डिबेंचरों, डिबेंचर-स्टॉक, बॉण्डों या अन्य बाध्यताओं और भिन्नात्मक प्रमाण-पत्रों या अन्यथा की स्वीकृति, आबंटन और विक्रय के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जैसी वे उचित समझें, और अधिकारों के समायोजन हेतु इस प्रकार नियत मूल्य के आधार पर शेयरों के किन्हीं धारकों को नकद भुगतान कर सकते हैं तथा आगे किन्हीं शेयरों, डिबेंचरों, डिबेंचर-स्टॉक, बॉण्डों या अन्य बाध्यताओं को ऐसे अधिकारों के समायोजन हेतु ऐसे न्यास पर न्यासियों में निहित कर सकते हैं, जैसा निदेशकों को समीचीन प्रतीत हो। उन मामलों में, जहाँ कम्पनी के कुछ शेयर अंशतः प्रदत्त हैं, केवल ऐसा ही पूंजीकरण किया जा सकता है जो पूर्णतः प्रदत्त शेयरों के संबंध में अतिरिक्त शेयरों के वितरण द्वारा, अंशतः प्रदत्त शेयरों को उन पर अदत्त दायित्व के सम्पूर्ण या भाग से जमा करके किया जाए, किन्तु इस प्रकार कि पूर्णतः प्रदत्त शेयरों और अंशतः प्रदत्त शेयरों के धारकों के बीच, ऐसे अतिरिक्त शेयरों के भुगतान में तथा अंशतः प्रदत्त शेयरों पर दायित्व के निर्वापन या कमी में इस प्रकार उपयोजित राशि का उपयोग क्रमशः विद्यमान पूर्णतः प्रदत्त और अंशतः प्रदत्त शेयरों पर उस समय तक पहले से प्रदत्त या प्रदत्त के रूप में जमा की गई राशियों के अनुपात में आनुपातिक रूप से किया जाएगा। जब अपेक्षित समझा जाए, अधिनियम के अनुसार एक उचित संविदा निष्पादित की जाएगी, और जहाँ बोर्ड कम्पनी के शेयरों के धारकों के लिए और उनकी ओर से ऐसी संविदा पर हस्ताक्षर करने हेतु किन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करे, वहाँ ऐसी नियुक्ति प्रभावी होगी।

### सामान्य प्राधिकार

39. जहाँ अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि कम्पनी को कोई अधिकार, विशेषाधिकार या प्राधिकार होगा अथवा कम्पनी कोई संव्यवहार केवल तभी कर सकती है जब कम्पनी अपने संगम-अनुच्छेदों के प्रावधानों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत हो, तो उस दशा में, ये विनियम एतद्वारा कम्पनी या निदेशक मण्डल को ऐसा अधिकार, विशेषाधिकार या प्राधिकार रखने और ऐसे संव्यवहार और कार्य करने या निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत और सशक्त करते हैं, जो अन्यथा अधिनियम

द्वारा अनुज्ञात होते, भले ही ऐसे अधिकारों, विशेषाधिकारों, प्राधिकारों, कार्यों और संव्यवहारों का कोई विनिर्दिष्ट विनियम न हो।

### क्षतिपूर्ति

40. (क) अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक और कोई अन्य अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह कम्पनी का अधिकारी हो या न हो, जो कम्पनी द्वारा नियोजित हो, अथवा कम्पनी के लेखा-परीक्षक या कम्पनी का कोई अन्य सेवक (जिन्हें इसमें आगे सामूहिक रूप से "उक्त व्यक्ति" कहा गया है) की क्षतिपूर्ति कम्पनी द्वारा की जाएगी, और बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह कम्पनी की निधियों में से वे सभी लागतें, प्रभार, व्यय, ब्याज, नुकसानी और हानियाँ चुकाए, जो उक्त व्यक्ति को, उसके द्वारा की गई किसी संविदा या ऐसे उक्त व्यक्ति के रूप में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य या बात के कारण, अथवा किसी भी प्रकार से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, उपगत करनी पड़ें या जिनके लिए वह दायी हो जाए, जिसमें व्यय भी सम्मिलित हैं, और विशिष्टतया, किन्तु पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उन सभी दायित्वों के विरुद्ध जो उक्त व्यक्ति द्वारा निदेशक, प्रबंधक, अधिकारी या सेवक के रूप में किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों का बचाव करने में उपगत किए गए हों, जिनमें निर्णय उसके पक्ष में दिया गया हो या जिनमें वह दोषमुक्त किया गया हो, अथवा अधिनियम की धारा 633 के अधीन किसी ऐसे आवेदन के संबंध में जिसमें न्यायालय द्वारा अनुतोष प्रदान किया गया हो।

(ख) अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, कम्पनी का कोई निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी किसी अन्य निदेशक, प्रबंधक या अधिकारी के कार्यों, प्राप्तियों, उपेक्षाओं के लिए, अथवा अनुरूपता हेतु किसी प्राप्ति या अन्य कार्य में सम्मिलित होने के लिए, अथवा बोर्ड के आदेश द्वारा या कम्पनी के लिए और उसकी ओर से अर्जित किसी सम्पत्ति के हक की अपर्याप्तता या त्रुटि के कारण कम्पनी को होने वाली किसी हानि या व्यय के लिए, अथवा किसी ऐसी प्रतिभूति की अपर्याप्तता या त्रुटि के लिए जिसमें या जिस पर कम्पनी की कोई धनराशि निवेशित की जाए, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के दिवालियापन या शोधाक्षमता या अपकृत्यपूर्ण कार्य से उद्भूत किसी हानि या क्षति के लिए जिसके पास कोई धनराशि, प्रतिभूतियाँ या चीज़बस्त निक्षिप्त की जाए, अथवा उसकी ओर से निर्णय की त्रुटि, लोप, व्यतिक्रम या चूक से हुई किसी हानि के लिए, अथवा किसी भी अन्य हानि, क्षति या दुर्भाग्य के लिए, जो उसके पद के कर्तव्यों के पालन में या उसके संबंध में घटित हो, दायी नहीं होगा, जब तक कि और सिवाय इसके कि वह उसकी स्वयं की बेईमानी, घोर उपेक्षा या उसके असद्भावपूर्ण या इसी प्रकार के आशयों के कारण घटित हो।

### परिसमापन

41. यदि कम्पनी का परिसमापन किया जाए, और सदस्यों के बीच इस रूप में वितरण हेतु उपलब्ध परिसंपत्तियाँ सम्पूर्ण प्रदत्त पूंजी को चुकाने के लिए अपर्याप्त हों, तो ऐसी परिसंपत्तियाँ इस प्रकार वितरित की जाएंगी कि, यथासंभव निकटतम रूप में, हानियाँ सदस्यों द्वारा, परिसमापन के

प्रारम्भ पर उनके द्वारा क्रमशः धारित शेयरों पर प्रदत्त या प्रदत्त की जानी चाहिए थी उस पूंजी के अनुपात में, वहन की जाएं, और यदि परिसमापन में सदस्यों के बीच वितरण हेतु उपलब्ध परिसंपत्तियाँ परिसमापन के प्रारम्भ पर कम्पनी की सम्पूर्ण प्रदत्त पूंजी को चुकाने के लिए पर्याप्त से अधिक हों, तो आधिक्य को सदस्यों के बीच, परिसमापन के प्रारम्भ पर उनके द्वारा क्रमशः धारित शेयरों पर प्रदत्त या प्रदत्त की जानी चाहिए थी उस पूंजी के अनुपात में, वितरित किया जाएगा। तथापि, यह अनुच्छेद विशेष निबंधनों और शर्तों पर निर्गमित या आबंटित शेयरों के धारकों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

### गोपनीयता

42 (क) कोई भी सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति, जो निदेशक न हो, बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना कम्पनी की किसी सम्पत्ति, परिसर या संकर्मों का दौरा या निरीक्षण करने का, अथवा कम्पनी के किसी ब्यौरे, व्यापार, विनिर्माण प्रक्रियाओं या किसी ऐसे विषय का, जो व्यापार रहस्य, व्यापार की गूढ़ बात, गुप्त प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी या किसी अन्य विषय की प्रकृति का हो या हो सकता हो, जो कम्पनी के कारबार के संचालन से संबंधित हो सकता हो, और जिसे प्रकट करना, बोर्ड की राय में, कम्पनी के हित में असमीचीन होगा, प्रकटीकरण अपेक्षित करने या उसके संबंध में कोई जानकारी माँगने का हकदार नहीं होगा।

(ख) प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, अधिकारी, लेखा-परीक्षक, कोषाध्यक्ष, न्यासी, किसी समिति का सदस्य, अधिकर्ता, सेवक, लेखाकार या कम्पनी के कारबार में नियोजित, भाड़े पर लिया गया, सहयुक्त या प्रतिधारित कोई अन्य व्यक्ति, ग्राहकों या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कम्पनी के सभी संव्यवहारों या कारबार तथा व्यक्तियों के साथ लेखाओं की स्थिति के संबंध में, और उससे संबंधित मामलों में, कड़ी गोपनीयता बनाए रखने की प्रतिज्ञा करेगा, और यह प्रतिज्ञा करेगा कि वह ऐसे किसी भी विषय या तकनीकी जानकारी को, जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी जानकारी में आए, प्रकट नहीं करेगा, सिवाय तब जब बोर्ड द्वारा या सदस्यों की किसी सभा द्वारा, या किसी न्यायालय द्वारा, या उस व्यक्ति द्वारा जिससे वे विषय संबंधित हों, ऐसा करने की अपेक्षा की जाए, और सिवाय उस सीमा तक जहाँ तक अधिनियम, विधि या साधारणतया कानूनों के किन्हीं प्रावधानों का, तथा आगे इन प्रलेखों के या इनके अधीन प्रावधानों का, अनुपालन करने के लिए आवश्यक हो।

हम, जिनके नाम, पते और विवरण नीचे अभिदत्त हैं, इन संगम-अनुच्छेदों के अनुसरण में एक कम्पनी के रूप में गठित होने के इच्छुक हैं।

| अभिदाताओं के हस्ताक्षर, नाम, पते, विवरण और व्यवसाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अभिदाता के हस्ताक्षर    | साक्षी के हस्ताक्षर, नाम, पता, विवरण और व्यवसाय                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड</b><br/> तीसरी मंज़िल, आईआरबी कॉम्प्लेक्स,<br/> चांदिवली फार्म, चांदिवली गाँव,<br/> अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 072.<br/> कम्पनी के लिए और उसकी ओर से,<br/> <b>श्री विरेन्द्र दत्तात्रय म्हैसकर, पुत्र श्री दत्तात्रय म्हैसकर,</b><br/> कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, के हाथ<br/> से या उनके अधीन, दिनांक 14 अगस्त,<br/> 2009 को पारित संकल्प के द्वारा हस्ताक्षरित।<br/> व्यवसाय : कारोबार</p> <p><b>2. विरेन्द्र दत्तात्रय म्हैसकर</b><br/> <b>पुत्र दत्तात्रय म्हैसकर</b><br/> आईआरबी कॉम्प्लेक्स, चांदिवली फार्म,<br/> साकी विहार रोड,<br/> अंधेरी पूर्व, मुंबई - 400 072.</p> | <p>ह./-</p> <p>ह./-</p> | <p>क्रम संख्या 1 एवं 2 के साक्षी<br/> ह./-<br/> <b>सिंधु गोविंदनकुट्टी नायर</b><br/> पुत्री श्री गोविंदनकुट्टी नायर<br/> बी-10, लव कुश को-ऑप.<br/> हाउसिंग सोसाइटी लि.,<br/> रामधाम संकुल, रामकृष्ण<br/> नगर, चिंचपाड़ा, कल्याण<br/> (पूर्व), पिन 421 306.<br/> <b>प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव</b></p> |

| अभिदाताओं के हस्ताक्षर, नाम, पते,<br>विवरण और व्यवसाय | अभिदाता के<br>हस्ताक्षर | साक्षी के हस्ताक्षर, नाम,<br>पता, विवरण और<br>व्यवसाय |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| कारोबार                                               |                         |                                                       |

स्थान : मुंबई, दिनांक : अगस्त, 2009 का 20वाँ दिन।

**IRB**

आईआरबी कॉम्प्लेक्स, चांदिवली फार्म, चांदिवली गाँव, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 072

दूरभाष: 91-22-66404220 • फैक्स: 91-22-6675 1024 • ई-मेल: info@irb.co.in

• www.irb.co.in

31 अगस्त, 2009.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल

उद्योग सारथी, महाकाली केव्स रोड,

अंधेरी (पूर्व),

मुंबई - 400093

ध्यानार्थ : श्री निर्मलकुमार देशमुख, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आईटी), एमआईडीसी।

विषय : सिंधुदुर्ग जिला, महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास - कुल भूमि प्रीमियम के 50% का भुगतान।

संदर्भ : (i) दिनांक 3 अगस्त 2009 के आपके पत्र सं. एमआईडीसी/संयुक्त.सीईओ (आईटी) /सिंधुदुर्ग हवाईअड्डा/401

(ii) दिनांक 26 अगस्त 2009 के आपके पत्र सं. एमआईडीसी/संयुक्त सीईओ (आईटी) /सिंधु.हवाईअड्डा/427/2009 महोदय,

उपर्युक्त उद्धृत आपके पत्र (ii) के माध्यम से परियोजना विकास करार पर हस्ताक्षर करने हेतु हमें 30 दिनों का समय-विस्तार प्रदान करने के लिए हम आपके कार्यालय का धन्यवाद करते हैं। उसी पत्र द्वारा दिए गए आपके परामर्श के अनुसार, हम एतद्वारा आपके अवार्ड पत्र के बिंदु 3(ग) के अनुसार कुल भूमि प्रीमियम के 50% के रूप में, केनरा बैंक, कॉर्पोरेट सर्विस शाखा, मुंबई पर आहरित, रु. 10,35,05,200.50 (रुपये दस करोड़, पैंतीस लाख, पाँच हजार, दो सौ और पचास पैसे मात्र) का पे ऑर्डर सं. 408646 दिनांक 27.08.2009 संलग्न कर रहे हैं।

कृते आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड

[हस्ताक्षर]

वी.के. मेनन

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संलग्न : यथोपरि

प्रतिलिपि : संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आईटी), एमआईडीसी, अंधेरी

MIDC - DJMS

संयुक्त मु.का.अ. (आईटी) / [हस्ताक्षर]

दिनांक : 31/08/09

**महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम**  
(महाराष्ट्र सरकार का उपक्रम)

सं. एमआईडीसी/संयुक्त सीईओ (आईटी) /सिंधु.हवाईअड्डा/427/2009  
26.08.2009

दिनांक :

सेवा में,

मैसर्स आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड  
आईआरबी कॉम्प्लेक्स, चांदिवली फार्म,  
चांदिवली गाँव, अंधेरी (पूर्व),  
मुंबई - 400072

विषय : सिंधुदुर्ग जिले में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास हेतु आबंटन-पत्र। परियोजना विकास करार पर हस्ताक्षर करने हेतु अनुरोध।

संदर्भ : आपका पत्र दिनांक 22.08.2009

महोदय,

कृपया अपने उपर्युक्त उद्धृत पत्र का अवलोकन करें। आपने SPV (विशेष प्रयोजन वाहन) गठित करने और तत्पश्चात् परियोजना विकास करार पर हस्ताक्षर करने हेतु कुछ और समय देने का अनुरोध किया है। आपका अनुरोध 30 दिनों की सीमा तक [हस्तलिखित] स्वीकार किया जाता है।

परन्तु, आबंटन-पत्र में उल्लिखित 50% की सीमा तक का भुगतान निर्धारित समय-सीमा के भीतर एमआईडीसी को किया जाए। आपसे आगे अनुरोध है कि SPV को यथाशीघ्र कम्पनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत कराएं, ताकि परियोजना विकास करार निष्पादित किया जा सके और तत्पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

भवदीय

[हस्ताक्षर]

(निर्मलकुमार देशमुख)

संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आईटी),

एमआईडीसी, मुंबई-93.

प्रधान कार्यालय : "उद्योग सारथी", महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400093.

दूरभाष : 2687 0027/52/54/73 फैक्स : (022) 2687 1587

फोर्ट शाखा : ओरिएंट हाउस, 5वीं मंजिल, आदि मर्ज़बान स्ट्रीट, बैलार्ड एस्टेट, फोर्ट, मुंबई-

38. दूरभाष : 2261 6547 फैक्स : (022) 2261 6548

**IRB**

आईआरबी कॉम्प्लेक्स, चांदिवली फार्म, चांदिवली गाँव, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 072

दूरभाष: 91-22-6640 4220 • फैक्स: 91-22-6675 1024 • ई-मेल: info@irb.co.in  
• www.irb.co.in

22 अगस्त, 2009.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल  
उद्योग सारथी, महाकाली केव्स रोड,  
अंधेरी (पूर्व),  
मुंबई - 400093

ध्यानार्थ : श्री निर्मलकुमार देशमुख, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आईटी), एमआईडीसी।

विषय : सिंधुदुर्ग जिला, महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास - परियोजना विकास करार पर हस्ताक्षर करने हेतु समय-विस्तार के लिए अनुरोध।

संदर्भ : दिनांक 3 अगस्त 2009 के आपके पत्र सं. एमआईडीसी/संयुक्त सीईओ (आईटी) /सिंधुदुर्गहवाईअड्डा/401

महोदय,

हमें आपका उपर्युक्त संदर्भित आबंटन-पत्र प्राप्त हुआ है। आपके अवार्ड पत्र के बिंदु सं. 3 (क) और 3 (ग) के अनुसार, हमें कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन सम्यक् रूप से निगमित एक विशेष प्रयोजन कम्पनी स्थापित करनी है और अवार्ड पत्र की तिथि से 30 दिनों के भीतर अर्थात् दिनांक 1 सितम्बर 2009 तक परियोजना विकास करार पर हस्ताक्षर करने हैं। तदनुसार हमने कम्पनी रजिस्ट्रार के समक्ष कागजात प्रस्तुत कर दिए हैं और अपनी एसपीवी के नाम "आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड" हेतु अनुमोदन प्राप्त कर लिया है (प्रति संलग्न)। कम्पनी के पंजीकरण और निगमन हेतु आगामी औपचारिकताएँ प्रगति पर हैं। परन्तु, बीच में पड़ने वाले त्योहारों के मौसम और प्रक्रियात्मक विलम्बों को देखते हुए, निगमन की प्रक्रिया में 30 - 40 दिन और लगेंगे। अतः, हम आपके कार्यालय से अनुरोध करते हैं कि परियोजना विकास करार पर हस्ताक्षर करने का समय दिनांक 1 अक्टूबर 2009 तक बढ़ा दिया जाए। तथापि, आरएफपी की शर्तों के अनुसार कुल भूमि प्रीमियम के 50% तथा परियोजना विकास व्यय का भुगतान दिनांक 1 सितम्बर, 2009 से पूर्व प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

इस बीच, हम आपकी संवीक्षा और सहमति हेतु परियोजना विकास करार का प्रारूप अगले सप्ताह के आरम्भ में आपको भेज देंगे।

कृते आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड

[हस्ताक्षर]

वी.के. मेनन

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संलग्न : यथोपरि

प्रतिलिपि : संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (आईटी), एमआईडीसी, अंधेरी

आईआरबी कॉम्प्लेक्स, चांदिवली फार्म, चांदिवली गाँव, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 072  
दूरभाष: 91-22-6640 4220 • फैक्स: 91-22-6675 1024 • ई-मेल:  
info@irb.co.in • www.irb.co.in

6 अगस्त, 2009.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी  
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल  
उद्योग सारथी, महाकाली केव्स रोड,  
अंधेरी (पूर्व),  
मुंबई - 400093

विषय : सिंधुदुर्ग जिला, महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास - आबंटन-पत्र (LOA)।

संदर्भ : दिनांक 3 अगस्त 2009 के आपके पत्र सं. एमआईडीसी/संयुक्त सीईओ  
(आईटी)/सिंधुदुर्गहवाईअड्डा/401

महोदय,

हमें आपका उपर्युक्त संदर्भित आबंटन-पत्र प्राप्त हुआ है। आपके आरएफपी दस्तावेज़ के संविदा खण्ड सं. 3.3.5 के अनुसार, हम एतद्वारा उपर्युक्त संदर्भित परियोजना हेतु आपके आबंटन-पत्र की अभिस्वीकृति और स्वीकृति की पुष्टि करते हैं। हमारी स्वीकृति के प्रतीक के रूप में, हमारे द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित एलओए की द्वितीय प्रति इसके साथ संलग्न है।

कृते आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड

[हस्ताक्षर]

वी.के. मेनन

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संलग्न : विधिवत हस्ताक्षरित एलओए की द्वितीय प्रति।

प्रतिलिपि : संयुक्त मु.का.अ. (आईटी), एमआईडीसी। [हस्तलिखित]

**महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम  
(महाराष्ट्र सरकार का उपक्रम)**

सं. एमआईडीसी/संयुक्त सीईओ (आईटी) /सिंधुदुर्गहवाईअड्डा/401  
3/8/09

दिनांक :

सेवा में,  
मैसर्स आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड  
आईआरबी कॉम्प्लेक्स, चांदिवली फार्म,  
चांदिवली गाँव, अंधेरी (पूर्व),  
मुंबई- 400072

ध्यानार्थ : श्री वी.के. मेनन, वरिष्ठ महाप्रबंधक

विषय : सिंधुदुर्ग जिला, महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास हेतु अवार्ड पत्र

1. हम डिज़ाइन, निर्माण, वित्तपोषण, प्रचालन के आधार पर सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के विकास ("परियोजना") हेतु हमारे प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) के प्रत्युत्तर में आपकी दिनांक [अपठनीय – मूल में काटा गया] की बोली का संदर्भ लेते हैं।

2. हमें आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि प्रति हेक्टेयर भूमि प्रीमियम रु. 7,96,193.85 (रुपये सात लाख छियानवे हज़ार एक सौ तिरानवे और पचासी पैसे मात्र) की आपकी वित्तीय बोली स्वीकार कर ली गई है और आपको उक्त परियोजना हेतु चयनित बोलीदाता घोषित किया गया है।

एमआईडीसी को देय कुल भूमि प्रीमियम, जिसकी गणना प्रति हेक्टेयर भूमि प्रीमियम  $\times$  स्थल के हेक्टेयर में क्षेत्रफल, अर्थात् लगभग 260.00 हे. एवं अंतिम माप के अधीन, के गुणनफल के रूप में की गई है, रु. 20,70,10,401/- (रुपये बीस करोड़ सत्तर लाख दस हज़ार चार सौ एक मात्र) है।

3. कृपया ध्यान दें कि आपकी बोली की स्वीकृति निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन है :

(क) आरएफपी के खण्ड 1.1.2 के अनुसार, आपको कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन सम्यक् रूप से निगमित एक विशेष प्रयोजन कम्पनी स्थापित करनी होगी। ऐसी कम्पनी का गठन आरएफपी में उल्लिखित शेयरधारक प्रतिबद्धताओं की शर्तों के अनुरूप होना चाहिए।

(ख) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम और चयनित बोलीदाता द्वारा स्थापित की जाने वाली विशेष प्रयोजन कम्पनी के बीच, आरएफपी में निर्धारित शर्तों के अनुसार, परियोजना विकास करार (पीडीए) का निष्पादन।

(ग) आरएफपी और पीडीए के अनुसार, आपको कुल भूमि प्रीमियम का 50% अर्थात् रु. 10,35,05,200.50 (रुपये दस करोड़ पैंतीस लाख पाँच हज़ार दो सौ और पचास पैसे मात्र) एमआईडीसी को (पीडीए के समय) सीएओ, एमआईडीसी, मुंबई के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा, इस पत्र की तिथि से 30 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा; उक्त राशि की प्राप्ति पर पीडीए निष्पादित किया जाएगा।

(घ) आरएफपी के खण्ड 3.6 के अनुसार, आपको पीडीए पर हस्ताक्षर के समय, किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, रु. 2,92,64,000/- (रुपये दो करोड़ बानवे लाख और चौंसठ हज़ार मात्र) की अप्रतिदेय और अप्रतिसंहरणीय राशि, साथ ही लागू सेवा कर, शिक्षा उपकर आदि, सीएओ, एमआईडीसी के पक्ष में, मुंबई में देय, परियोजना विकास व्यय के रूप में भुगतान करना होगा।

कृपया ध्यान दें कि यह संसूचना स्वयं में एमआईडीसी के साथ कोई अधिकार या संविदात्मक संबंध सृजित नहीं करती। ऐसा कोई भी अधिकार या संबंध केवल आपके द्वारा उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति और पीडीए के निष्पादन पर ही प्रभावी होगा।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर इसकी अभिस्वीकृति दें और पीडीए के निष्पादन हेतु एक उपयुक्त तिथि सूचित करें, जो किसी भी दशा में इस आबंटन-पत्र की तिथि से 30 (तीस) दिनों के बाद की नहीं होगी।

कार्यालय प्रति पर मु.का.अ. द्वारा हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि :

1. प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा एवं श्रम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-32.
2. सचिव (नागर विमानन), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-32.

सूचनार्थ प्रतिलिपि अग्रेषित :

1. मुख्य अभियंता, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 93, सूचनार्थ।
2. मुख्य लेखा अधिकारी, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 93, सूचनार्थ।
3. मुख्य नियोजक, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 93, सूचनार्थ।
4. महाप्रबंधक (विधि), एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 93, सूचनार्थ।
5. अधीक्षण अभियंता, एमआईडीसी, महाड मंडल, महाड, सूचनार्थ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, एमआईडीसी, रत्नागिरी क्षेत्र, रत्नागिरी, सूचनार्थ।
7. कार्यकारी अभियंता, एमआईडीसी, रत्नागिरी मंडल, रत्नागिरी, सूचनार्थ।

[हस्तालिखित :]

अभिस्वीकृत एवं स्वीकृत।

[हस्ताक्षर] 6/8/2009

(वी.के. मेनन)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

